सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

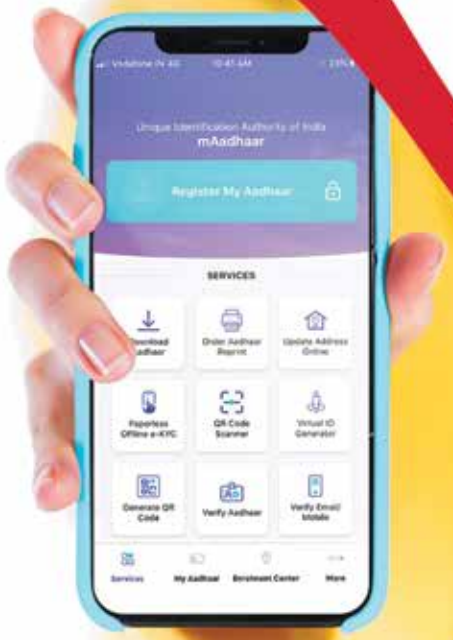

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली – 110001

अस्वीकरण: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो, अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा © 2021

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुप्रेषण पत्र

माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत सरकार के लिए अनुप्रेषित।

मुझे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का 'अवलोकन' और इसे आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा समनुदेशित प्रकार्य समाविष्ट हैं। यूआईडीएआई का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट का भाग है।

सौरभ गर्ग

(डॉ. सौरभ गर्ग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संदेश
सदस्य
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का वर्ष 2020-21 का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सम्मान का विषय है। कोविड-19 महामारी ने इस साल को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। मैं इस कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और उनके साथ अग्रिम पंक्ति में जुड़े कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों को उनके अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए सलाम करता हूं। राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी अवसरंचना को अनवरत क्रियान्वित रखने के लिए यूआईडीएआई की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और मैं यूआईडीएआई परिवार के सदस्यों को महामारी के दौरान भी अत्यंत लगन से काम करने के लिए धन्यवाद देता हूं। महामारी के काले बादलों को छांटने के लिए प्रौद्योगिकी एक रक्षा कवच की भांति रही है, और जब मैं आगे की ओर देखता हूं, तो मुझे विश्वास होता है कि हमारे देश के भविष्य में यूआईडीएआई की बुनियादी अवसंरचना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

यूआईडीएआई के लिए वर्ष 2020-21 चुनौतीपूर्ण रहा है। हमारा कार्य और सेवाएं महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन से प्रभावित हुईं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष के दौरान हमारे कई सहयोगी कोविड -19 से संक्रमित भी हुए।

यूआईडीएआई की अवसंरचना हमारी डिजिटल अवसंरचना का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि सरकार ने निवासियों के टीकाकरण के लिए आधार को पसंदीदा आईडी के रूप में चुना है। हमारे 95% से अधिक निवासियों के पास पहले से ही आधार मौजूद है। आधार देश में व्यक्तिगत पहचान का अत्यंत व्यापक रूप से उपलब्ध, सुरक्षित और विश्वसनीय रूप है, तथा भविष्य में बुनियादी अवसंरचना के कई अन्य नए प्रयोग भी इससे संभव होंगे। महामारी से निपटने के लिए हमारी आबादी का टीकाकरण महत्वपूर्ण है, और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। इस महामारी को पछाड़ने के लिए टीकाकरण सबसे सुदृढ़ तरीका है, और मुझे विश्वास है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।

वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट आधार, आधार अधिनियम, हमारे कामकाज के तरीके, वर्ष भर में हमारे द्वारा संचालित किए गए कार्यकलापों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और हमारे भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वार्षिक रिपोर्ट में यूआईडीएआई की वित्तीय स्थिति का विवरण भी दिया गया है।

अंत में, मैं इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान निस्वार्थ और अथक रूप से काम करने और यूआईडीएआई के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए विशाल यूआईडीएआई परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी, हमारे सहयोगी और विक्रेता, पूरे भारत में फैले सहयोगी स्टाफ के सदस्य शामिल हैं। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। मैं सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं और एक बेहतर कल की कामना करता हूं।

आनंद देशपांडे, पीएच.डी.

संदेश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

हम कोरोना वायरस से फैल रही एक असामान्य महामारी का सामना कर रहे हैं। इसने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है, सामान्य जीवन को बाधित किया है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। मैं यूआईडीएआई परिवार की ओर से अनगिनत लोगों की जान बचाने और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए देश के स्वास्थ्य कर्मियों और उनके साथ निकटता के साथ जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण यूआईडीएआई का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालाँकि, इस चुनौती ने अवसरों को भी जन्म दिया। जहां एक ओर, कोविड प्रतिबंधों के कारण आधार नामांकन और अद्यतनीकरण केंद्र अस्थायी रूप से बंद हो गए, वहीं दूसरी ओर, आधार प्रमाणीकरण में वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि निवासियों ने मुख्य रूप से आधार समर्थ भुगतान प्रणाली (एईपीएस) पर ऑनलाइन लेनदेन अधिक किया। आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) के उपयोग सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय पात्रताओं का अंतरण करने के लिए किया गया था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को धन-अंतरण किया जाना भी शामिल था। महामारी से लड़ने के लिए, यूआईडीएआई ने कोविड-19 संबंधी जानकारी/प्रश्नों के प्रबंधन के लिए कोविड हेल्पलाइन नंबरों पर अपनी संपर्क केंद्र एजेंट सेवाओं का विस्तार करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को सहयोग दिया। निवासियों की सुविधा के लिए अधिक आधार अपडेट सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गईं।

जैसे-जैसे महामारी का प्रकोप कम हुआ, देश के दो राज्यों अर्थात असम और मेघालय में आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार संतृप्ति स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आधार नामांकन और अद्यतनीकरण केंद्रों को फिर से खोलने के साथ ही आधार नामांकन और अद्यतनीकरण गतिविधियों ने निवासियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोविड-पूर्व स्तर को पीछे छोड़ दिया। आधार नामांकन और अद्यतनीकरण सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को आधार सेवा केंद्र (एएसके) विहीन जिलों में नामांकन और अद्यतनीकरण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। सीएससी के बैंकिंग कॉरेसपोंडेंट्स को आधार अद्यतनीकरण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) को बाल नामांकन और मोबाइल अद्यतनीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। ई-आधार और एम-आधार के साथ-साथ, आधार पीवीसी कार्ड को, निवासियों के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जो सुरक्षित और रखने में आसान कार्ड है। डेटा के प्रसंस्करण में तकनीकी सुधार करके आधार बनाने और उसके अद्यतनीकरण में लगने वाले औसत समय को कम किया गया।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के बारे में 5 अगस्त 2020 को जारी की गई अधिसूचना सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, निवासियों के जीवन को आसान बनाने के प्रवर्तन और उनके लिए सेवाओं की बेहतर पहुंच को सक्षम करने के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण को सुकर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई।

वर्ष 2020-21 ने कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में निवासियों को वित्तीय सहायता और महत्वपूर्ण सेवाएं देने में सहायता करने के लिए डिजिटल पहचान की उपयोगिता को उजागर किया और यह एक ऐसा तथ्य है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसने लोगों की सेवा में आधार को लगातार नवीन बनाने और उसमें सुधार करने के लिए यूआईडीएआई की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है।

पंकज कुमार

(श्री पंकज कुमार ने 5 अप्रैल, 2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई का पदभार त्याग दिया)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. आनंद देशपांडे

सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डॉ. आनंद देशपांडे 8 सितम्बर 2016 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अंशकालिक सदस्य हैं।

परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद देशपांडे आईआईटी, खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक (ऑनर्स) और इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, यूएसए से कंप्यूटर साइंस एम.एस. और पीएच.डी. हैं। वह 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स की स्थापना के बाद से ही इसे विकसित करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं और आज यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनी के रूप में उभर गई है।

डॉ. सौरभ गर्ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

डॉ. सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वह प्रमुख ओडिशा में कृषि और किसान अधिकारिता के प्रधान सचिव थे, जहां उन्होंने कृषि को डिजिटल बनाने और किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण योजना विकसित करने पर काम किया। वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहे हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के गठन का नेतृत्व किया; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों में सुधार पर काम किया; डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार की; स्वर्ण क्षेत्र की नीतियों में सुधार किया और द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) के लिए वार्ताओं का नेतृत्व किया। वह 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज'; 'पण्य स्पॉट और व्युत्पन्न बाजारों का एकीकरण'; 'डिजिटल भुगतान संवर्धन; और 'वर्चुअल/क्रिप्टो करेंसी के संबंध में ढांचा' पर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई और सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों/कार्य समूहों के सदस्य रहे हैं। उन्होंने शहरी और औद्योगिक बुनियादी अवसंरचना के विकास के क्षेत्रों में भी काम किया है।

डॉ. गर्ग ओडिशा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों - जिला, राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का कार्यानुभव है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारत के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

डॉ. गर्ग ने जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में पीएच.डी. की है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए किया है, जहां उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और उन्होंने बी.टेक. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से की है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन में शेवनिंग गुरुकुल फेलो थे।

उन्होंने अनेक लेख प्रकाशित किए हैं और प्रशासन, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन में नवाचारों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकों में लेखों का योगदान दिया है।

विषय सूची

1. अवलोकन 1-9

1.1 वर्ष 2020-21 1
1.2 वर्ष 2020-21 में प्रमुख घटनाक्रम 2
1.3 सबसे विश्वसनीय पहचान 3
1.4 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सृजन 4
1.5 भाविपप्रा का अधिदेश 5
1.6 भाविपप्रा का सफर 6
1.7 विज़न और मिशन 7
1.8 भाविपप्रा के उद्देश्य 8
1.9 मूल मंत्र 8
1.10 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप 8

2. संगठनात्मक संरचना 10-13

2.1 प्राधिकरण की संरचना 10
2.2 मुख्यालय की संरचना 10
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना 12

3. यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली 14-38

3.1 अवलोकन 14
3.2 नामांकन एवं अद्यतन पारिस्थितिकी-तंत्र 15
3.3 नामांकन भागीदार 17
3.4 नामांकन प्रक्रिया 18
3.5 आधार नामांकन प्रगति 19
3.6 आधार डाटा अद्यतनीकरण 21
3.7 आधार सेवा केंद्र (एएसके) 23
3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 24
3.9 अधिप्रमाणन पारिस्थितिकी-तंत्र 24
3.10 अधिप्रमाणन भागीदार 25
3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं 26
3.12 प्रमुख पहलें 31
3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम 32
3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण 32
3.15 ई-आधार 33
3.16 ऑर्डर आधार रिप्रिंट (ओएआर) सेवा 33
3.17 ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा 33

3.18 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम 34
3.19 उपभोक्ता संबंध प्रबंध 36
3.20 सहायता सेवाएं – आधार संपर्क केंद्र 36
3.21 चैटबॉट सेवाएं 38

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता 39-43
4.1 आधार डाटा की सुरक्षा एवं निजता 39
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता 39
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन 40
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन 40
4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा 40
4.6 डाटा की कोई पुलिंग नहीं 41
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता 41
4.8 स्थान की जानकारी नहीं 41
4.9 विकेंद्रित डाटा तथा एक-मार्गी संयोजन 42
4.10. आधार डाटा की सुरक्षा 42
4.11. भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित 42
4.12 यूआईडीएआई आईएसओ/आईईसी 29100:2011 और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 के रूप में प्रमाणित है।.42
4.13 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा 42
4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी) 43
4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन.....43
4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 43

5. आधार – सुशासन में उपयोग.....44-48
5.1 आधार - सुशासन में सुधार हेतु एक उपकरण 44
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार 47
5.3 प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग 47
5.4 राष्ट्र हित में निर्धारित प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत आधार का उपयोग..... 48

6. यूआईडीएआई के संगठनात्मक मामले.....49-54
6.1 यौन उत्पीड़न मामलों का निवारण 49
6.2 यूआईडीएआई में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 49
6.3 नागरिक चार्टर 50
6.4 इंट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 50
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ 50
6.6 यूआईडीएआई की वेबसाइट 51
6.7 एकीकृत मोबाइल एप.....53
6.8 ई-ऑफिस क्रियान्वयन 54
6.9 आवासीय परिसर 54

6.10 यूआईडीएआई मुख्यालय बह्वन के लिए फाइव स्टार गृह रेटिंग (फाइनल) 54

7. भावी योजनाएं 55-56

7.1 नामांकन एवं अद्यतनीकरण प्रभाग 55
7.2 अधिप्रमाणन प्रभाग 55
7.3 सीआरएम और संभारिकी तंत्र प्रभाग 56
7.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन प्रभाग 56

8. वित्तीय कार्यनिष्पादन 57-60

8.1 यूआईडीएआई निधि 57
8.2 बजट एवं व्यय 57
8.3 सेवाओं से आय 60

9. वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण 61-110

10. अनुलग्नक 111-119

10.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम 111
10.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम 114
10.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची 115
10.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आधार परिपूर्णता रिपोर्ट 117

11. लघुरूपण 120-125

तालिकाओं की सूची

तालिका 1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना (31 मार्च, 2021 तक) 10
तालिका 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 12
तालिका 3. माहवार आधार सृजन (2020-21) 19
तालिका 4. वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 27
तालिका 5. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2020-21) 27
तालिका 6. वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 29
तालिका 7. माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2020-21) 30
तालिका 8. प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2020-31.03.2021) 35
तालिका 9. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामलों की रोकथाम (2020-21) 49
तालिका 10. बजट और व्यय (स्थापना से) 58
तालिका 11. 31 मार्च 2021 तक की संक्षेप में वित्तीय स्थिति 59
तालिका 12. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सेवाओं से हुई आय का विवरण 60
तालिका 13. विनियम की सूची 114

आकृतियों की सूची

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना 10
आकृति 2 - भाविपप्रा मुख्यालय का ऑर्गेनोग्राम 11
आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम 13
आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार संतृप्ति की स्थिति (31 मार्च 2021 तक) 16
आकृति 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए किसी निवासी द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार) 23

ग्राफ़ों की सूची

ग्राफ़ 1 - वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2021) 20
ग्राफ़ 2 - संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2021) 20
ग्राफ़ 3 - वर्षवार आधार अद्यतन 23
ग्राफ़ 4 - वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 28
ग्राफ़ 5 - संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 28
ग्राफ़ 6 - वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार 29
ग्राफ़ 7 - संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 30
ग्राफ़ 8 - बैंक खातों से जुड़े विशिष्ट आधारों की प्रगति 44
ग्राफ़ 9 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से 45
ग्राफ़ 10 - आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति 46
ग्राफ़ 11 - आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति 46
ग्राफ 12 - बजट और व्यय (स्थापना से) 58
ग्राफ 13 - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सेवाओं से आय का विवरण 60

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2020-21

1.1.1 वर्ष 2020-21 को कोविड-19 के कारण सहस्त्राब्दी में सदैव ही एक असाधारण वर्ष के रूप में याद किया जाएगा , क्योंकि यह दुनिया के लिए असीम दुख और त्रासदी लेकर आया | जबकि दुनिया सदी के सबसे भयावह स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है, इससे जुड़े आर्थिक प्रभाव, लॉकडाउन, सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवधान ने दुनिया को मानव इतिहास के सबसे कठिन समय में एक और अत्यंत कठोर सबक दिया, जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। इस वायरस ने दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया, जहां एक तेज गति वाली अर्थव्यवस्था अचानक ठप हो गई, मानव जाति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दुनिया में जीवन के एक 'नये अध्याय' की शुरूआत हुई।

1.1.2 भारत इस विपत्तिपूर्ण स्थिति का अपवाद नहीं था। इस महामारी ने देश और उसके लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। एक नई बीमारी, जिसने सरकार, चिकित्सक, वैज्ञानिक, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता (फ्रंटलाइन वर्कर्स), नीति निर्माता, प्रशासक और सामान्य जन सभी को चुनौती दी, उसने सामान्य स्थिति की नई परिभाषा दी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों, जापान, दक्षिण कोरिया आदि जैसे दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ही भांति भारत ने भी बेरोजगारी, अप्रत्याशित प्रवासी संकट, संसाधनों की अनुपलब्धता आदि के कारण अर्थव्यवस्था में उतार-चढाव का सामना किया, जिसमें आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों में भी भारी गिरावट देखी गई। सामाजिक दूरी बनाए रखना, घर से काम करना, उचित स्वच्छता, हाथ धोना, मास्क पहनना, दरवाजे पर डिलीवरी आदि जैसी अवधारणाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गईं।

1.1.3 हालांकि, टीकों की शुरूआत ने कुछ आशावादी दृष्टिकोण पैदा किया है और जबकि महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अंधकार में प्रकाश की कुछ किरणें देखी जा सकती हैं, जिस तरह दुनिया में टीकाकरण हो रहा है और आशावादी परिणाम देखे जा रहे हैं |

1.1.4 जबकि लोग घर से काम कर रहे हैं ऐसे में सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की आवश्यकता अपने चरम पर है, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आसानी से सुलभ बनाने की आवश्यकता थी और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आधार ने अपना महत्व बनाए रखा। ऑनलाइन आधार सेवाओं ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिक लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए भी आधार सेवाओं और अन्य लाभों का उपयोग करना जारी रख सकें। आधार की सफलता को देश के निवासियों के टीकाकरण के लिए सबसे पसंदीदा आईडी में से एक के रूप में चुने जाने पर हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धि से मापा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधार-धारक निवासी अपनी पात्रता के अनुसार कोविड-19 से सुरक्षा के लिए टीकाकरण करवा सकता है।

1.1.5 वर्ष 2020-21 यूआईडीएआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण था। लॉकडाउन लागू होने और कोविड-19 से संबंधित अन्य चिंताओं के फैलने से यूआईडीएआई का कार्य भी प्रभावित हुआ। अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद, यूआईडीएआई ने सितंबर 2020 में सफलतापूर्वक अपने 'ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड' का शुभारंभ किया। यह कार्ड पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, ले जाने में आसान और देश में हर जगह मान्य है। इस वर्ष, पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम और मेघालय में बहुत प्रगति की गई है। यह एक चिंताजनक विषय रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का समग्र संतृप्ति स्तर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम था, फिर भी, महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, राज्य सरकारों के सहयोग के साथ विभाग द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों के फलस्वरूप पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

का संतृप्ति स्तर 50% को पार कर गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संतृप्ति स्तर को और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

1.1.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया के संबंध में मदद प्रदान करने के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में यूआईडीएआई ने व्यापक जनहित के लिए अपनी संपर्क केंद्र एजेंट सेवाओं का विस्तार एनएचए के लिए कर दिया है। इन संपर्क केंद्र एजेंटों ने एनएचए को कोविड -19 और आरोग्य सेतु पर मांगी गई जानकारी/प्रश्नों और आम जनता को उनके जवाबों से संबंधित कॉलों की मात्रा में हुई भारी वृद्धि को संभालने में मदद की है।

1.2 वर्ष 2020-21 में प्रमुख घटनाक्रम

1.2.1 वर्ष 2020-21 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संतृप्ति स्तर लगभग 37% से बढ़कर 50% से अधिक हो गया। असम और मेघालय में संतृप्ति स्तर कम था, जिसमें इस वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ऐसा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए किए गए व्यापक प्रयासों के कारण ही संभव हुआ, हालांकि चारों ओर कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान थीं।

1.2.2 सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम 2020 दिनांक 5 अगस्त 2020 को अधिसूचित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच समर्थ करने के लिए, अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात इसमें प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक आधार पर अनुमति प्रदान की गई है। अधिसूचना के बाद से प्रत्येक केंद्र और राज्य सरकारों के 11 प्रस्तावों को 31 मार्च 2021 तक अनुमोदित किया गया है।

1.2.3 कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान, उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने प्रश्नों के समाधान हेतु आधार चैटबूट का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, जो प्रयोक्ता-हितैषी है। लॉकडाउन अवधि के दौरान आधार चैटबॉट सेवा पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में वृद्धि देखी गई।

1.2.4 सितंबर 2020 में एक नई सेवा, अर्थात "आर्डर आधार पीवीसी कार्ड" का शुभारंभ किया गया था। उपयोगकर्ता इस कार्ड को मामूली शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है और यह कार्ड टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और ले जाने में आसान है। आधार के सभी रूप समान रूप से मान्य हैं।

1.2.5 व्यापक जनहित के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के अनुरोध पर, यूआईडीएआई ने अपनी संपर्क केंद्र एजेंट सेवाओं का विस्तार एनएचए के लिए कर दिया। इससे एनएचए को कोविड -19 हेल्पलाइन और आरोग्य सेतु से संबंधित कॉलों/प्रश्नों में हुई भारी वृद्धि को संभालने में मदद मिली।

1.2.6 यूआईडीएआई ने 10 जुलाई 2020 (एंड्रॉइड प्रयोक्ताओं के लिए) और 20 जुलाई 2020 (आईओएस प्रयोक्ताओं के लिए) एम-आधार ऐप का अपडेट जारी किया। नवीनतम अद्यतन के अंतर्गत प्रोफाइल की सीमा को 3 से 5 बार तक बढ़ाने के अलावा, आधार सिंक, वर्चुअल आईडी डिस्प्ले और व्यक्तिगत सेक्शन में आधार डाउनलोड करना तथा सेवा वितरण को निर्बाध बनाने के लिए बैकएंड सुधार जैसी नई सुविधाएँ शामिल हैं।

1.2.7 एक जिम्मेदार संगठन के रूप में यूआईडीएआई पर्यावरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखता है और इसलिए इसके मुख्यालय भवन को अक्टूबर, 2020 में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट (जीआरआईएचए) परिषद द्वारा 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया था।

1.2.8 कोविड अवधि के दौरान निवासियों को आधार नामांकन केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यूआईडीएआई ने अक्टूबर, 2020 के बाद से निवासियों को एसएसयूपी के माध्यम से उनका नाम (मामूली सुधार), लिंग, जन्म तिथि और पता अद्यतन करने की अनुमति प्रदान की। इस सुविधा का उपयोग करते हुए, लगभग 30 लाख निवासियों ने अपने घर से ही सरलता से आधार में जनसांख्यिकीय विवरण अद्यतन किया।

1.2.9 डीडीयू मार्ग पर यूआईडीएआई अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण: यूआईडीएआई कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के लिए एक परियोजना चल रही है। यूआईडीएआई को भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा 02 अगस्त 2018 को 2.0 एकड़ भूमि आवंटित की गई और इसे 12 अक्टूबर 2018 को यूआईडीएआई को सौंप दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात, यूआईडीएआई ने 15 अप्रैल, 2019 को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के लिए मैसर्स ईआईएल के साथ एक समझौता किया। उत्तर डीएमसी ने 12 नवंबर, 2020 को भवन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 13 नवंबर, 2020 को मैसर्स ईआईएल को अंतिम सहमति दी गई थी। 13 नवंबर 2020 को निर्माण गतिविधियां प्रारंभ की गईं परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित तिथि 12 नवंबर 2022 इस परिसर में कुल 105 क्वार्टर बनाए जाने की योजना है: टाइप VIII-1, टाइप VI-9, टाइप V-24, टाइप- IV-20, टाइप III/II-51.

1.3 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.3.1 आधार, सबसे विश्वसनीय पहचान, के साथ भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.3.2 आधार-12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफ़ॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

1.3.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसे निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

1.3.4 सितंबर 2010 में इस पृष्ठभूमि के समक्ष, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा जाता है, मानवीय इतिहास में अनसुना, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमैट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमैट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.3.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई थी, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.4 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सृजन

1.4.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.4.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक "कार्यनीतिक दृष्टिकोण - निवासियों की विशिष्ट पहचान" को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेंद्रित दृष्टिकोण समर्थित हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.4.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.4.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या (ए-43011/02/2009-प्रशा.।(खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.4.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया था ताकि, मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.4.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात् (i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति

और, (ii) बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में यूआईडीएआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमैट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.4.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.4.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा यूआईडीएआई को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया।

1.4.9 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, यूआईडीएआई सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.4.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और केंद्र के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी ऑपरेशन, हेब्बल (बेंगलुरु) में और मानेसर (गुरुग्राम) में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था।

1.5 भाविपप्रा का अधिदेश

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रत्येक निवासी को आधार नंबर जारी करने के संबंध में नीति बनाने, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा प्रमाणन निष्पादन करने के लिए अधिदेशित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्रीय पहचान डेटा निक्षेपगार (सीआईडीआर) में संचित सूचना को अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

1.6 भाविपप्रा का सफर

1.6.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् 31 मार्च, 2021 तक 129.04 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं-

- यह 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमैट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.6.2 नामांकन के संदर्भ में, भाविपप्रा लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेश ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक 129.04 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता का सृजन हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डाटाबेसों से छदम्/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

1.7 विज़न एवं मिशन

विज़न

भारत के निवासियों को एक ऐसी विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफार्म के साथ सशक्त बनाना, जिसे कभी भी, कहीं भी प्रमाणित किया जा सके |

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं, जिनके लिए भारत की समेकित निधि से व्यय किया गया हो, का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना, ताकि इसके लिए अनुरोध करने वाले अपनी जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत कर नामांकन प्रक्रिया अपना सकें।
- आधार धारकों के लिए उनकी डिजिटल पहचान के अद्यतन और अधिप्रमाणन हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापनीयता और तन्यकता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसे दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

1.8 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का सृजन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से "आधार" नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्याएं जारी करने के साथ निम्नलिखित उद्देश्य के लिया किया गया था:

- जो इतनी पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों को समाप्त किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं किफायती ढ़ंग से हो सके।

1.9 मूल मंत्र

- हम सुशासन सुगम बनाने में विश्वास रखते हैं
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
- हम सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण और अपने भागीदारों को महत्व देते हैं
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे
- हमारा ध्यान हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता सुधार करने पर केंद्रित होगा
- हम नवप्रवर्तन से प्रेरित हैं और अभिनव के लिए अपने भागीदारों को प्लेटफार्म प्रदान करेंगे
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं

1.10 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप

आधार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यकलापों में, अन्य विषयों के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार संख्या चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार संख्याओं का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार संख्याओं के अधिप्रमाणन का निष्पादन करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप, एक आधार संख्या व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- आधार संख्या के उपयोग की विधि विनिर्दिष्ट विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं को प्राप्त करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए करना;
- विनियमों में रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार संख्या धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा प्रचालनों की लेखा परीक्षा करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डाटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को, इस

अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यकलापों के निर्वहन में सहायता देने के लिए आवश्यकता के अनुसार समितियों की नियुक्ति करना;
- बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं व समुचित प्रक्रियाओं से आधार संख्या के उपयोग को बढ़ावा देना;
- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी क्रियाकलाप अथवा व्यक्तियों को आधार संख्या की सुपुर्दगी अथवा अधिप्रमाणन निष्पादन करने के लिए यथा आवश्यक, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या अन्य एजेंसियों के साथ, समझौता ज्ञापन अथवा करार करना, जैसा भी मामला हो;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या अधिप्रमाणन करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यकलापों, यथा आवश्यक, के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना;
- इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सम्यक निर्वहन के लिए यथा आवश्यक, परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे, भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ("प्राधिकरण/ भाविपप्रा") का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा यह बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली तथा रांची स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है। भाविपप्रा के दो डाटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है, जैसा कि आकृति-1 में दर्शाया गया है।

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2021 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। यूआईडीएआई मुख्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना (31 मार्च, 2021 तक)

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1.	**रिक्त**	**अध्यक्ष** (अंशकालिक)
2.	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**सदस्य** (अंशकालिक)
3.	**रिक्त**	**सदस्य** (अंशकालिक)
4.	**श्री पंकज कुमार, आईएएस (एनएल:1987)**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी** (सीईओ) एवं सदस्य सचिव

ऑर्गेनोग्राम – मुख्यालय*

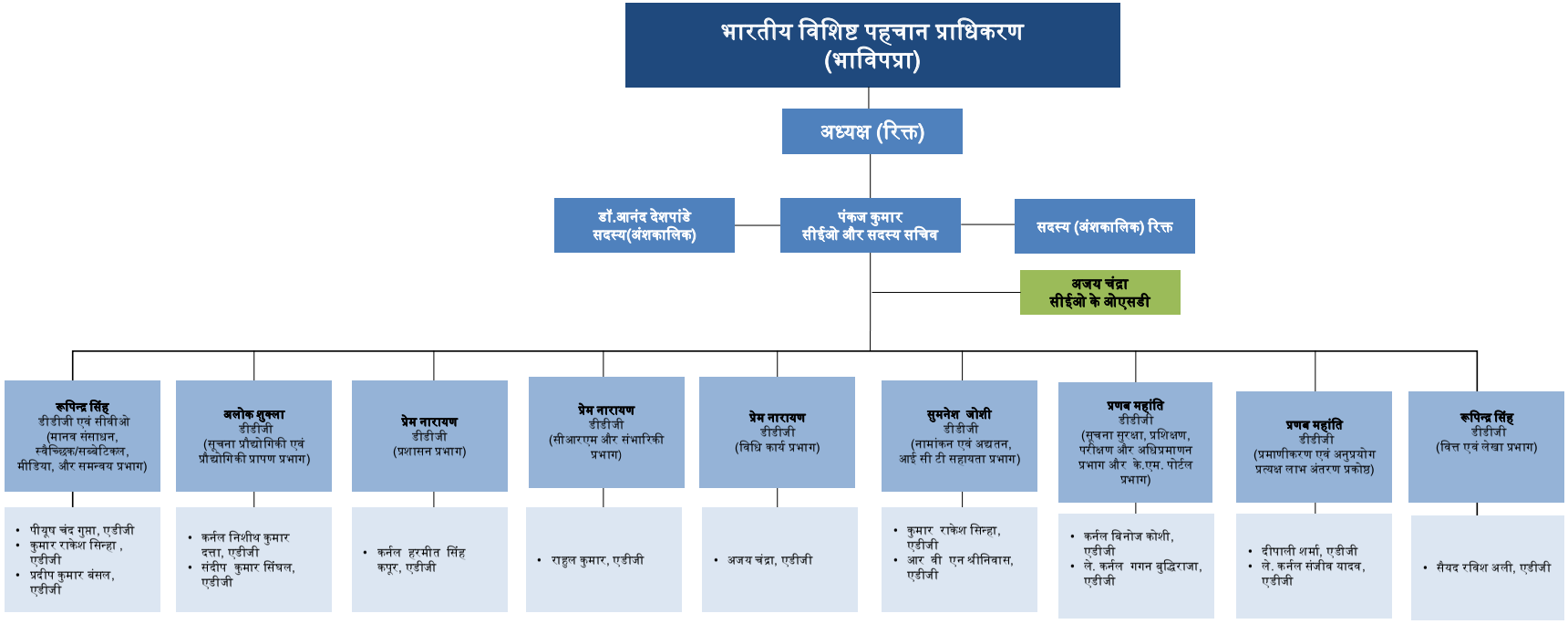

आकृति-2. भाविपप्रा मुख्यालय का ऑर्गेनोग्राम

*31 मार्च, 2021 के अनुसार

2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का प्रमुख एक उपमहानिदेशक (डीडीजी) है तथा उनकी सहायता के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दर्शाया है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के आग्रेनोग्राम को आकृति-3 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और लद्दाख
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

ऑर्गेनोग्राम – क्षेत्रीय कार्यालय*

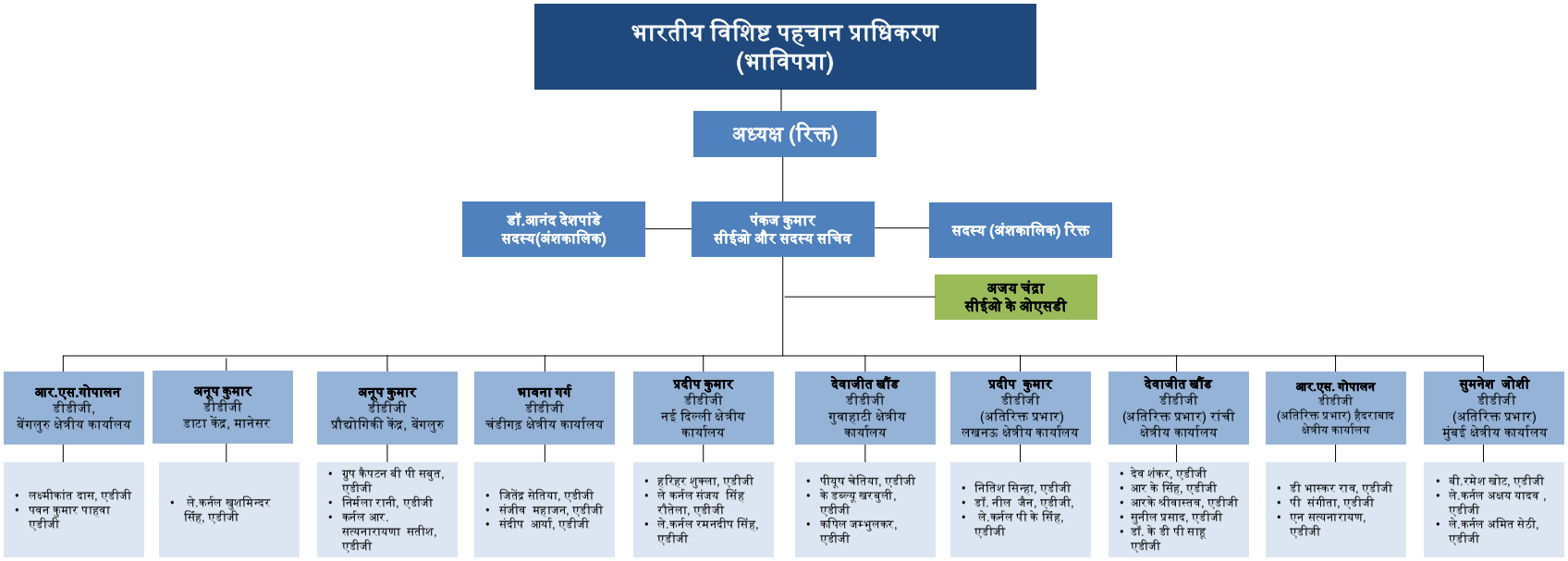

आकृति 3. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च, 2021 के अनुसार*

3. यूआईडीएआई की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1 आधार का उद्देश्य, केवल "पहचान प्रमाण" से भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यह 12-अंकीय पहचान संख्या निवासी को, आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत, जारी की जाती है।

3.1.2 एक बार निवासियों का नामांकन हो जाने के बाद, वे आधार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या ऑफ़लाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने और उसे स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं और यह निवासी द्वारा अनेक बार सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का उपयोग करने पर हर बार पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी परेशानी को समाप्त करता है।

3.1.3 यूआईडीएआई अपने संपूर्ण डेटाबेस में विद्यमान जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डी-डुप्लिकेट करने के बाद ही निवासियों को आधार संख्या जारी करता है। आधार अधिप्रमाणन विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव को समाप्त करने में सक्षम बनाता है और इससे सरकारी कोष में पर्याप्त बचत होने की आशा है। यह सरकार को लाभार्थियों पर सटीक डेटा भी प्रदान करता है जिससे प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रम समर्थ बनते हैं और यह सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं के समन्वय और अनुकूलन की अनुमति देता है। आधार कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों को सत्यापित करने और लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

3.1.4 सेवा वितरण तंत्र के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने वाले आधार प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है और सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग उपयोग करने के साथ-साथ दुर्लभ विकास निधि का इष्टतम उपयोग कर सकती है। इसलिए, प्रभावी और कुशल सेवाओं की उच्च प्रभावकारिता, समावेश और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय और कहीं भी प्रमाणित करने के लिए, यूआईडीएआई ने कई इकोसिस्टम स्थापित किए हैं और उन्हें निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम और इसके नियमों के अनुसार संचालित किया है।

3.1.5 आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम इस प्रकार हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 3)
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्यांक 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्यांक 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्यांक 3)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्यांक 5)

- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्यांक 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्यांक 2)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्यांक 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का संख्यांक 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का संख्यांक 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का संख्यांक 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का संख्यांक 3)

3.1.6 निम्नलिखित यूआईडीएआई के पारिस्थितिकी तंत्र हैं:

- नामांकन और अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र
- अधिप्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र
- संभार-तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र
- प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र
- उपभोक्ता संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन और अद्यतन पारिस्थितिकी तंत्र

3.2.1 आधार नामांकन यूआईडीएआई का प्राथमिक अधिदेश होने के कारण, संगठन का ध्यान निवासियों के नामांकन पर रहा है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार की नामांकन प्रक्रिया अर्थात विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, किसी निवासी द्वारा नामांकन केंद्र में नामांकन एजेंसी को नामांकन फॉर्म भरकर सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी जमा करने, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किए जाने, अनुबंध III में निर्धारित दस्तावेजों की सूची के अनुसार पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) दस्तावेज जमा करने के साथ शुरू होती है।

3.2.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, देश भर में बैंकों, डाकघरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और राज्य सरकारों द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के रूप में 57,891 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र चलाए जा रहे हैं। केंद्र में, नामांकन प्रचालक द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, निवासी नामांकन/अद्यतन के लिए ली गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची एकत्र करता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 3,451 सीईएलसी नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.2.3 नामांकन या अद्यतनीकरण के लिए ली गई जानकारी को यूआईडीएआई के डेटा केंद्रों में संसाधित किया जाता है और क्रमशः आधार या इसका अद्यतन संस्करण सृजित होता है। यूआईडीएआई ने 31 मार्च 2021 तक 129.04 करोड़ से अधिक आधार (124.67 करोड़ लाइव आधार) जारी किए हैं। 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आधार का कवरेज 90% से अधिक के संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कवरेज 80% और 90% के बीच है। आकृति 4, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आधार कवरेज की स्थिति को दर्शाता है।

3.2.4 चूंकि कई राज्य पहले ही आधार संतृप्ति स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए काम की मात्रा 'नामांकन' से 'अद्यतन' में स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने वाले विभिन्न सेवाओं की

सफलता इसके डेटाबेस की अद्यतन स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाए रखना यूआईडीएआई का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निवासी किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करवा सकते हैं।

3.2.5 यूआईडीएआई आधार का लाभ उठाने वाली आधारभूत अवसंरचना और अनुप्रयोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। यूआईडीएआई नामांकन गतिविधियों को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नामांकन किट अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तदनुसार, यूआईडीएआई परियोजना की शुरुआत से 31 मार्च 2021 तक 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/3 विभागों और 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 458.01 करोड़ रु. की राशि की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता उसके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार 3 अलग-अलग चरणों में प्रदान की गई थी।

3.2.6 निवासी एसएसयूपी पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन अपने जनसांख्यिकीय विवरण (नाम (मामूली परिवर्तन), लिंग, जन्म तिथि और पता) को आधार में अद्यतन करवा सकते हैं। अपने डेटा को अपडेट करने के लिए निवासी से 50 रु. प्रति पैकेट की दर से शुल्क प्रभारित किया जाता है।

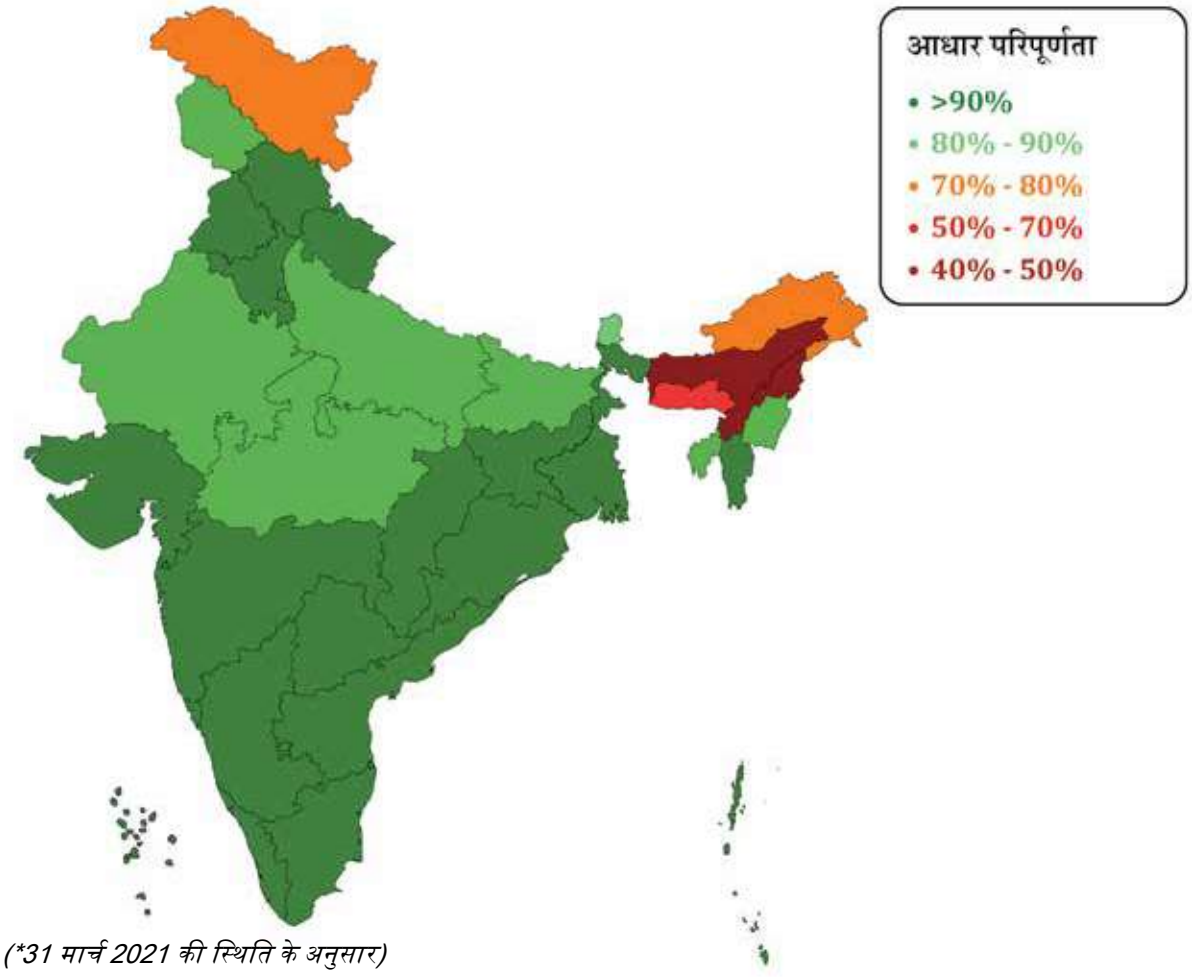

*(*31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)*

आकृति 4 – राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति

3.3 नामांकन भागीदार

3.3.1 आधार नामांकन और अद्यतनीकरण संचालित करने के लिए यूआईडीएआई के पास एक पारिस्थिकी-तंत्र विद्यमान है जिसमें आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित भागीदार शामिल हैं:

1. **रजिस्ट्रार:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था।

2. **नामांकन एजेंसी:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त एजेंसी।

3. **नामांकन केंद्र:** निवासियों का नामांकन करने और उनकी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा स्थापित एक स्थायी या अस्थायी केंद्र।

4. **परिचयकर्ता:** रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे निवासियों, जिनके पास कोई निर्धारित सहायक दस्तावेज नहीं है, का परिचय कराने के लिए वैध आधार रखने वाला अधिकृत व्यक्ति।

5. **प्रचालक**: नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।

6. **पर्यवेक्षक:** नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।

7. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक।

आधार नामांकन प्रक्रिया चलते हुए

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 किसी निवासी के लिए, आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना, पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) संबंधी दस्तावेज जमा करना, सूचित सहमति देना और नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची एकत्र करना शामिल है।

3.4.2 नामांकन फॉर्म में भरे गए नामांकन डेटा को सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है जहां डेटा विभिन्न जांच और सत्यापन चरणों से होकर गुजरता है और आधार संख्या सृजित की जाती है।

3.4.3 यूआईडीएआई प्रक्रिया अनुलग्नक III में उल्लिखित पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों की विस्तृत सूची को स्वीकार करती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तब भी वह आधार के लिए नामांकन कर सकती है, यदि उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज में मौजूद है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में दर्ज परिवार के मुखिया (एचओएफ) को पहले वैध पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों के साथ खुद को नामांकित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद, परिवार का मुखिया संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज जमा करके परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय आधार नामांकन के लिए कर सकता है। यूआईडीएआई अनुलग्नक III में उल्लिखित कई दस्तावेजों को संबंध के प्रमाण (पीओआर) के रूप में स्वीकार करता है। यदि कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो निवासी 'परिचयकर्ता' की मदद ले सकता है जो कि रजिस्ट्रार द्वारा अधिप्रमाणित होता है।

3.4.4 आधार के लिए नामांकन के दौरान, केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि (डीओबी) तथा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सभी दस उंगलियों के निशान, दोनों आईरिस और चेहरे की छवि का स्कैन कैप्चर किया जाता है।

3.4.5 इसके अतिरिक्त, निवासी के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का विकल्प होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, केवल नाम, लिंग, जन्मतिथि और बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है और माता-पिता में से किसी एक का आधार/नामांकन आईडी लिया जाता है।

3.4.6 सार रूप में, नामांकन के लिए तीन माध्यम मौजूद हैं:

दस्तावेज आधारित	परिवार के मुखिया (एचओएफ) पर आधारित	परिचयकर्ता आधारित
पहचान के वैध प्रमाण के दस्तावेज और पते के वैध प्रमाण के दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना	परिवार का मुखिया ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से परिवार के सदस्यों का परिचय करा सकता है, जो उसके साथ उनके संबंध को स्थापित करते हों।	पहचान के वैध प्रमाण (पीओआई) के दस्तावेज और पते के वैध प्रमाण (पीओए) के दस्तावेज की अनुपस्थिति में, किसी परिचयकर्ता की सहायता प्राप्त की जा सकती है। परिचयकर्ता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है और उसके पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।

3.4.7 आधार एक सर्व-समावेशी कार्यक्रम है और इसलिए, यूआईडीएआई ने उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है जो किन्हीं कारणों से, अपने सभी या कोई बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, कोई भी निवासी आधार से बाहर नहीं रह जाता है।

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर 2010 में पहला आधार तैयार किए जाने के बाद से, आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2021 तक 129.04 करोड़ से अधिक आधार बनाए गए हैं। आधार की यात्रा और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ 1 में चित्रित किया गया है। संचयी आधार सृजन को ग्राफ 2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, माह-वार आधार सृजन डेटा तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3 – माहवार आधार सृजन (2020-21)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल 2020	0.13
मई 2020	1.71
जून 2020	8.50
जुलाई 2020	14.69
अगस्त 2020	17.31
सितम्बर 2020	27.11
अक्तूबर 2020	29.09
नवम्बर 2020	36.32
दिसम्बर 2020	48.98
जनवरी 2021	52.07
फरवरी 2021	45.90
मार्च 2021	42.92
कुल	**324.73**

ग्राफ 1 - वर्षवार आधार सृजन (सितम्बर 2010 से मार्च 2021)

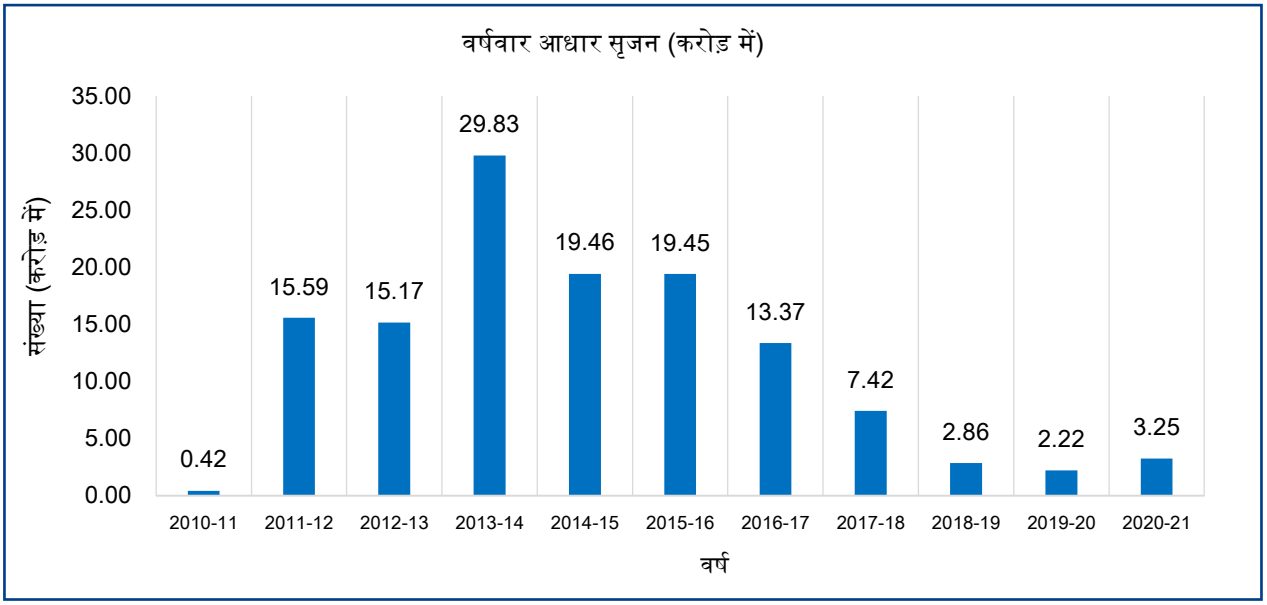

ग्राफ 2 - संचयी आधार सृजन (सितम्बर 2010 से मार्च 2021)

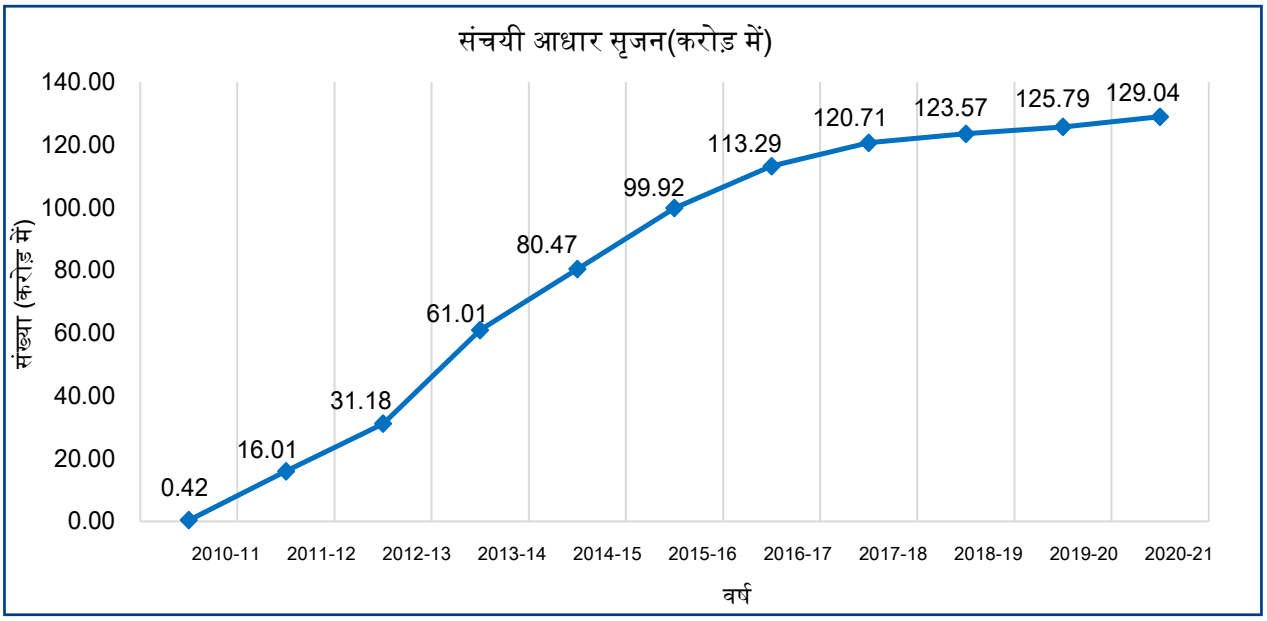

3.5.2 आधार नामांकन में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए जारी किए गए आधार की संख्या को जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में भारित करना होगा। आधिकारिक जनगणना के आंकड़े वर्ष 2011 से संबंधित हैं। इसलिए एक उचित मूल्यांकन करने के लिए, अनुमानित जनसंख्या की गणना उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों और जन्म और मृत्यु दर पर की जानी चाहिए। इसलिए, 31 मार्च 2021 को अनुमानित जनसंख्या 137.05 करोड़ है।

3.5.3 आधार नंबर केवल एक बार जारी किया जाता है और इसे कभी भी दोबारा जारी नहीं किया जाता है। तथापि, मृत्यु होने के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या हमेशा कम ही रहेगी। इसलिए, आधार धारण करने वाले जीवित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने के लिए "लाइव आधार" की अवधारणा पेश की गई है। 31 मार्च 2021 तक जारी किए गए लाइव आधार की संख्या 124.67 करोड़ होने का अनुमान है। 31 मार्च 2021 को राज्य-वार लाइव आधार संतृप्ति अनुबंध IV में दी गई है।

3.5.4 वयस्क आबादी के बीच आधार की पहुंच संतृप्ति स्तर तक पहुंच गई है और इसलिए, यूआईडीएआई का प्राथमिक ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर केंद्रित हो गया है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, यूआईडीएआई ने क्रमशः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ क्रमश: आंगनवाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए भागीदारी की है।

3.6 आधार डेटा अद्यतनीकरण

3.6.1 आधार नंबर निवासी को जारी किया गया एक आजीवन नंबर है। किसी निवासी की बायोमेट्रिक विशेषताओं को रखने के अलावा, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे निवासी का नाम, पता, जन्म तिथि (डीओबी), लिंग और मोबाइल नंबर/ईमेल (वैकल्पिक) यूआईडीएआई डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं। जबकि जनसांख्यिकीय विवरणों में आम तौर पर पते, मोबाइल नंबर और विवाह के बाद नाम के परिवर्तन के कारण निवासी के जीवनकाल के दौरान निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, बायोमेट्रिक विशेषताओं को 5 और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों द्वारा या उम्र बढ़ने/दुर्घटना के कारण बायोमेट्रिक्स के

नुकसान/परिवर्तन के कारण अन्य निवासियो द्वारा अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आधार संख्या से जुड़े जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक क्षेत्रों को अद्यतन करने की आवश्यकता रहती है ताकि डेटाबेस में संग्रहीत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित हो और वह प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो।

3.6.2 आधार डेटा में अद्यतन करने के लिए निवासियों के लिए मुख्य तौर पर दो माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं:

- स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से: यह एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा एक निवासी वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपने पते को अद्यतन करवा सकता है। वे निवासी जिनके मोबाइल नंबर पहले से आधार में दर्ज हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र पर जाकर: कोई निवासी किसी भी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने के लिए नामित बैंक शाखाओं, डाकघरों, एएसके, सीएससी, यूटीआईआईएसएल या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 57,891 आधार नामांकन और अद्यतनीकरण केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 3,451 सीईएलसी नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.6.3 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद से 45.10 करोड़ जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक अद्यतन बनाए जा चुके हैं। 2012 से वर्षवार आधार अद्यतन को ग्राफ 3 में दिखाया गया है।

ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन

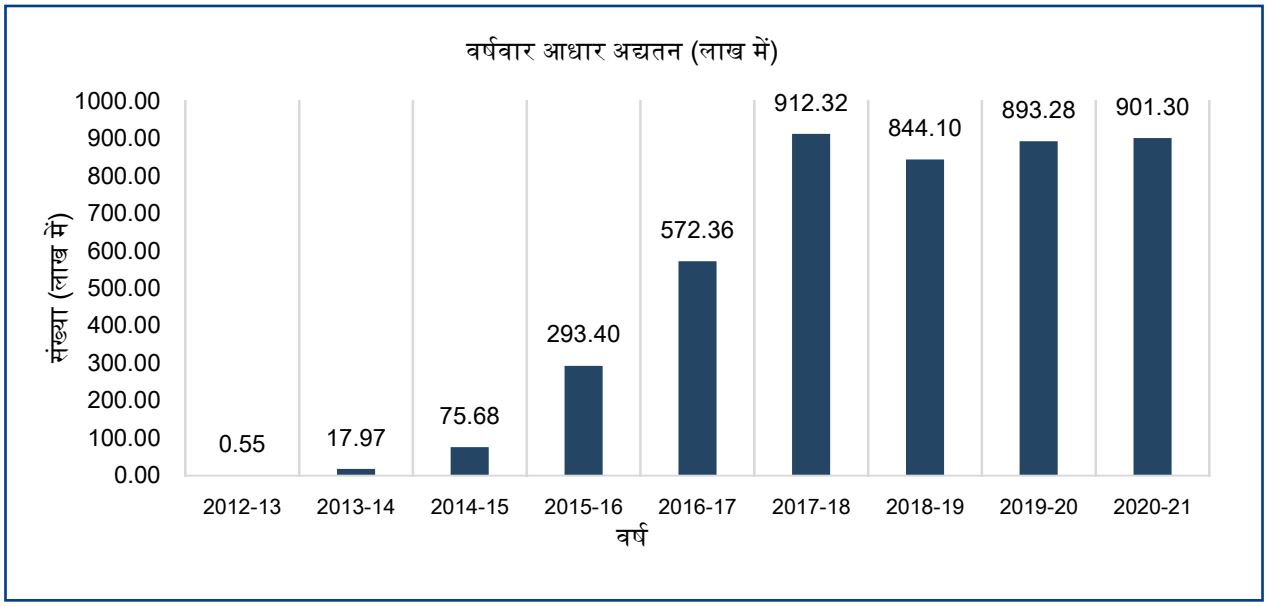

3.6.4 निवासियों के लिए आधार नामांकन और बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन निःशुल्क प्रदान कराया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए चित्र 5 में दर्शाए गए अनुसार मामूली शुल्क प्रभारित किया जाता है।

3.7 आधार सेवा केंद्र (एएसके)

3.7.1 यूआईडीएआई ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत देश भर के 105 शहरों में 165 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षित और पूर्व-अपॉइंटमेंट पर आधारित आरामदेह अनुभव प्रदान किया जा सके। इन एएसके को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, एक से अधिक नामांकन काउंटर, बैठने की उचित व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम प्रदान कर सकें। सभी एएसके व्हील-चेयर पर आने वाले निवासियो के अनुकूल बनाए गए हैं तथा बुजुर्गों या भिन्न रूप से समर्थ/दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने के लिए यहां विशेष प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 49 एएसके को चालू कर दिया गया है।

आकृति 5 – विभिन्न आधार सेवाओं के लिए किसी निवासी द्वारा संदेय प्रभार

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

आधार सेवा केंद्र में कार्य चलता हुआ

3.7.2 देश के 105 शहरों में इन 165 एएसके को स्थापित करने और चलाने के लिए यूआईडीएआई ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित निवासी निम्नलिखित सेवाओं के लिए पूर्व-अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हुए अपनी सुविधानुसार अपने आस-पास के किसी भी एएसके पर जा सकते हैं:

- आधार नामांकन
- उनके आधार में किसी जनसांख्यिकीय जानकारी – नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी का अद्यतनीकरण
- उनके आधार में बायोमेट्रिक डेटा – फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का अद्यतन
- डाउनलोड और प्रिंट आधार सेवाएं

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यूआईडीएआई ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। यूआईडीएआई द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन करते हैं जहां कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या अपनी पसंद के अनुसार आसपास के किसी भी एएसके में नामांकन या अद्यतनीकरण करा सकता है। निवासी निम्नलिखित लिंक के माध्यम से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है:

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

3.8.2 यह एक नि:शुल्क सेवा है जहां किसी निवासी को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कोई निवासी एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करके प्रति माह अधिकतम 5 अप्वाइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.9 अधिप्रमाणन पारिस्थितिकी-तंत्र

3.9.1 यूआएडीएआई जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके ऑनलाइन अधिप्रमाणन प्रदान करता है। यूआईडी (आधार) नंबर, जो विशिष्ट रूप से किसी निवासी की पहचान करता है, व्यक्तियों को देश भर में सार्वजनिक और/या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। आधार ऑनलाइन अधिप्रमाणन निवासी की आधार संख्या के सत्यापन की अनुमति देता है और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से 7 फरवरी 2012 को फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन और 24 मई 2013 को आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं का शुभारंभ किया।

3.9.2 इसके उपरांत, विभिन्न योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और एलपीजी राजसहयता को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार

एएसके सेवा प्रक्रिया

के साथ एकीकृत किया गया है। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग विभिन्न सरकारी एप्लीकेशनों द्वारा किया जा रहा है जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना और पैन कार्ड जारी करना। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं और कागज की संभालाई, उसके भंडारण और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी रीयल-टाइम आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को निवासियों को सेवाओं का तत्काल वितरण करने में सक्षम बनाता है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

3.10.1 यूआईडीएआई अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) नामक एजेंसियों के माध्यम से अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है, जिन्हें आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

1. **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए)** : यूआईडीएआई अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए) नामक अनुरोधकर्ता संस्थाओं के माध्यम से हां/नहीं अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। एयूए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/सार्वजनिक विधिक संस्था हो सकती है जो निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग करती है। एयूए एक सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एएसए (या तो स्वयं एएसए बनकर या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएं लेकर) के माध्यम से यूआईडीएआई डेटा सेंटर/केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (सीआईडीआर) से जुड़ा होता है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 163 एयूए सक्रिय हैं | स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2021 तक अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 908.63 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहारों सहित 5,423.51 करोड़ अधिप्रमाणन किए गए हैं।

वर्षवार संव्यवहारों के साथ-साथ संचयी आधार अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका 4, ग्राफ 4 और ग्राफ 5 में चित्रित किया गया है। इसी तरह, 2020-21 के दौरान माह-वार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार तालिका 5 में दर्शाए गए हैं।

2. **ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए)** : एक एयूए होने के अलावा केयूए एक अनुरोधकर्ता संस्था भी है जो ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, 154 केयूए संस्थाएं आधार प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2021 तक 908.63 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहार किए गए हैं।

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए)**: एएसए एक ऐसी एजेंसी है जिसने सीआईडीआर के साथ लीज लाइन कनेक्टिविटी हासिल की है। ये सीआईडीआर के साथ स्थापित किए गए सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से मध्यवर्ती इकाइयों को समर्थ बनाने की भूमिका निभाती हैं। एएसए एयूए से प्राप्त अधिप्रमाणन अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करती हैं और सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को भेजती हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 22 सक्रिय एएसए मौजूद हैं।

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें आधार संख्या, अन्य विशेषताओं (जनसांख्यिकीय/ बायोमेट्रिक्स/ ओटीपी) के साथ सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (सीआईडीआर) में प्रस्तुत की जाती है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और "हां/नहीं" के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया के भाग के रूप में कोई भी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी वापस नहीं की जाती है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य निवासियों को सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाना है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे वही निवासी हैं जिसका 'वे दावा कर रहे हैं' जिससे कि उन्हें सेवाएं और लाभ प्रदान किए जा सकें। आधार ई-केवाईसी एक अन्य प्रकार की अधिप्रमाणन सेवा है जिसमें यूआईडीएआई अपने सीआईडीआर में संग्रहीत डेटा के अनुसार इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात :-

1. **"हां/नहीं" अधिप्रमाणन**: यूआईडीएआई ने फरवरी 2012 में "हां/नहीं" अधिप्रमाणन सुविधा आरंभ की थी। अनुरोधकर्ता संस्था आधार संख्या धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी को भेजती है। यूआईडीएआई उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और 'हां' या 'नहीं' प्रतिक्रिया वापस भेजता है।

तालिका 4 - वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.45	6.69
2014-15	34.04	40.73
2015-16	109.81	150.54
2016-17	403.64	554.18
2017-18	1,261.92	1,816.10
2018-19	1,080.47	2,896.57
2019-20	1,113.54	4,010.11
2020-21	1,413.40	5,423.51

तालिका 5 – माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2020-21)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2020	117.8
मई 2020	123.1
जून 2020	120.0
जुलाई 2020	115.3
अगस्त 2020	118.8
सितम्बर 2020	117.6
अक्तूबर 2020	114.6
नवम्बर 2020	114.2
दिसम्बर 2020	123.9
जनवरी 2021	118.1
फरवरी 2021	110.7
मार्च 2021	119.3
कुल	**1,413.40**

ग्राफ 4 – वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

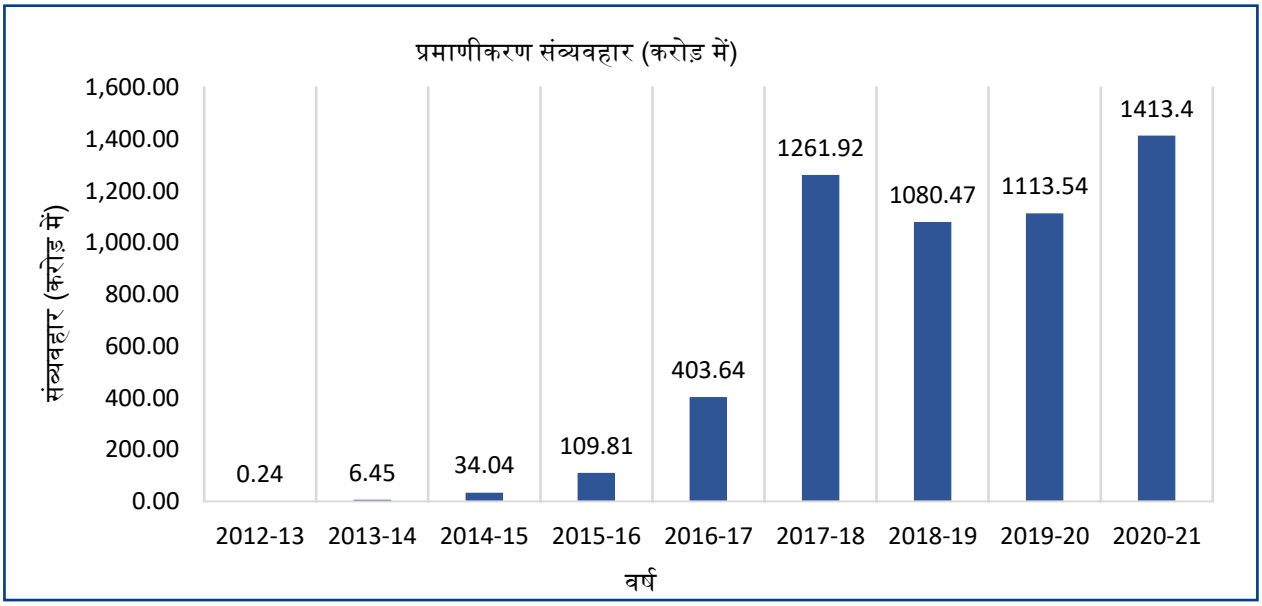

ग्राफ 5 – संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

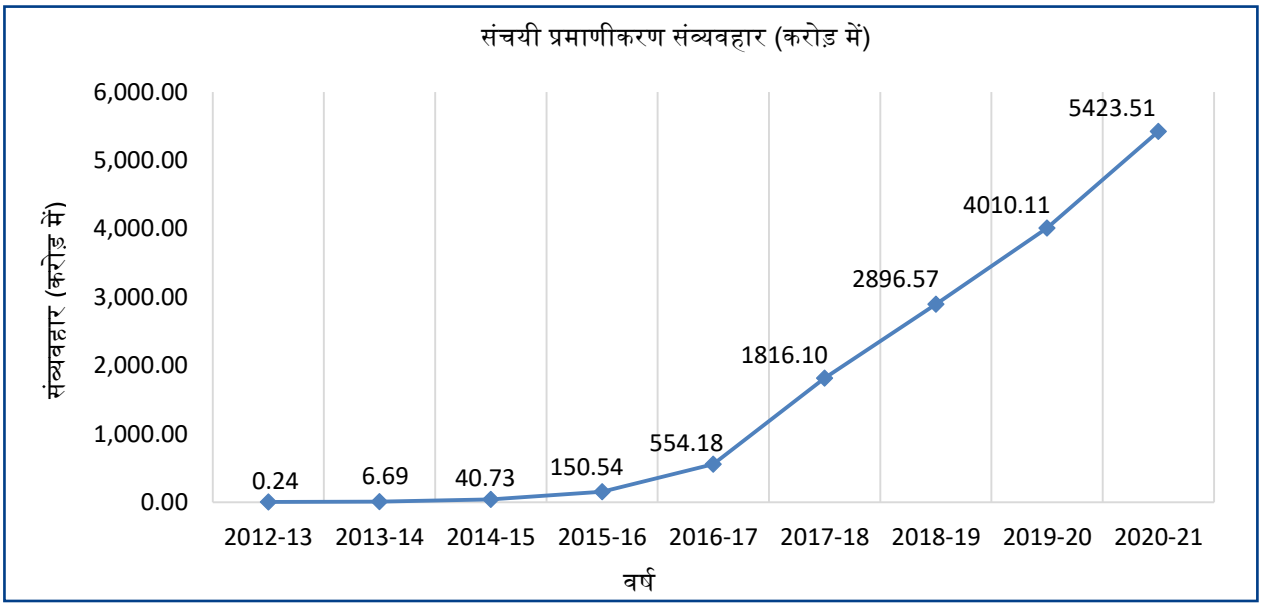

2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन**: यूआईडीएआई ने मई 2013 में ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की। अनुरोधकर्ता संस्था आधार नम्बर धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी भेजती है। यूआईडीएआई उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया वापस भेजता है। वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहारों को तालिका 6, ग्राफ 6 और ग्राफ 7 में दर्शाया गया है। इसी तरह, 2019-20 के दौरान माहवार संचालित किए गए आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार तालिका 7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 6 – वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.98
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38
2020-21	111.25	908.63

ग्राफ 6 - वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

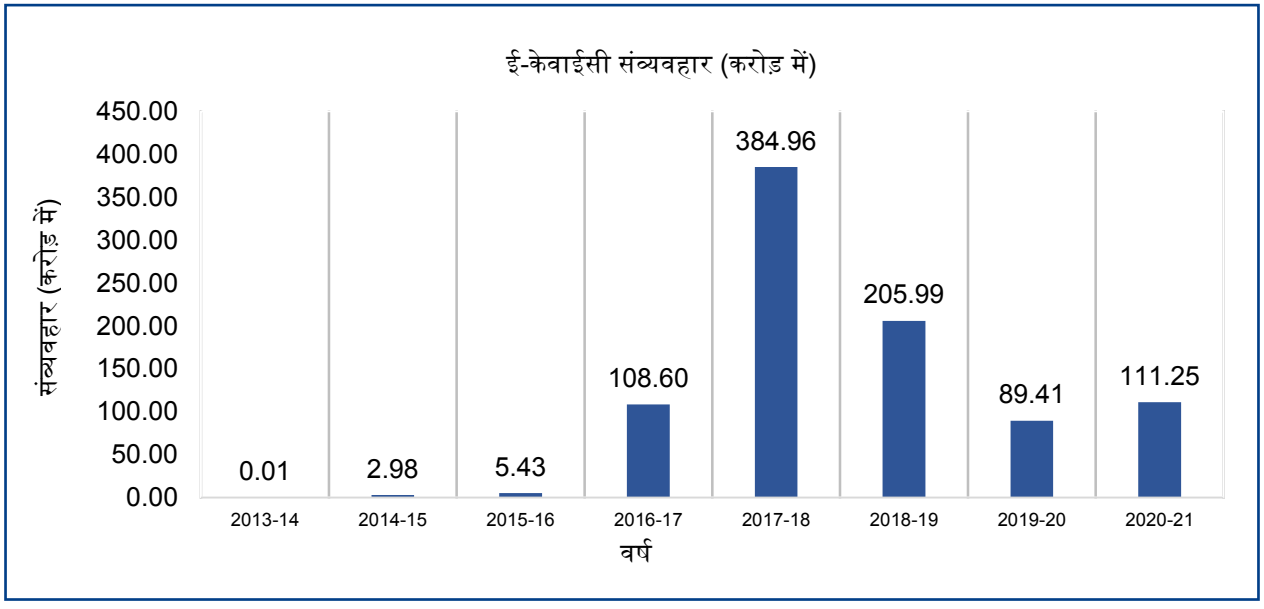

ग्राफ 7 - संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

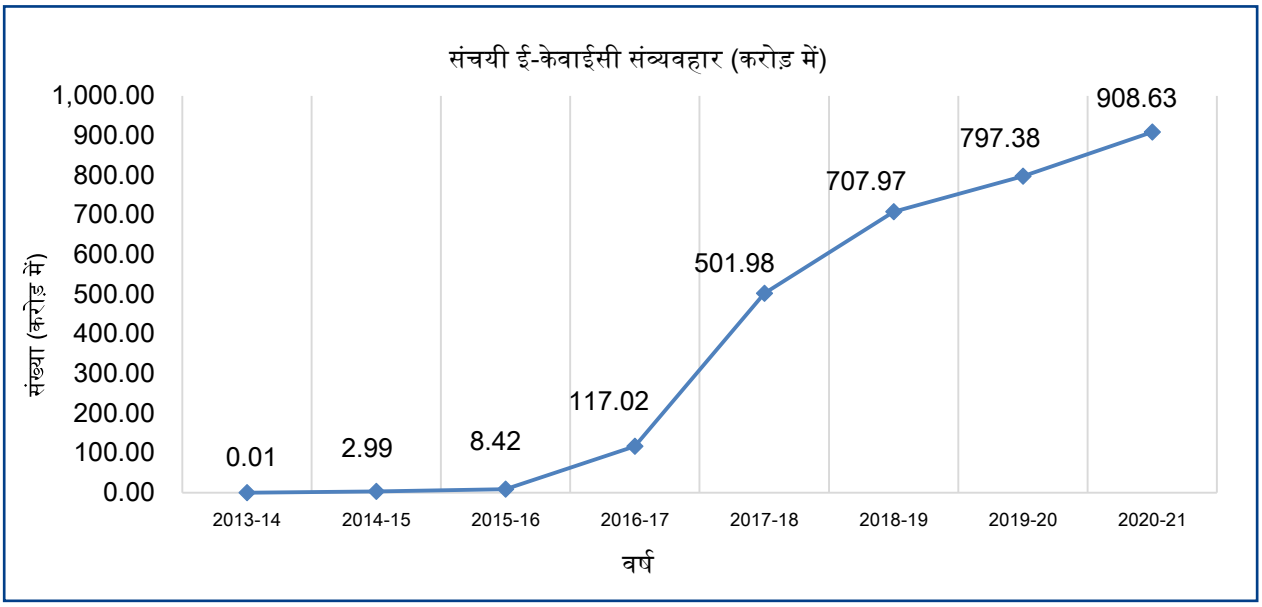

तालिका 7 – माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2020-21)

माह	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2020	3.12
मई 2020	8.91
जून 2020	10.44
जुलाई 2020	8.73
अगस्त 2020	8.96
सितम्बर 2020	9.39
अक्तूबर 2020	8.75
नवम्बर 2020	9.24
दिसम्बर 2020	10.42
जनवरी 2021	10.00
फरवरी 2021	9.92
मार्च 2021	13.37
कुल	**111.25**

3.11.3 अधिप्रमाणन के माध्यम

यूआईडीएआई अधिप्रमाणन के विभिन्न माध्यम प्रदान करता है, जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस), ओटीपी और बहु-कारक अधिप्रमाणन। प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध पर केवल आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप ही विचार किया जाता है। प्रमाणीकरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है:

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन:** आधार संख्या और आधार नम्बर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी का मिलान सीआईडीआर में आधार नम्बर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी से किया जाता है।

2. **ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन:** सीमित समय वैधता के साथ वन टाईम पिन (ओटीपी) आधार नम्बर धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पते पर भेजा जाता है अथवा उसे अन्य उपयुक्त माध्यमों से सृजित किया जाता है। आधार नम्बर धारक अधिप्रमाणन के दौरान अपने आधार नम्बर के साथ इस ओटीपी को उपलब्ध कराएगा और इसका यूआईडीएआई द्वारा उत्पन्न ओटीपी से मिलान किया जाएगा।

3. **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन:** आधार नम्बर धारक द्वारा प्रस्तुत की गई आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में संग्रहीत उक्त आधार नम्बर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट-आधारित या आइरिस-आधारित अधिप्रमाणन हो सकता है या सीआईडीआर में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं।

4. **मल्टी-फेक्टर अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए ऊपर उल्लिखित माध्यमों में से दो या अधिक संयोजनों का प्रयोग किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य/संव्यवहार के लिए यथावर्णित उपलब्ध अन्य माध्यमों में से अधिप्रमाणन के किसी भी उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकती है।

3.11.5 अपवाद प्रबंधन

आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को आधार नम्बर धारक को अधिप्रमाणन सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

3.12 प्रमुख पहलें

3.12.1 एल1 पंजीकृत उपकरण : डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्र में एल0 पंजीकृत उपकरणों की ओर किए गए सफल रूपांतरण के बाद, यूआईडीएआई ने एल1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा पेश की है। एल1 आरडी में, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के भीतर कार्यान्वित किया जाता है जहां मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) में निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स इंजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं होता है। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, निजी कुंजियों का प्रबंधन पूरी तरह से टीईई के भीतर होना आवश्यक होता है। एल1 आरडी की अधिप्रमाणन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

3.12.2 आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी : यूआईडीएआई ने बिना अधिप्रमाणन के आधार नम्बर धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी एक सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज है जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (टाइम स्टैम्प के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसे

विवरण शामिल होते हैं। आधार नम्बर धारक इस दस्तावेज़ को यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे शेयर कोड (4-अंकीय कोड) के साथ पारस्परिक सुविधा के अनुसार ऑफ़लाइन आधार अधिप्रमाणन की मांग करने वाली संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हैं।

3.12.3 आधार लॉक/अनलॉक : आधार की सुरक्षा में और अधिक वृद्धि करने के लिए, यूआईडीएआई ने आधार को लॉक और अनलॉक करने की एक सुविधा आरंभ की है जो आधार धारक को अपने आधार को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करती है। आधार लॉक होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन (बायोमेट्रिक/ जनसांख्यिकीय/ ओटीपी) करने में सक्षम नहीं हो सकेंगी। तथापि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक किए गए आधार की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके अधिप्रमाणन करने में सक्षम होंगी। आधार धारक यूआईडीएआई की वेबसाइट, एसएमएस और एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना आधार लॉक कर सकता है।

3.12.4 आधार सुरक्षित क्यूआर कोड : आधार सुरक्षित क्यूआर कोड ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए यूआईडीएआई द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है जिसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा शामिल हैं, जैसे नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ई-मेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (आधार और टाइम स्टैम्प के अंतिम 4 अंक)। यह नया डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र और एम-आधार पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉइड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर उपकरणों का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है।

3.12.5 आइरिस उपकरणों को बढ़ावा देना : आइरिस उपकरण संपर्क-रहित डिवाइस हैं और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया निवासी के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क के बिना पूर्ण की जा सकती है। आइरिस उपकरणों का प्रयोग महामारी के समय में एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, यह एक ऐसी संपर्क-रहित अधिप्रमाणन विधि है जिससे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उन्हें सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आइरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। आइरिस डिवाइस सुरक्षित भी हैं, क्योंकि किसी भी क्लोन आइरिस का प्रयोग करके फर्जी अधिप्रमाणन करना असंभव है। इन कारकों के कारण, यूआईडीएआई अनुरोधकर्ता संस्थाओं के मध्य आइरिस उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। यूआईडीएआई एसटीक्यूसी के साथ मिलकर विभिन्न फॉर्म फैक्टर में आइरिस उपकरण मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें आरंभ करने की दिशा में काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल टैबलेट/पीओएस उपकरणों में पृथक या एकीकृत रूप में उपलब्ध हैं जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आइरिस उपकरण मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में आइरिस डिवाइस के प्रयोग में फरवरी और मार्च, 2021 के दौरान लगभग 3 करोड़ के औसत मासिक संव्यवहार के साथ वृद्धि हुई है।

3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम

यूआईडीएआई के संभारिकी प्रभाग को निवासियों को आधार पत्रों के मुद्रण और वितरण का काम सौंपा गया है। नए नामांकन, जनसांख्यिकीय अद्यतनीकरण (मोबाइल और ईमेल को छोड़कर) और पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र मुद्रित किए और निवासियों को भेजे जाते हैं। यूआईडीआई ने 25 सितंबर, 2020 से एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जिसका नाम "ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी)" है।

3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण

3.14.1 एक बार आधार सृजित हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे मुद्रित किया जाए और अनुमत समय-सीमा के भीतर निवासी को वितरित किया जाए। प्रत्येक आधार पत्र में एक मुद्रित, लैमिनेटेड दस्तावेज़ होता है जिसमें एक तस्वीर, जन्म तिथि, निवासी की जनसांख्यिकीय जानकारी, आधार नम्बर और सुरक्षित (क्यूआर) कोड होता है जिसमें ऑफ़लाइन सत्यापन के

लिए यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है।

3.14.2 आधार पत्र 13 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। आधार डेटाबेस में पंजीकृत पते पर निवासियों को आधार पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग यूआईडीएआई का वितरण भागीदार है। यूआईडीएआई नए नामांकन के साथ-साथ अद्यतनीकरण के लिए आधार पत्र भेजता है। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2021 तक, 128.04 करोड़ आधार पत्र मुद्रित किए गए हैं और प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड मदों के रूप में भारतीय डाक के माध्यम से निवासियों को भेजे गए हैं। इसके अलावा, 30.37 करोड़ अद्यतन बनाए गए आधार पत्र (ई-मेल/मोबाइल के लिए अद्यतनीकरण को छोड़कर) 31 मार्च 2021 तक भारतीय डाक के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड मदों के रूप में निवासियों को भेजे गए हैं।

3.15 ई-आधार

3.15.1 यूआईडीएआई ने वेबसाइट: www.uidai.gov.in से पीडीएफ फोर्मेट में आधार पत्र डाउनलोड करने के लिए नवंबर 2012 में ई-आधार पोर्टल लॉन्च किया है। ई-आधार यूआईडीएआई की वेबसाइट के ई-आधार पोर्टल से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। यह एक वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसे मुद्रित आधार पत्र के समान ही माना जाता है।

3.15.2 ई-आधार में यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड होता है जो स्कैन किए जाने पर आधार धारक की तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण प्रदर्शित करता है। आधार प्रणाली में, निवासी के विवरणों को क्यूआर कोड और ऑफलाइन एक्सएमएल की मदद से स्थापित की गई ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में ई-आधार स्वीकार्य है। 31 मार्च 2021 तक कुल 129.85 करोड़ ई-आधार डाउनलोड किए गए हैं।

3.16 ऑर्डर आधार रिप्रिंट (ओएआर) सेवा

3.16.1 यूआईडीएआई ने 1 दिसंबर, 2018 से अपनी वेबसाइट uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर आधार री-प्रिंट (ओएआर) सेवा शुरू की थी, जिसमें निवासियों को अपना आधार पुनर्मुद्रण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्पीड पोस्ट वितरण की लागत सहित 50/- रु. का मामूली शुल्क देना होता था।

3.16.2 यूआईडीएआई ने दिसंबर 2020 में इस सेवा को बंद कर दिया है। यूआईडीएआई ने सेवा के दौरान 0.79 करोड़ ओएआर पत्र मुद्रित और भेजे हैं।

3.17 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा

3.17.1 यूआईडीएआई ने 25 सितंबर 2020 से अपनी वेबसाइट www.uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा प्रारंभ की, जिसमें स्पीड पोस्ट वितरण प्रभार की लागत सहित 50/- रु. का मामूली शुल्क शामिल है, जिसके तहत निवासियों को उनका आधार पीवीसी कार्ड उनके पंजीकृत पते पर प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की जाती है।

3.17.2 आधार पीवीसी कार्ड में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हैं जैसे क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और होलोग्राम। यह आधार पत्र, ई-आधार और एम-आधार के अलावा निवासी के लिए एक और विकल्प उपलब्ध कराता है; ये सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं। इसके अलावा, यह टिकाऊ और रखने में आसान है।

3.17.3 यूआईडीएआई को सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय (आई एस सी एस), गृह मंत्रालय के जरिये यह अनुरोध प्राप्त हुआ की समुद्र में काम करने वाले लगभग 20 लाख समुद्री मछुवारों को पी वी सी कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाये, क्योंकि इसकी प्रकृति वाटर प्रूफ और ऑफलाइन सत्यापन योग्य (क्यू आर कोड स्कैनर के जरिये) है |

3.17.4 यूआईडीएआई ने 31 मार्च 2021 तक लगभग 0.81 करोड़ आधार पीवीसी कार्ड (समुद्री मछुआरों के 0.09 करोड़ कार्ड सहित) मुद्रित और वितरित किए हैं।

3.18 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.18.1 किसी भी कार्यक्रम, विशेष रूप से यूआईडीएआई जैसे व्यापक पैमाने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा को कैप्चर करने और उसका प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, यूआईडीएआई ने प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थितिकी-तंत्र को तैयार करने के लिए अत्यंत परिश्रम से काम किया है। इस इकोसिस्टम में (1) सामग्री विकास एजेंसी और (2) परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी शामिल हैं।

3.18.2 आधार नामांकन या अद्यतनीकरण के समय एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, यूआईडीएआई केवल प्रमाणित प्रचालकों, पर्यवेक्षकों और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) प्रचालकों को ही नियुक्त करता है। आधार नामांकन/ अद्यतनीकरण में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त और प्रभावी प्रशिक्षण के लिए यूआईडीएआई द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है जिनमें बृहद प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सुव्यवस्थित नामांकन हुआ है और लगभग 100% नामांकन स्तर प्राप्त किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनिंग (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण):**

  यह प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाना सुनिश्चित करता है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार में नामांकन प्रचालकों (ईसीएमपी और सीईएलसी) को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कुल 96 प्रशिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 2,857 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

- **मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कैम्प:**

  यूआईडीएआई ने नामांकन की गति में कोई व्यवधान न आना सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रचालकों/पर्यवेक्षकों का एक बृहद पूल तैयार करने के लिए मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों के माध्यम से एक कवायद संचालित करता

तालिका 8 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2020-31.03.2021)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	मास्टर प्रशिक्षण - प्रशिक्षक का प्रशिक्षण	सरकारी कर्मी एवं नामांकन कर्मी जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामांकित किया गया है	96	2,857
2.	मेगा प्रशिक्षण - नामांकन कर्मी	सरकारी कर्मी जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामांकित किया गया है	43	2,816
3.	अभिविन्यास कार्यक्रम - नामांकन कर्मी	नए/नवीन नामांकन कर्मी	218	10,539
4.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण - नामांकन कर्मी	विद्यमान नामांकन कर्मी	788	42,013
कुल			**1,145**	**58,225**

है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आधार नामांकन पर कुल 43 मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 2,816 व्यक्तियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।

- **अभिविन्यास कार्यक्रम :**

  नवनियुक्त नामांकन कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 218 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 10,539 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **पुनश्चर्या कार्यक्रम :**

  यह कार्यक्रम सक्रिय/प्रमाणित नामांकन प्रचालकों के ज्ञान को परिपुष्ट करने और प्रक्रिया में नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों से उन्हें जागरूक बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 788 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 42,013 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, लगभग 10,75,636 नामांकन प्रचालकों, पर्यवेक्षकों और सीईएलसी प्रचालकों को प्रमाणित किया गया था। इसमें निजी/पीएसयू बैंकों से 1,975, डाक विभाग से 4,543, शिक्षा विभाग से 1,870, बीएसएनएल से 855, स्वास्थ्य और अन्य विभागों/मंत्रालयों से 221 उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण शामिल है।

3.18.3 वर्चुअल लर्निंग कंटेंट विकास : शिक्षण के क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बने रहने के लिए, यूआईडीएआई ने अपने प्रचालकों और ऐसे उम्मीदवारों को, जो इंटरैक्टिव वर्चुअल लर्निंग कंटेंट के साथ प्रचालक बनने के इच्छुक हैं, और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्चुअल लर्निंग कंटेंट विकसित किया है। यह यूआईडीएआई को वर्चुअल लर्निंग ट्रेनिंग कंटेंट, मोबाइल नगेट्स, शॉर्ट वीडियो और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म (एलएमएस) के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण-संबंधी समाधान प्रदान करेगा। एलएमएस यूआईडीएआई को शिक्षार्थियों, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और प्रशासन की निगरानी करने में मदद करेगा। उक्त पोर्टल विकसित कर लिया गया है और वर्तमान में यह परीक्षण के चरण में है। इसे इस वित्त वर्ष में जनता तक इसकी पहुंच बनाने के लिए लॉन्च किया जाएगा जो प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं को एक इंटरएक्टिव वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

3.18.4 प्रमाणीकरण परीक्षा: थोक भुगतान के लिए नया एस्क्रो (ईएससीआरओ) खाता: विभिन्न नामांकन एजेंसियां (जिसमें सरकारी विभाग, डाकघर और बैंक भी शामिल हैं) अपने

उम्मीदवारों को ईएंडयू प्रचालकों/पर्यवेक्षकों के पद के लिए ऑनलाइन प्रमाणन परीक्षा देने के लिए नामांकित करती हैं। उनके उम्मीदवारों के लिए उनके द्वारा जमा किए गए थोक परीक्षा शुल्क के लिए चालान जारी करने के उनके अनुरोध को समायोजित करने के लिए, यूआईडीएआई ने एक नया एस्क्रो (ईएससीआरओ) खाता खोला है। यूआईडीएआई प्रमाणीकरण परीक्षा के लिए उनके द्वारा जमा की गई राशि के लिए नामांकन एजेंसियों को कर चालान जारी करेगा। इससे ईए को जीएसटी प्राधिकरण से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में मदद मिलेगी।

3.19 उपभोक्ता संबंध प्रबंध

3.19.1 ग्राहक संबंध प्रबंधन यूआईडीएआई के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 अपने विनियम 32, अध्याय VII (शिकायत निवारण तंत्र) में अधिदेशित करता है कि प्राधिकरण (यूआईडीएआई) निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा जो निवासियों के लिए टोल-फ्री नंबरों और/या ईमेल के माध्यम से सुलभ, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए सुलभ होगा। संपर्क केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा:

- प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना और मामले के बंद होने तक उसकी आगे निगरानी करने के लिए निवासियों को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्रदान करना।
- यथासंभव क्षेत्रीय भाषा समर्थन प्रदान करना।
- निवासियों से प्राप्त उनकी पहचान संबंधी जानकारी से जुड़ी किसी भी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

3.20 सहायता सेवाएं – आधार संपर्क केंद्र

3.20.1 यूआईडीएआई ने आधार जीवन चक्र और संबंधित सेवाओं से जुड़े निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने में सहायता के लिए आधार संपर्क केंद्र या संपर्क केंद्र स्थापित किया है। आधार संपर्क केंद्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- एक अखिल भारतीय सुलभ टोल-फ्री नंबर और ईमेल प्रदान करना जिसके प्रयोग से निवासी आधार संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
- भारत के सभी हिस्सों से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करना।
- आधार संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले निवासियों के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली प्रदान करना।
- निवासियों को आधार संपर्क केंद्र के कार्यकारी के साथ बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करना, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।
- निवासी यूआईडीएआई के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- निवासियों के उनके प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायता करने के लिए एक सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) एप्लिकेशन बनाना और उसका अनुरक्षण करना।

3.20.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसरंचना और प्रौद्योगिकी

वर्त्तमान में आधार संपर्क केंद्र में निम्नलिखित शामिल है :

- **टोल-फ्री नंबर 1947:** टोल फ्री नंबर '1947' पर पूरे भारत भर से बात की जा सकती है। यह शॉर्ट कोड श्रेणी। टोल फ्री नंबर है जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा यूआईडीएआई को आबंटित किया गया है। इस शॉर्ट कोड का उपयोग आवक और जावक एसएमएस सेवाओं के लिए भी किया जाता है।
- **संपर्क केंद्र अवसंरचना :** संपर्क केंद्र अवसंरचना में ट्रंक लाइन, पीबीएक्स सोल्यूशन, आईवीआरएस प्रणाली, स्वचालित कॉल वितरक (कॉल सेंटर सुविधाकर्ताओं के मध्य कॉल वितरण के लिए), कंप्यूटर टेलीफोनी एकीकरण इकाई और वॉयस लॉगर सिस्टम (गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए

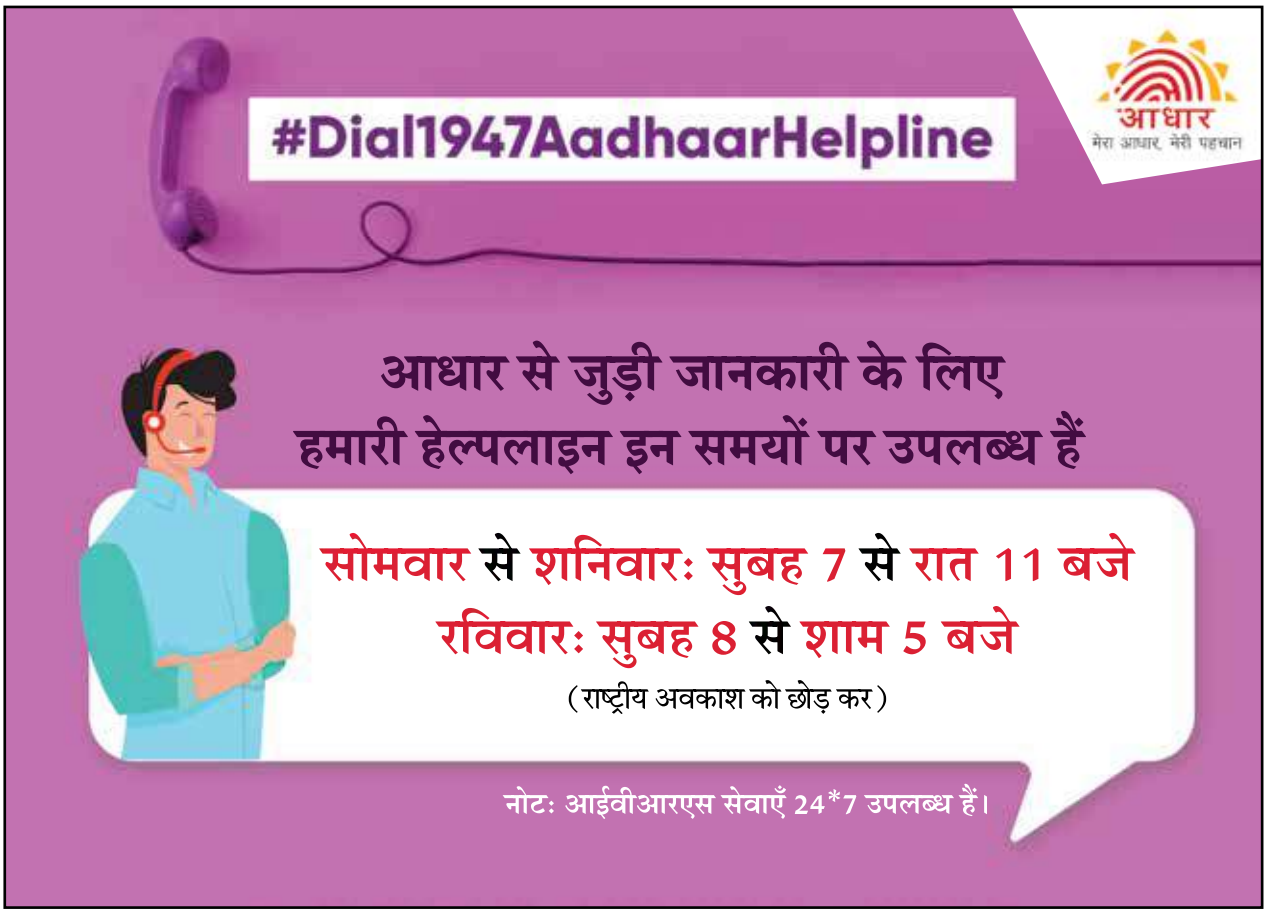

100% कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं) शामिल हैं। आईवीआरएस कॉल करने वालों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस राज्य की स्थिति के अनुसार, जहां से कॉल किया जाता है, उनके साथ हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में संश्लेषित रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से बातचीत करता है। वर्तमान में आईवीआरएस में समर्थित भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमिया और मलयालम हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं:बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।

- 14-अंकीय ईआईडी सर्च पर आधारित आधार नामांकन स्थिति।
- 14-अंकीय यूआरएन नंबर पर आधारित आधार अद्यतनीकरण स्थिति।
- कॉलकर्ता के क्षेत्र पर आधारित आईवीआरएस पर भाषा विकल्प का आसूचना चयन।
- पहले ही लॉग की गई शिकायतों की स्थिति।
- अपना आधार नंबर जानें।
- आधार संपर्क केंद्र कार्यकारी को रूट कॉल, यदि कॉलर द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है।

3.20.3 सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन :

आधार संपर्क केंद्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स (एमएसडी) आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रणाली का केंद्र-बिंदु है और निवासियों के प्रश्नों का निपटान करने के प्रयोजनार्थ संपर्क केंद्र फर्मों (सीसीएफ) को

प्रासंगिक जानकारी देने के लिए यूआईडीएआई की केंद्रीय पहचान डेटा भण्डार (सीआईडीआर) के माध्यम से बैकएंड एकीकरण है। निवासी प्रश्नों या शिकायतों के एंड-टू-एंड समाधान के लिए इसे यूआईडीएआई के डिवीजनों के लिए एकीकृत और विस्तारित किया गया है। एमएसडी-आधारित सीआरएम एप्लिकेशन निवासी को निवारण प्रदान करने के लिए कई जटिल एकीकरणों को संभाल सकता है। सीआरएम एप्लिकेशन का उपयोग मामले के समाधान के लिए यूआईडीएआई के संपर्क केंद्र, प्रभागों, प्रौद्योगिकी केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा किया जाता है। कॉल सेंटर सेवाएं 12 भाषाओं में प्रदान की जाती हैं: असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ईमेल सहायता help@uidai.gov.in पर अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

3.20.4 कॉल परिमाण : आम तौर पर, यूआईडीएआई संपर्क केंद्र में कॉल पैटर्न 1.5 से 2 लाख कॉल/दिन और 2,500 से 3,000 ईमेल प्रतिदिन का होता हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ यह मात्रा बदलती रहती है जिसके परिणामस्वरूप इस परिमाण में अचानक वृद्धि होती है। अधिक नामांकन, अद्यतनीकरण और अधिमान्यकरण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार को जोड़ने के कारण पारियात की वर्तमान मात्रा के कम से कम 5% (वर्ष-दर-वर्ष आधार) की वृद्धि होने की संभावना होती है।

3.21 चैटबॉट सेवाएं

यूआईडीएआई ने आईए/एमएल आधारित चैट समाधान प्रारंभ किया है जो 'आस्क आधार' टैगलाइन के अंतर्गत यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है। इस चैटबॉट को पूर्वपरिभाषित मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट्स (एसआरटी) के आधार पर निवासी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और इसका उद्देश्य निवासी के अनुभव को बेहतर बनाना है। चैटबॉट में अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं जैसे आधार केंद्र का पता लगाना, आधार नामांकन/अद्तनीकरण स्थिति की जांच करना, शिकायत दर्ज करना और वीडियो फ्रेम एकीकरण। आधार चैटबॉट अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। आधार चैटबॉट को प्रतिदिन औसतन 50,000 प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं।

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 आधार डाटा की सुरक्षा एवं निजता

4.1.1 यूआईडीएआई के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए, नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है तथा डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को अत्यंत प्राथमिकता दी जाती है, जो आबद्धकारी मौलिक सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिस पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन साल तक की कैद के साथ दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को कानून के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित स्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सुरक्षा, इष्टतम अनभिज्ञता और फ़ेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आधार का डिजाइन स्वाभाविक रूप से इस तरह किया गया है कि व्यक्ति की सूचनात्मक गोपनीयता की सुरक्षा हो सके। यह नामांकन के समय न्यूनतम डेटा के संग्रह द्वारा, और बाद में अद्यतन के समय, विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार संख्या जारी करने, उस पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र में बदलाव और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने की आवश्यकता वाले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पहचान की पुष्टि करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कोई अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है, कभी भी ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता का कारण बन सके। आधार एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है।

4.2.3 आधार का डिजाइन केवल पहचान पर आधारित है और कुछ नहीं। शुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता

है, जबकि व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, लेकिन तत्पश्चात् उक्त डेटाबेस किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि यूआईडीएआई के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन

4.3.1 भाविपप्रा ने भारत के निवासियों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2 कड़ी परीक्षा और जांच प्रक्रिया के आधार पर चुने गए प्रमाणित ऑपरेटरों के माध्यम से ही निवासियों को पूरे देश में आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार संख्या के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा किसी मामले में उल्लंघन की स्थिति में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डाटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 129.04 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डाटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3 बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डाटा नामांकन के समय 2048 बिट कूट कुंजी से ही कूटबद्ध कर दिया जाता है| इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उपलब्ध सुरक्षित अकूटन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध विश्व के सबसे तीव्रतम कंप्यूटर से भी इस कूटन कुंजी को भेदने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डाटाबेस से किसी नामांकित निवासी के मूल बायोमेट्रिक तक अनधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1 आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल हां/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डाटा निजता को सुरक्षित रखते हुए निवासी के पहचान दावे का एप्लिकेशनों के द्वारा "सत्यापन" करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डाटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों की आधार डाटाबेस तक एक्सेस नहीं है।

4.4.2 आधार ई-केवाईसी सेवा निवासी को, अपने आधार पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए यूआईडीएआई को अधिकृत करने की अनुमति देता है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, सफल निवासी अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा

4.5.1 आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डाटा भाविपप्रा के केंद्रीय निधान में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डाटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन

तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर-अनिवार्य डाटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डाटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डाटा – मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डाटाबेस में आधार का उपयोग कर रही विद्यमान प्रणाली या अनुप्रयोगों से कोई संयोजन उपलब्ध नहीं होता है।

4.5.2 यह केन्द्रीकृत मॉडल के स्थान पर अनिवार्य रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों/व्यवस्थाओं (निवासियों के डाटा के विकेंद्रित मॉडल) के डाटा समूह तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी निवासी से संबंधित पूर्ण जानकारी तथा उसके अधिप्रमाणन का इतिहास पता चल पाने का एक केंद्रीकृत मॉडल में बना रहने वाला जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डाटा की कोई पुलिंग नहीं

आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डाटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिज़ाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फ़ेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। यह दृष्टिकोण विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित सूचनाओं को रहने की अनुमति देता है।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1 आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजना के लिए यूआईडीएआई के दौरान पंजीकृत एक के अलावा अन्य), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य जानकारी जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) का उपयोग करके जन्म या निवास का स्थान, आधार संख्या में एम्बेडेड नहीं है। आधार संख्या एक यादृच्छिक संख्या है जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2 अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का "उद्देश्य" और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार संख्या धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते को खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है इत्यादि।

4.8 स्थान की जानकारी नहीं

यूआईडीएआई अधिप्रमाणन प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात् आधार अधिप्रमाणन उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से अधिप्रमाणन अनुरोध भेजा जाता है, जिससे किसी निवासी के ट्रैक होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 विकेंद्रित डाटा तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डाटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह निवासी विशिष्ट संव्यवहार डाटा सामान्य डेटाबेस में विकेंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार संख्या के उपयोग के माध्यम से) भाविपप्रा से संदर्भित होती हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु बैंक में धारित किसी डाटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक भाविपप्रा एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार संख्या का समावेश लाभार्थी के डाटाबेस से किसी प्रकार के डाटा से भाविपप्रा के डाटाबेस में पुलिंग के बिना संव्यवहार किया जाता है।

4.10 आधार डाटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डाटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

4.10.3 आधार डाटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईको-सिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी ने आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 यूआईडीएआई आईएसओ/आईईसी 29100:2011 और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 के रूप में प्रमाणित है।

यूआईडीएआईको पहले से आईएसओ/आईईसी 29100:2011 (सूचना प्रबंधन - सुरक्षा तकनीक - केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के लिए गोपनीयता ढांचा और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीय सूचना प्रबंधन प्रणाली) के रूप में मैसर्स बीएसआई ग्रुप इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रमाणित है।

4.13 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोषणा

निवासी डेटा की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखी जाती है, जो सूचना परिसंपतियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके। यूआईडीएआई की सुरक्षा की निगरानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआईआईपीसी और एनसीसीसी के माध्यम से साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और अन्य माध्यमों से भी की जा रही है।

4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

जीआरसीपी ढांचे का विज़न, यूआईडीएआई के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में यूआईडीएआई और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ यूआईडीएआई प्रबंधन प्रदान करता है।

4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन

यूआईडीएआई की सुरक्षा को विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों के नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन के जरिए और बढाया गया है।

4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा में सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय उपागम युक्त सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है। यूआईडीएआई एनएबीएल इंडिया से आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के तहत फारेंसिक लैब को मान्यता देने की प्रक्रिया में है।

5. आधार - सुशासन में उपयोग

5.1 आधार - सुशासन में सुधार हेतु एक उपकरण

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार : आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवनचक्र में बदला नहीं जा सकता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर, आधार एक 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में कोई भी भुगतान अंतरित करने के लिए 12-अंकीय आधार नंबर पर्याप्त है। इस प्रकार यह अन्य ब्योरा यथा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार भी देता है कि वह किस बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत धन प्राप्त करना चाहता है, जिसे लाभार्थी द्वारा कभी भी बैंक खाता लिंकिंग फॉर्म भरकर अपने आधार की एक प्रति जमा करने के द्वारा बदला जा सकता है, जैसा कि भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अनुमोदित है। 19 दिसंबर 2017 से, प्रक्रिया को सरल बनाने और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक में डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण की सुभेद्यता को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2021 तक, एनपीसीआई मैपर पर [डेटा स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - एनपीसीआई] 73 करोड़ से अधिक आधार को बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है। ग्राफ 8 मई 2014 से विशिष्ट रूप से बैंक खातों से जुड़े आधार नंबरों की प्रगति प्रदान करता है (डेटा स्रोत: एनपीसीआई)।

5.1.2 आधार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां जैसे ऐईपीएस, एपीबी और भीम आधार विकसित की गई हैं और इनका संचालन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जा रहा है, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित खंडों में किया गया है।

ग्राफ 8 - बैंक खातों से जुड़े विशिष्ट आधारों की प्रगति

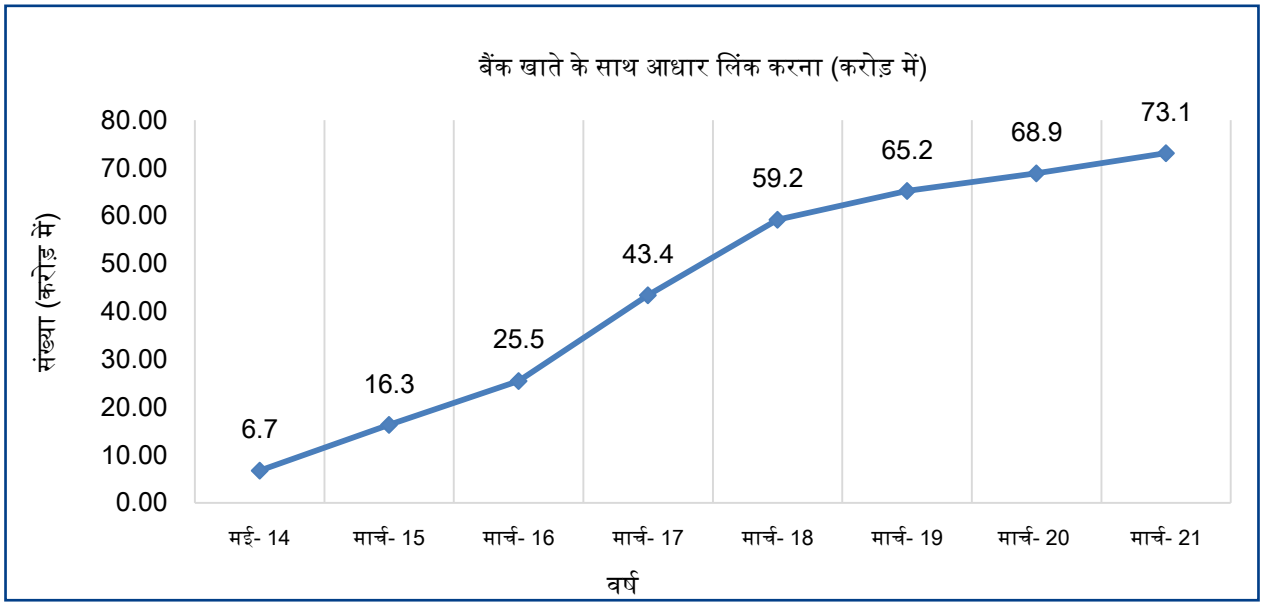

ग्राफ 9 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से

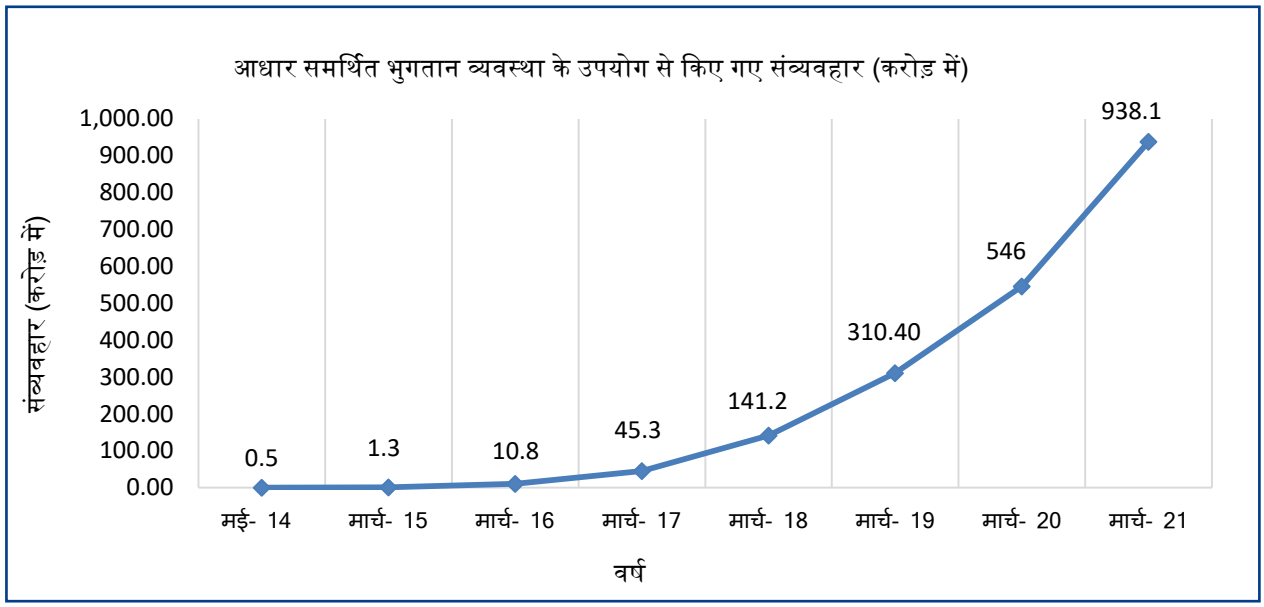

5.1.3 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) : आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या एईपीएस माइक्रो एटीएम में उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बैंकों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एईपीएस प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आधार का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन जैसे निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि करने में सहायता प्रदान करता है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 938.14 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 119 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 27.86 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के दौरान 392 करोड़ से अधिक एईपीएस संव्यवहार गए हैं, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 236 करोड़ की तुलना में लगभग 66% अधिक है। इसने डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक सुविधा प्रदान की और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता की। ग्राफ-9 में मई, 2014 से माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दर्शाया गया है (डाटा स्रोत:एनपीसीआई)।

5.1.4 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी): आधार भुगतान ब्रिज अथवा एपीबी एक अन्य भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार और निवासीदोनों पक्षों को, लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। यह मुख्यत: सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संबंद्ध (लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वत: अंतरण हो पाता है।

5.1.5 ईको-सिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, 992 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। कुल मिलाकर, 773 करोड़ से अधिक के लेनदेन को सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 3,86,057 करोड़ रुपए, पिछले साल (राशि 2,81,493 करोड़) की तुलना में 37% की वृद्धि है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमश: ग्राफ 10 और 11 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दर्शाते हैं (डाटा स्रोत: एनपीसीआई)।

ग्राफ 10 - आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

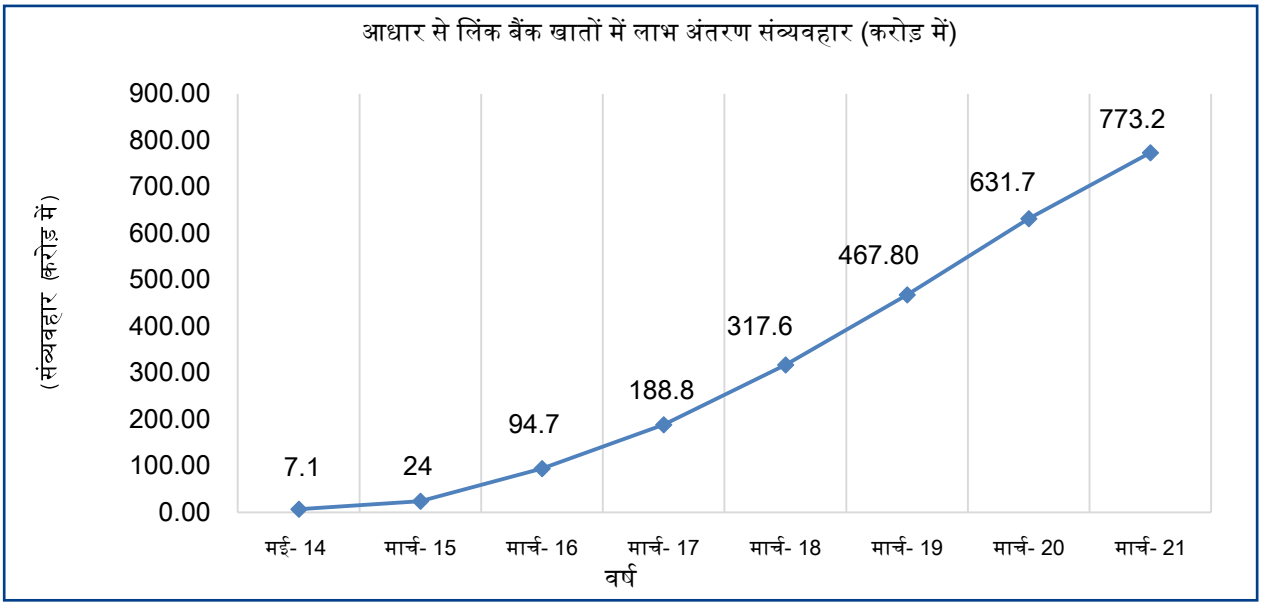

ग्राफ 11- आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति

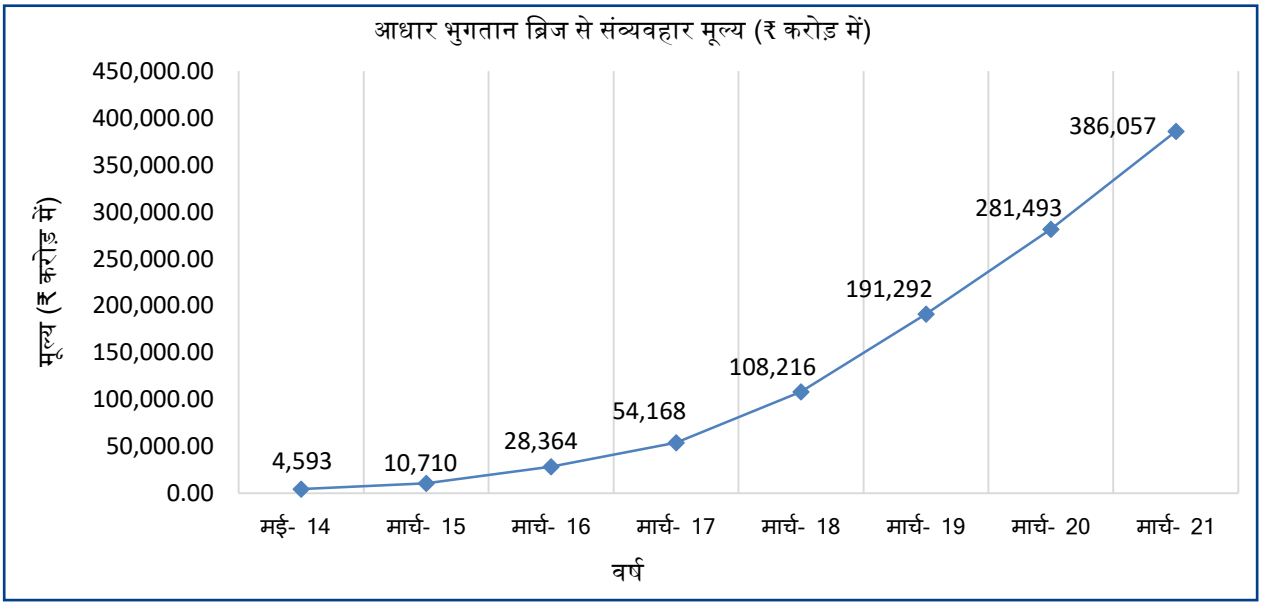

5.1.6 भीम आधार : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित, आधार-लिंक्ड भीम मोबाइल ऐप्प एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है। भीम आधार भुगतान व्यापारियों को, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से काउंटर पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यह ग्राहक के बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित करके किसी भी बैंक के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने के लिए इसे किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक से जुड़े किसी भी व्यापारी को भीम आधार पे पर लाइव होने की अनुमति प्रदान करता है। यह आंतरिक भुगतान के तरीके में बदलाव करता है, जिससे उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और सही मायने में डिजिटल रखा गया है।

5.1.7 एक बैंक खाता धारक व्यापारी और एक सामान्य कम-लागत वाला एंड्रॉइड स्मार्ट फोन लगभग 2,000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त करके और गुगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके एक डिजिटल व्यापारी बन सकता है, इस प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों से कैशलेस भुगतान लेने में सक्षम होता है। वर्तमान में इसे 83 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है और 1.21 लाख से अधिक व्यापारी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2021 तक, इसके द्वारा कुल मिलाकर लगभग 3.38 करोड़ लेनदेन किए गए हैं।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2021 के अनुसार, पहल (पीएएचएएल), मनरेगा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं में 773 सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 3,86,057 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

5.3 प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.3.1 अधिनियम 2016 [आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को पहचान के रूप में आधार को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, यूआईडीएआई को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2021 तक, केंद्र सरकार में 48 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत 312 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 177 अधिसूचनाएं जारी की हैं (डाटा स्रोत: eGazette.nic.in) ।

5.3.2 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया जाएगा। तदनुसार, यूआईडीएआई ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वयस्कों और बाल लाभार्थियों के लिए दिशानिर्देशों में, धारा 7 अधिसूचनाएं जारी करते समय मानक

टेम्पलेट्स का अलग से उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों को रेखांकित किया गया है। 31 मार्च 2021 तक, धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा 100 से अधिक योजनाएं अधिसूचित की गईं।

5.4 राष्ट्र हित में निर्धारित प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत आधार का उपयोग

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। इस संशोधन के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2020 को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गतकेंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के लीकेज को रोकने, निवासियों के सुलभ जीवन को बढ़ावा देने तथा उनके लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, स्वैच्छिक तौर पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 18.08.2020 के परिपत्र संख्या 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम-II) के माध्यम से उपरोक्त नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रारूप और दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के उपरांत, 31 मार्च 2021 तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों के 11 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

6. यूआईडीएआई के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीडन मामलों का निवारण

6.1.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 2 फरवरी 2015 के का.ज्ञा. सं. 11013/2/2014-स्था.क-III में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका 9 में दी गई है।

तालिका 9 - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामलों की रोकथाम (2020-21)

क्र. सं.	वर्णन	वित्त वर्ष 2020-21
1.	वर्ष में यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतें	शून्य
2.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	शून्य
3.	90 दिन से अधिक समय से लंबित पड़े मामले	शून्य
4.	यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध और सुधार के लिए वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं	5 (मुख्यालय और आरओ/ प्रौद्योगिकी केंद्र)
5.	कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं

6.1.2 उक्त अधिनियम और उसके प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुरूप (जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा-निर्देश भी शामिल हैं), यूआईडीएआई ने 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण नीति' (पीओएसएच नीति) तैयार की है, जो यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध है।

6.2 यूआईडीएआई में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 यूआईडीएआई अपने मुख्यालय के साथ-साथ इसके सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमों और साथ ही इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई/डीडीजी (एचआर) की अध्यक्षता में मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें अन्य मदों/विषयों के अलावा, हिंदी के प्रगामी उपयोग पर चर्चा की गई तथा यूआईडीएआई के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के उपयोग में वृद्धि करने के संबंध में निर्णय लिए गए और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विशेष रूप से क्षेत्र क, ख और ग में हिंदी में मूल पत्राचार के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान अधिकारियों को राजभाषा नीतियों/नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए तीन कार्यशालाओं (एक वेबिनार सहित) का भी आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के 130 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.2.3 यूआईडीएआई मुख्यालय में 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर सीईओ का हिंदी संदेश जारी किया गया। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में चार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में यूआईडीएआई मुख्यालय के 106 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

6.2.4 सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, यूआईडीएआई हर वर्ष अपने मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वतंत्र रूप से हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिए एक प्रोत्साहन योजना को लागू करता है। यूआईडीएआई मुख्यालय के सात कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। 24 मार्च 2021 को सीईओ, यूआईडीएआई द्वारा 2020-21 की हिंदी प्रतियोगिताओं और 2019-20 की प्रोत्साहन योजना के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

6.2.5 वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में दिए गए लक्ष्य के अनुसार, नवंबर-दिसंबर, 2020 के दौरान निरीक्षण दल द्वारा चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालयों का हिंदी निरीक्षण किया गया था। 07 नवंबर, 2020 को यूआईडीएआई मुख्यालय का हिंदी निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा किया गया था। निरीक्षण संतोषजनक रहा और समिति द्वारा यूआईडीएआई के प्रयासों की सराहना की गई।

6.3 नागरिक चार्टर

यह संगठन की ओर से अपने सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक साधन है। नागरिक चार्टर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। नागरिक चार्टर यूआईडीएआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://uidai.gov.in/images/uidai_citizen_charter_final.pdf

6.4 इंट्रानेट और ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

'इंट्रानेट और ज्ञान प्रबंधन पोर्टल' (केएम पोर्टल) यूआईडीएआई द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म है जो यूआईडीएआई कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, सूचनाओं के बेहतर अदन-प्रदान और टीम के रूप में कार्य करने को बढ़ावा देता है। केएम पोर्टल में केएम डैशबोर्ड है जहां नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, यूआईडीएआई से संबंधित अन्य दस्तावेज आदि विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, यूआईडीएआई में मानव संसाधन प्रभाग के अंतर्गत आरटीआई प्रकोष्ठ सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित मामलों को संसाधित करता है। साथ ही, उसी के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनके निर्देशों के अनुसार सीआईसी को भेजी जाती है। वर्ष के दौरान, विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) द्वारा क्रमशः 2315 आरटीआई आवेदनों और 302 अपीलों पर कार्रवाई की गई। यूआईडीएआई के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) की सूची को भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य मदों के साथ नियमित रूप से तैयार/अद्यतन किया जाता है और यूआईडीएआई कीआधिकारिक वेबसाइट : www.uidai.gov.in पर "आरटीआई" टैब के तहत पोस्ट किया जाता है।

6.6 यूआईडीएआई की वेबसाइट

6.6.1 यूआईडीएआई वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in) भारत के निवासियों के लिए सिंगल क्लिक आधार ऑनलाइन सेवा विंडो है, साथ ही यह विभिन्न पारिस्थितिकी-तंत्र भागीदारों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्राथमिक वेब सूचना केंद्र है। भारत में अधिकांश निवासी मोबाइल के माध्यम से आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी चाहते हैं। उन मोबाइल उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए और आधार सेवाओं की पहुंच में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, यूआईडीएआई वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टलों को हाल ही में नया रूप दिया गया है और इन्हें बहु-उपकरण हितैषी बनाया गया है। इसके अलावा, देश की विविध जनसांख्यिकी के लिए जानकारी अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट और अन्य सेवा पोर्टलों का होम पेज ऊपर दिखाया गया है:-

6.6.2 यूआईडीएआई वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

- यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी यूएक्स कि आधार सेवाओं और जानकारियों तक पहुँच बनाने के दौरान मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव हासिल हो।

- सबसे अधिक मांग वाली आधार सेवाओं को वेबसाइट के भीतर रखने के स्थान पर यूआईडीएआई वेबसाइट आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। स्पष्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, निर्बाध दो-चरणीय नेविगेशन, सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और सर्च विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।

- आधार नामांकन, अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकियों, यूआईडीएआई इकोसिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज, जो नामांकन और अधिप्रमाणन प्रणालियों/प्रक्रियाओं और विभिन्न आधार सेवाओं पर प्रशासनिक और तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- नवीनतम समाचारों, प्रेस विज्ञप्तियों, वीडियो, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभियानों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के नियमित अपडेट।

- वेबसाइट में संपर्क अनुभाग मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों में विभिन्न प्रभागों और पदाधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदान करता है।

- वेबसाइट भारत सरकार की त्वरित आकलन प्रणाली (आरएएस) के साथ एकीकृत है, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट और अन्य उपलब्ध आधार ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अनुभाग निवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आधार सेवाओं पर विशिष्ट आधार सेवाओं से प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वेबसाइट देश भर में सृजित किए गए आधार और किए गए अधिप्रमाणन की कुल संख्या से संबंधित विश्लेषण प्रदर्शित करती है। वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित है और वर्तमान में जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के लिए एसटीक्यूसी द्वारा इसकी ऑडिट की जा रही है। सोशल मीडिया अनुभाग निवासियों को नवीनतम अपडेट देखने और यूआईडीएआई के फेसबुक और ट्विटर पेजों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है।

6.6.3 सामान्य भंडारण के रूप में यूआईडीए वेबसाइट

यूआईडीएआई वेबसाइट निम्नलिखित के लिए सामान्य भंडारण के रूप में कार्य करती है :

- नीतियां, दिशानिर्देश, जांच-सूचियां और अन्य ऑन-बोर्डिंग दस्तावेज जो पारिस्थितिकी-तंत्र भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधन अनुभाग में उपलब्ध हैं।

- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को विधि अनुभाग के तहत प्रमुखता से रखा गया है।

- राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के साथ समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए निविदाएं और संबंधित दस्तावेज संसाधन अनुभाग में नामांकन दस्तावेजों और यूआईडीएआई दस्तावेजों के तहत उपलब्ध हैं।

- समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, आधार से संबंधित अभियान, वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में, मीडिया अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

6.6.4 ऑनलाइन आधार सेवाओं और अन्य पोर्टलों तक सिंगल-पॉइंट एक्सेस

यूआईडीएआई वेबसाइट निम्नलिखित सेवा, विश्लेषण और व्यवसाय पोर्टलों तक भी प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करती है:-

- नामांकन केंद्र ढूंढें
- अपॉइंटमेंट बुक करें
- आधार स्थिति की जाँच करें
- आधार डाउनलोड करें
- खोया अथवा भूला यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करें
- आधार पीवीसी कार्ड आर्डर करें
- आधार पीवीसी कार्ड स्थिति की जांच करें
- नामांकन/अद्यतनीकरण केंद्र पर आधार अद्यतन बनाएं
- आधार अद्यतनीकरण स्थिति की जांच करें
- जनसांख्यिकी डेटा ऑनलाइन अद्यतन बनाएं
- ऑनलाइन जनसांख्यिकी अद्यतनीकरण स्थिति की जांच करें

- आधार अद्यतनीकरण इतिहास
- आधार नंबर सत्यापित करें
- ई-मेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- आधार बैंक/एकाउंट लिंकिंग स्थिति की जांच करें
- वर्चुअल आईडी (वीआईडी) सृजक
- बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें
- आधार लॉक और अनलॉक सेवा
- आधार अधिप्रमाणन इतिहास
- आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी
- एसएमएस पर आधार सेवाएं

6.6.5 आधार डैशबोर्ड : एनालाइटिक डैशबॉक्स आधार नामांकन, अद्यतनीकरण, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए वृहत डेटा प्रदर्शित करता है।

6.7 एकीकृत मोबाइल एप

यूआईडीएआई ने हाल ही में एम-आधार एप का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है जो पहले से विकसित मोबाइल एप्लिकेशन (एम-आधार, रेजिडेंट ऐप और क्यूआर कोड स्कैनर) को एक ही एप में एकीकृत करता है। एप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है और इसमें आधार सेवाओं की एक श्रृंखला विद्यमान है जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्सेस किया जा सकता है। एप आधार धारक के लिए एक व्यक्तिगत भाग प्रदान करता है, जो हर समय भौतिक प्रति अपने साथ रखने के स्थान पर एक सॉफ्टकॉपी के रूप में आधार की जानकारी लेकर चल सकता है। निवासी आधार के साथ या आधार के बिना इस ऐप को अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तथापि, वैयक्तिक आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासी को एप में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों के निवासियों तक पहुंच बनाने के लिए, इस एप को अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

6.8 ई-ऑफिस क्रियान्वयन

एडमिन डिवीजन ने पूरे यूआईडीएआई में ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है जिसके परिणामस्वरूप फाइल वर्क 100% पेपरलेस हो गया है। ई-ऑफिस की औपचारिक रूप से शुरुआत 15 सितंबर, 2020 को एनआईसी की मदद से की गई थी और एप्लिकेशन को इसके भुवनेश्वर डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है। कार्यालय का काम ईऑफिस के माध्यम से करने के इस ऑनलाइन माध्यम ने कार्यालय प्रक्रिया को बहुत तेज, सरल और परेशानी मुक्त बना दिया है जो वर्तमान महामारी परिदृश्य के दौरान अनिवार्य रूप से सहायक है।

6.9 आवासीय परिसर

यूआईडीएआई कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के लिए एक परियोजना चल रही है। भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा 02 अगस्त 2018 को यूआईडीएआई को 2.0 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी और इसे 12 अक्टूबर 2018 को यूआईडीएआई को सौंप दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, यूआईडीएआई ने 15 अप्रैल, 2019 को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के लिए मैसर्स ईआईएल के साथ एक समझौता किया। उत्तर डीएमसी ने 12 नवंबर, 2020 को भवन योजनाओं को मंजूरी दी और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अंतिम सहमति मैसर्स ईआईएल को 13 नवंबर, 2020 को दी गई थी। निर्माण गतिविधियों को 13 नवंबर 2020 से शुरू किया गया था और परियोजना की संभावित पूर्णता तिथि 12 नवंबर 2022 है। इस परिसर में कुल 105 क्वार्टर बनाए जाने की योजना है: टाइप VIII-1, टाइप VI-9, टाइप V=24, टाइप-IV=20, टाइप III/II=51.

6.10 यूआईडीएआई मुख्यालय बह्वन के लिए फाइव स्टार गृह रेटिंग (फाइनल)

यूआईडीएआई मुख्यालय भवन एनसीआर में एक अत्याधुनिक इमारत है और आरंभ में इसे 2018 में गृह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) परिषद द्वारा पांच सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया था। परिषद ने 2020 में यूआईडीएआई मुख्यालय भवन का फिर से ऑडिट किया है और 12 अक्टूबर 2020 को भवन को फाइव स्टार गृह रेटिंग (फाइनल) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो भवन की अंतिम रेटिंग अर्थात 12 अक्टूबर 2020 की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध है।

7. भावी योजनाएं

7.1 नामांकन और अद्यतनीकरण प्रभाग

7.1.1 पांच दिवसीय आधार - इस पहल के दायरे में, कुछ व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से संरेखित किया जाएगा और एआईएमएल जैसे कई तकनीकी हस्तक्षेप किए जाएंगे ताकि नामांकन और अद्यतन अनुरोधों के प्रसंस्करण समय को कम किया जा सके। इसके तहत 5 दिन के भीतर 70% अनुरोधों के प्रसंस्करण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

7.1.2 सहयोगात्मक क्यूसी: ईएंडयू नामांकन के समय निवासियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता को सत्यापित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित गुणवत्ता जांच की शुरूआत का प्रस्ताव करता है। रेजिडेंट्स इनबॉक्स से या जारी करने वाले प्राधिकारी से दस्तावेजों को पुनःप्राप्त करने के लिए डिजिलॉकर के साथ चर्चा शुरू की गई है। नामांकन/अद्यतन प्रक्रिया के दौरान निवासी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर दस्तावेज़ को पुनः प्राप्त किया जाएगा। डिजिलॉकर से पीडीएफ/एक्सएमएल प्रारूप में प्राप्त दस्तावेज को वास्तविक समय के आधार पर जनसांख्यिकी डेटा के लिए मान्य किया जाएगा और प्रक्रिया के परिणाम निवासी को सूचित किए जाएंगे।

7.1.3 नामांकन के लिए प्रमाण दस्तावेज के रूप में ई-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव: अब तक, अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है और जिन निवासियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, वे आधार में नए नामांकन और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों के अद्यतन के लिए ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यूआईडीएआई ने राजपत्रित अधिकारियों/सांसद/विधायक आदि द्वारा यूआईडीएआई द्वारा अनुमोदित प्रारूप में ई-हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की अवधारणा को पेश करने का प्रस्ताव किया है। इसके द्वारा प्रमाण-पत्र पर ई-हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को अपने आधार नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रस्ताव किया गया है।

7.2 अधिप्रमाणन प्रभाग

7.2.1 फिंगरप्रिंट इमेज रिकॉर्ड : यूआईडीएआई के अधिप्रमाणन एपीआई में एफएमआर (फिंगरप्रिंट मीनूशिए रिकॉर्ड) और एफआईआर (फिंगरप्रिंट इमेज रिकॉर्ड) का प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन अनुरोध को भेजने का प्रावधान है। फिंगरप्रिंट की जीवंतता की जांच करने के लिए, यूआईडीएआई ने एफआईआर आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित मॉडल विकसित किया है। एफआईआर आधारित प्रमाणीकरण के दौरान, फिंगरप्रिंट छवियों की मौलिकता (लाइवनेस) को मान्य करने के लिए यूआईडीएआई के स्वदेशी एआई/एमएल मॉडल द्वारा एफआईआर की छवि कुछ जांचों से होकर गुजरेगी। यूआईडीएआई को एफआईआर आधारित अधिप्रमाणन अनुरोध भेजने के लिए अनुरोधकर्ता संस्थाओं को अपने अधिप्रमाणन आवेदनों में प्रावधान करना होगा। एफआईआर आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन मौजूदा एफएमआर आधारित उपकरणों पर कार्य करेगा जिसमें डिवाइस विक्रेताओं द्वारा शुरू की गई अतिरिक्त सेवा/उन्नयन भी शामिल होगा। वर्तमान में, 24 अनुरोधकर्ता संस्थाएं एफआईआर आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन कर रही हैं। 31 मार्च, 2021 तक कुल 1.25 करोड़ एफआईआर अधिप्रमाणन लेनदेन किए गए हैं।

7.2.2 ध्वनि अधिप्रमाणन : यूआईडीएआई का निरंतर प्रयास है कि पारिस्थितिकी-तंत्र में तकनीकी सुधारों को आरंभ किया जाए और प्रयोक्ता-हितैषी प्रौद्योगिकी प्रदान करके प्रयोक्ता अनुभव में वृद्धि की जाए तथा निवासियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए संपर्करहित

प्रमाणीकरण एक ऐसा ही कदम है। यूआईडीएआई आधार इकोसिस्टम में ध्वनि प्रमाणीकरण के उपयोग की संभावना का पता लगाएगा क्योंकि यह संपर्करहित प्रमाणीकरण के माध्यम से निवासियों के लिए प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त माध्यम प्रदान कर सकता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन को पूर्ण संपर्करहित प्रणाली अधिप्रमाणन बनाने के लिए ध्वनि अधिप्रमाणन का प्रयोग किया जा सकता है। ध्वनि अधिप्रमाणन उन निवासियों के लिए अधिप्रमाणन के वैकल्पिक तरीके के रूप में भी सहायक होगा जो उंगली या आईरिस का उपयोग करके अधिप्रमाणन कर पाने में सक्षम नहीं हैं। यूआईडीएआई के पास अधिप्रमाणन करने के लिए डेटाबेस में निवासियों का ध्वनि सैंपल नहीं है। डी-डुप्लीकेशन करने के लिए, प्रत्येक निवासी की आवाज का नामांकन किया जाएगा।

7.3 सीआरएम और संभारिकी तंत्र प्रभाग

7.3.1 प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ समन्वय करते हुए प्रिंट एप्लीकेशन का स्वचालन

इसमें भविष्य में ओएसी का सरल और निर्बाध मुद्रण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन शामिल है।

7.3.2 नई प्रगत संपर्क केंद्र अवसरंचना

हमारी वर्तमान संपर्क केंद्र अवरंचना लगभग 7 साल पुरानी है और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कई महत्वपूर्ण घटकों को अद्यतन बनाने या फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है जैसे प्रगत विशेषताओं को एकीकृत करने के लिए सीआरएम और ध्वनि सोल्यूशन और ओमनी चैनल संदर्भ आधारित दृष्टिकोण। इसके साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए, यूआईडीएआई सभी महत्वपूर्ण इंटरैक्शन चैनलों, तकनीकी स्वचालन और वेब इंटरफेस को मजबूत बनाकर अपने वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का नवीकरण करने की योजना बना रहा है।

7.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन प्रभाग

प्रमाणन परीक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री और प्रश्न बैंक का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि संबंधित प्रभागों के संचालन में नए विकास और परिवर्तनों को समायोजित किया जा सके। इस संदर्भ में, परीक्षण और प्रमाणन प्रभाग संबंधित प्रभागों के साथ मौजूदा प्रशिक्षण सामग्री के संशोधन की पहल करेगा और इसे आगामी वित्तीय वर्ष में लागू करेगा।

8. वित्तीय कार्यनिष्पादन

8.1 यूआईडीएआई निधि

वर्ष 2017-18 तक, ब्याज और बकाया सहायता-अनुदान (जीआईए) सहित यूआईडीएआई की सभी आय, भारत के समेकित कोष में वापस जमा की जा रही थी। मार्च, 2019 में, भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, यूआईडीएआई की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग यूआईडीएआई निधि का गठन किया गया था। आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन द्वारा निधि का गठन किया गया था। यूआईडीएआई निधि के संबंध में आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 इस प्रकार है:

"25 (1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें –

(क) इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार तथा

(ख) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाएगी।

(2) निधि को –

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और देय पेंशन सहित प्रशासनिक व्यय; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत वस्तुओं और उद्देश्यों के खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।"

8.2 बजट एवं व्यय

8.2.1 यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्ष में नामत: सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत प्राप्त करता है। स्थापना से अब तक यूआईडीएआई के बजट और व्यय को तालिका 10 में दिया गया है तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट और व्यय का सार तालिका 11 में दिया गया है।

8.2.2 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य शीर्ष के तहत व्यय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से ₹ 149.52 करोड़ से अधिक हो गया है। (प्राप्त अनुदान+अव्ययित शेष: ₹ 652.69 करोड़, व्यय: ₹ 802.21 करोड़)। अतिरिक्त खर्च को यूआईडीएआई की आय से पूरा किया गया।

8.2.3 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 600.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन को मंजूरी दी गई।

तालिका 10 - बजट एवं व्यय (स्थापना से)

2009-10 से 2020-21 तक बजट एवं आवंटन			
वर्ष	बजट आकलन (₹ करोड़ में)	संशोधित आकलन (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1,900.00	273.80	268.41
2011-12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012-13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013-14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014-15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,345.00	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.13@
2020-21	985.00	613.00	893.27#

@ पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।

अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष के अव्ययित शेष एवं यूआईडीएआई की आय से की गई।

ग्राफ 12 - बजट और व्यय (स्थापना से)

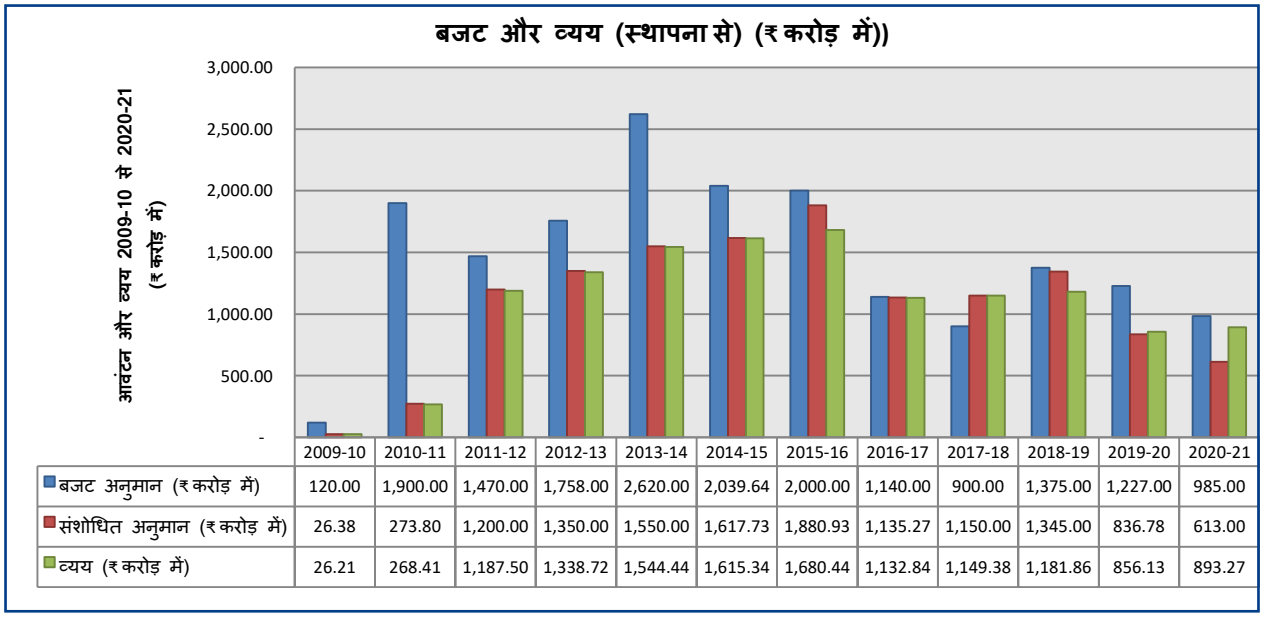

तालिका 11 - 31 मार्च 2021 तक की संक्षेप में वित्तीय स्थिति

आबंटन एवं व्यय 2009-10 से 2020-21						
अनुदान शीर्ष	**बीई 2020-21 (करोड़ ₹ में)**	**01.04.2020 के अनुसार पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान (करोड़ ₹ में)**	**आरई 2020-21 (करोड़ ₹ में)**	**एमईआईटीवाई से प्राप्त कुल निधि अव्ययित अनुदान सहित) (करोड़ ₹ में)**	**31.03.2021 तक व्यय (करोड़ ₹ में)**	**आरई 2020-21 के संदर्भ में व्यय का %**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	**(7)**
अनुदान सहायता - सामान्य	798.50	121.69	531.00	652.69	802.21#	151.07%
अनुदान सहायता – पूंजीगत	130.00	16.69	35.00	51.69	47.80@	136.57%
अनुदान सहायता - वेतन	56.50	5.40	47.00	52.40	43.26	92.04%
कुल	**985.00**	**143.78**	**613.00**	**756.78**	**893.27**	**145.72%**

आरई के संदर्भ में सहायता अनुदान-सामान्य के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि और यूआईडीएआई आय से की गई।

@ आरई के संदर्भ में सहायता अनुदान-पूंजीगत के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि से की गई।

8.3 सेवाओं से आय

मार्च, 2019 माह में, यूआईडीएआई ने अधिप्रमाणन सेवा प्रयोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए हां/नहीं अधिप्रमाणन सेवा और ईकेवाईसी सेवाओं के लिए हां/नहीं के लिए शुल्क लेना आरंभ किया। इसके अलावा, यूआईडीएआई ने अपने आधार सेवा केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें निवासी नामांकन और अद्यतन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2020-21 में विभिन्न सेवाओं के द्वारा हुई आय को तालिका 12 में दर्शाया गया है।

तालिका 12 - वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सेवाओं से हुई आय का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (₹ करोड़ में)	लाइसेंस फीस (₹ करोड़ में)	आधार पुनमुर्द्रण (₹ करोड़ में)	आधार सेवा केंद्र (₹ करोड़ में)	पीवीसी कार्ड (₹ करोड़ में)	एसएसयूपी (₹ करोड़ में)	ब्याज से आय (₹ करोड़ में)	अन्य आय (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)
2020-21	156.06	30.20	1.63	17.18	12.78	16.84	9.68	3.47	247.84

ग्राफ 13 - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सेवाओं से आय का विवरण

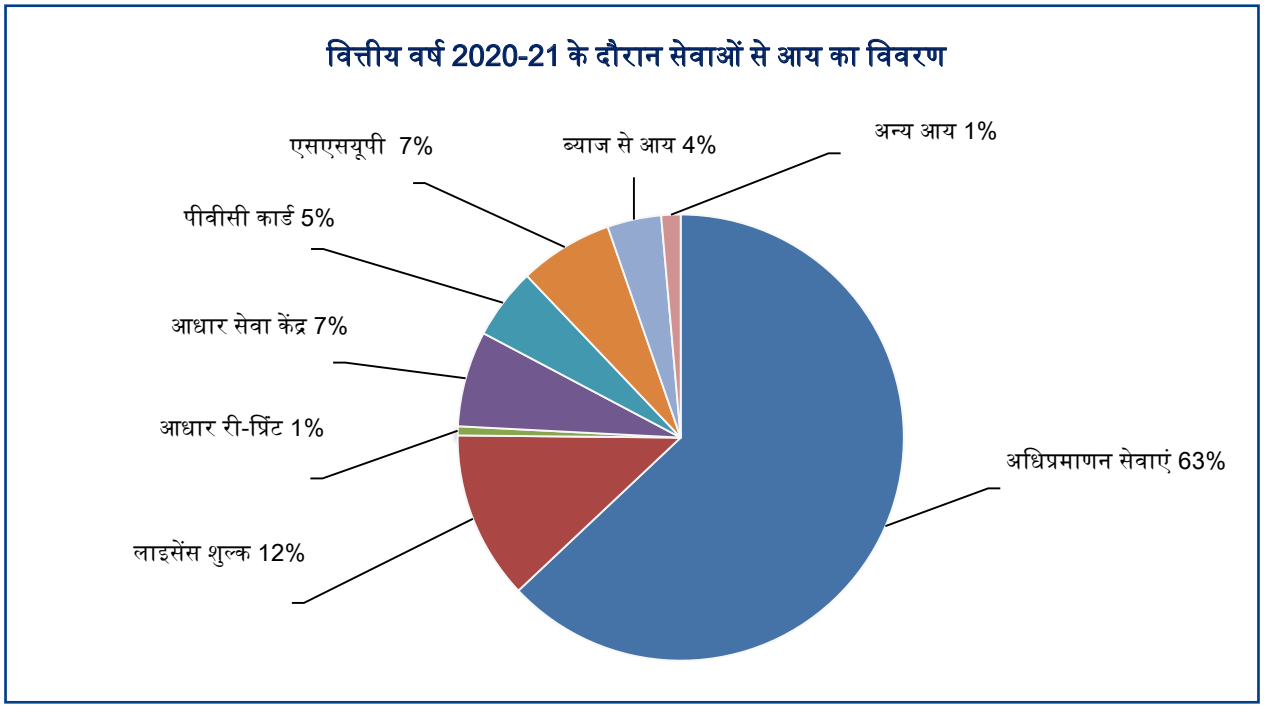

9. वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश, 2019 (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों का लेखापरीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन युक्तिसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए करें ताकि वित्तीय विवरण तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित तथ्यों की जांच सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

I. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

II. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

III. हमारी राय में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा लेखा-बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप से किया गया है।

IV. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

क 31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

निर्धारित/अक्षय/यूआईडीएआई निधि (अनुसूची 3)

आधार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक पृथक यूआईडीएआई निधि सृजित की गई, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों, शुल्कों एवं प्रभारों को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार सृजित निधि से वेतन लाभ भत्ते एवं प्रचालन कार्य किए जाते हैं।

1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार सृजित यूआईडीएआई निधि में प्रारंभिक शेष राशि 388.63 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान इस निधि में लाइसेंस, अधिप्रमाणन, नामांकन सेवाएं, आधार पुनर्मुद्रण से प्राप्त आय, पीवीसी कार्ड सेवाएं, जुर्माना, परिनिर्धारित नुकसानियों और आर्थिक दंड, ब्याज, किराया आदि से आय के रूप में इस लेखे में 935.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस निधि के माध्यम से अचल परिसंपत्तियों, कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी आदि और अन्य प्रशासनिक व्ययों पर 893.27 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार खाते में 430.76 करोड़ रुपए निधि शेष थी।

उपर्युक्त निधि की प्रकृति पर विचार करते हुए, "निर्धारित/अक्षय/ यूआईडीएआई निधि" नामक अनुसूची 3 में दर्शाई गई यूआईडीएआई निधि, स्वायत्त निकाय के लिए अनुमोदित लेखा फॉर्मेट में नहीं है। यूआईडीएआई निधि के लिए पृथक शीर्ष एवं अनुसूची के अनुमोदन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8) : 700.09 करोड़ रुपए

1. वर्ष 2020-21 के दौरान प्रयोग में लाए गए सर्वरों एवं डैस्कटॉप का पूंजीकरण नहीं करने के कारण उपर्युक्त शीर्ष को 6.76 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है। इसके परिणाम स्वरुप इतनी ही राशि से देयताओं को भी कम दर्शाया गया है। मूल्यह्रास और घाटे को भी वर्ष के दौरान 0.78 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

2. मार्च 2021 के दौरान कंप्यूटरों की बैटरियों की खरीद की राशि को लेखों में नहीं लेने के कारण उपर्युक्त शीर्ष को 5.94 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है। मूल्यह्रास और वर्ष के दौरान हानि को भी 0.04 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

मूल्यह्रास (अनुसूची 8) – 134.67 करोड़ रुपए

साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास के अवप्रभार के कारण उपरोक्त शीर्ष को 8.26 करोड़ रुपये कम करके आँका गया है | उक्त के परिणामस्वरुप इतनी ही राशि से हानि को भी कम दर्शाया गया है।

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) : 47.74 करोड़ रुपए

मार्च 2021 माह के दौरान यूआईडीएआई डेटा सेंटर मानेसर के बिजली बिल संबंधी व्यय को शामिल नहीं किए जाने के कारण उक्त शीर्ष को 1.04 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है। उक्त के फलस्वरुप वर्ष में इतनी ही राशि से हानि को भी कम दिखाया गया है।

परिचालन व्यय (अनुसूची 22) : 767.66 करोड़ रुपए

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एमएसएपी अनुबंध के लिए नियोजित संसाधनों/जनशक्ति के लिए सेवा प्रदाताओं (2.98 करोड़ रुपए) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण होने वाले परिचालन व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को 13.08 करोड़ रुपए कम बताया गया (9.41 करोड़ रुपए) और यह वर्ष 2020-21 के दौरान इंटरनेट सेवाओं और डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी शुल्क (0.69 करोड़ रुपए) के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता को देय राशि है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए घाटे को समान राशि से कम करके दिखाया गया है।

पूर्वावधि व्यय – 382.75 करोड़ रुपए

प्रदाता एजेंसियों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण यूआईडीएआई ने व्यापक राशि को पूर्वावधि व्यय के रुप में दर्ज किया है। इसके कारण विशेष वित्तीय वर्षों की व्यय बुकिंग में विकृति उत्पन्न हुई है।

ग. आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची 26)

पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: 81.90 करोड़ रुपए

एमएसआईपी अनुबंध के अंतर्गत मैसर्स हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं करने के कारण 487.77 करोड़ रुपए को उपर्युक्त शीर्ष में कम दर्शाया गया है।

घ. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 756.78 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 143.78 करोड़ के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, यूआईडीएआई ने ₹ 743.75 करोड़ की राशि का उपयोग किया, शेष ₹ 13.03 करोड़ को 31 मार्च 2021 के अप्रयुक्त अनुदान के रूप में छोड़ दिया।

V. पिछले अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय विवरण के साथ लेखा/प्राप्तियां और भुगतान खाता लेखा-बही के अनुरूप हैं।

VI. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-। में उल्लिखित मामलों के अध्यधीन, एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क. जहां तक यह तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएआई के कार्यों की स्थिति से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों में हुई कमी से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से

ह0/-
(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.12.2021

अनुलग्नक-I - 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

उपमहानिदेशक (वित्त) के नेतृत्व में यूआईडीएआई का वित्त प्रभाग आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रभाग है। वित्त प्रभाग यूआईडीएआई मुख्यालय के प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और लेखापरीक्षा करने के लिए टीम गठित करता है। लेखापरीक्षा टीम में यूआईडीएआई मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। ये लेखापरीक्षा टीमें संबंधित कार्यालयों/प्रभागों का दौरा कर उनकी लेखापरीक्षा करती है।लेखापरीक्षा के उपरांत, लेखापरीक्षा टीम यूआईडीएआई मुख्यालय के वित्त प्रभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं जो इन पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान यूआईडीएआई के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (अगस्त 2019 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए) तथा मानेसर डेटा सेंटर (फरवरी 2020 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए) की लेखापरीक्षा की गई। अगस्त 2019 से जनवरी 2021 की अवधि की क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगस्त 2021 के दौरान अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को भेजी गई जिसे कोविड 19 महामारी के कारण भेजने में काफी विलंब हुआ। यूआईडीएआई को अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरुप है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपतियों के रजिस्टर प्रत्यक्ष एवं कंप्यूट्रीकृत आधार पर रखे जाते हैं। पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए यूआईडीएआई मुख्यालय की अचल परिसंपतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन सितंबर 2021 के दौरान किया गया। हमारी राय में, संगठन की अचल संपतियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली प्राधिकरण की प्रकृति एवं उसके कार्यों के अनुरूप है। हालांकि, यूआईडीएआई समय पर अचल संपतियों के प्रत्यक्ष सत्यापन को सुनिश्चित कर सकता है।

4. इनवेंटरी की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में किसी इनवेंटरी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में तत्पर है, प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में टीडीएस चूक/विवाद से संबंधित 68.32 लाख रुपए की राशि को छोड़कर, जिसका निपटारा होना बाकी है।

ह0/-

(मनीष कुमार)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 31.12.2021

फॉर्म - (क)
31 मार्च 2021 की स्थिति अनुसार तुलन - पत्र

(राशि / ₹)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1	आधारभूत /पूंजीगत निधि	1	9,68,09,80,269.09	14,35,73,05,525.11
2	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
3	निर्धारित/अक्षय/ यू आई डी ए आई निधि	3	4,30,76,03,570.83	3,88,63,16,669.82
4	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
5	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
6	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
7	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	2,67,71,47,220.05	1,45,94,33,021.63
	कुल		**16,66,57,31,059.97**	**19,70,30,55,216.56**
	आस्तियां		-	**-**
1	अचल आस्तियां	8	7,00,08,60,697.88	7,44,88,25,159.44
2	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3	अन्य निवेश	10	-	47,33,86,157.00
4	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	9,66,48,70,362.09	11,78,08,43,900.12
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)		-	-
	कुल		**16,66,57,31,059.97**	**19,70,30,55,216.56**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ	26		

नोट : तुलन पत्र की सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा होंगी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक महानिदेशक	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फॉर्म - (ख)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि / ₹)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1	सेवाओं से आय	12	2,34,44,90,623.50	1,51,39,45,833.34
2	अनुदान/सब्सिडी	13	8,45,46,42,545.89	7,21,10,39,724.46
3	शुल्क/अभिदान	14	30,20,55,278.00	19,68,70,155.68
4	निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6	अर्जित ब्याज	17	9,68,08,889.33	6,76,84,889.00
7	अन्य आय	18	48,06,03,978.06	24,92,25,851.29
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
	कुल (क)		**11,67,86,01,314.78**	**9,23,87,66,453.77**
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20	44,28,91,834.00	55,53,93,389.00
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	47,74,02,497.81	39,54,80,975.82
3	परिचालन व्यय	22	7,67,66,44,708.06	5,19,94,59,750.84
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5	ब्याज	24	-	-
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट अनुसूची -8 के तदनुरूप)		1,34,67,49,615.82	1,23,23,24,130.26
	कुल (ख)		**9,94,36,88,655.69**	**7,38,26,58,245.92**
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग) = (क –ख)		**1,73,49,12,659.09**	**1,85,61,08,207.85**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		3,82,75,24,021.36	1,48,93,22,037.69
	पूर्व अवधि आय (ङ)		15,05,453.72	3,02,16,852.98

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		16,12,13,015.75	40,73,26,455.00
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		**3,22,39,58,768.89**	**2,02,77,26,729.31**
	स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरण हेतु (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	**-**
	जनरल रिजर्व से / को स्थानांतरण		-	**-**
	शेष बतौर अधिशेष / (घाटा) आधारभूत / पूंजीगत निधि के लिए (ज) **ज = (ग -घ – ङ+ च – छ)**		**(5,15,38,51,661.69)**	**(1,22,33,97,251.17)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26		

नोट: आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा होंगी।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक महानिदेशक	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फॉर्म - (ग)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि / ₹)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियाँ		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी	12,19,210.00	33,960.00
	ख. बैंक राशि		
	i. चालू खातों में	32,95,07,112.41	7,76,41,419.45
	ii. जमा खातों में	4,95,10,04,686.72	-
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	-	-
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य	5,31,00,00,000.00	6,37,51,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	47,00,00,000.00	49,27,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी	35,00,00,000.00	1,50,00,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)	-	-
3	सेवाओं से आय	2,72,00,72,640.55	1,71,08,15,989.02
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	23,86,03,35,866.00	18,53,07,02,945.00
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	13,57,47,065.07	26,88,74,247.60
	ख. ऋण,अग्रिम आदि	36,88,581.00	-
	ग. अन्य	7,28,766.00	-
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	7,04,544.00	35,178.00
7	उधार ली गई राशियाँ	-	-
8	अन्य प्राप्तियाँ (विवरण दे)		-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	2,33,458.00
	ग. प्रतिभूति / बयाना जमा/ बैंक गारंटी भुनाया	5,73,71,565.00	-
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	3,52,568.00	15,49,929.00
	vi. एलटीसी	4,61,746.00	19,85,989.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	2,32,003.00	12,22,097.00
	ङ. आयकर	2,91,50,614.00	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियाँ	2,12,033.00	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	15,94,86,833.67	-
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	46,29,67,596.00	1,23,60,854.00
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	-	-
	ट. अन्य प्राप्तियाँ	7,77,514.02	13,68,894.12
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	29,22,380.00	24,78,57,157.17
	ड. स्क्रैप की बिक्री	1,86,221.36	30,288.00
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	1,02,06,24,317.00	1,19,86,08,969.00
	ण. वेंडरों की रोकी गयी राशि	-	-
	त. ऋणदाताओं से अग्रिम प्राप्त किया गया	-	19,13,40,487.56
	कुल	**39,86,77,53,862.80**	**30,61,24,61,861.92**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	37,45,54,621.20	45,60,24,454.80
2	अन्य प्राशासनिक व्यय	52,63,08,515.11	43,62,05,338.76
3	परिचालन व्यय	6,26,49,14,794.66	4,53,61,68,959.33
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्वयं के धन से (निवेश – अन्य)	23,47,73,04,958.00	15,76,19,82,762.00
6	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों पर खरीद	52,47,10,787.00	77,56,81,895.98
	ख. पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय	4,37,86,207.00	-
7	अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	44,89,17,253.00	-
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
9	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	1,78,68,450.00	-
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	1,97,39,420.00	-
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	39,56,417.65	30,30,192.00
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	7,43,275.00	44,07,986.00
	vii. एलटीसी	35,56,665.00	1,05,23,878.00
	viii. राज्य प्राधिकरणों	88,17,78,483.00	1,49,46,76,166.00
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	21,45,16,489.08	30,44,48,790.92
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	-	34,80,46,460.00
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	-	-
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	-
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	-	-
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	-
	ण. बयाना वापसी	-	9,25,000.00
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	-
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	37,05,16,624.07	-
	द. देनदारों को रिफंड	-	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा – एफडी	-	-
	न. एजेंसियों के पास जमा - सीआईएसएफ	-	-
	ऩ. एजेंसियों के पास जमा – टेलीफ़ोन	-	-
	प. एजेंसियों के पास जमा – अन्य	-	-
	फ. वेंडरों की रोकी गयी राशि	4,01,46,475.27	-
	ब. क्षेत्रीय कार्यालयों को दिये गए फंड	1,02,06,24,317.00	1,19,86,08,969.00
10	अंत शेष		
	क. नकदी	18,79,114.00	12,19,210.00
	ख. बैंक बकाया		
	i. चालू खातों में	1,49,83,50,692.02	32,95,07,112.41
	ii. जमा खातों में	4,13,35,80,304.74	4,95,10,04,686.72
	iii. बचत खातों में	-	-
	कुल	**39,86,77,53,862.80**	**30,61,24,61,861.92**

नोट: शीर्ष 4 ख के तहत दिखाई गई प्राप्तियों और शीर्ष 5 ख के तहत दिखाई गई भुगतान की राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा से अधिक निधियों का स्वत: स्वीप है। स्वीप इन/आउट का शुद्ध प्रभाव भुगतान के बिंदु 10 ख (ii) पर जमा खाते में बैंक में जमा राशि के रूप में अलग से दिखाया गया है |

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक महानिदेशक	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 1 – आधारभूत/पूंजीगत निधि
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि/ ₹)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	14,35,73,05,525.11	14,24,03,50,023.13
2	जोड़ : आधारभूत /पूंजीगत निधि हेतु योगदान	47,80,29,321.99	1,35,02,07,632.35
3	जोड़/(घटा) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय /(व्यय) का संतुलन	(5,15,38,51,661.69)	(1,22,33,97,251.17)
4	जोड़/(घटा) : पूर्व वर्ष की देयताएं कॉर्पस को हस्तांतरित	(5,02,916.32)	(98,54,879.20)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**9,68,09,80,269.09**	**14,35,73,05,525.11**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि /₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1	**आरक्षित पूंजी**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3	**विशेष आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	कुल				

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 3 – निर्धारित /अक्षय निधियाँ

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	निधीवार विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अधिशेष**	**5,39,60,307.00**	**1,21,69,48,400.15**	**16,69,24,620.49**	**2,44,84,83,342.18**	**3,88,63,16,669.82**	**2,27,29,14,498.82**
2	**निधियों में परिवर्तन**						
	क. दान/अनुदान	47,00,00,000.00	5,31,00,00,000.00	35,00,00,000.00		6,13,00,00,000.00	8,36,78,00,000.00
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
	ग. लाइसेंस आय	-	-	-	30,20,48,158.00	30,20,48,158.00	19,68,34,977.68
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय	-	-	-	1,56,06,34,951.29	1,56,06,34,951.29	1,25,32,36,979.68
	ङ. नामांकन सेवाओं से आय	-	-	-	17,18,09,188.77	17,18,09,188.77	4,40,70,887.56
	च. आधार पुनर्मुद्रण से आय	-	-	-	8,93,47,378.61	8,93,47,378.61	21,66,37,966.10
	छ. पीवीसी कार्ड सेवाओं से आय	-	-	-	35,43,47,663.44	35,43,47,663.44	-
	ज. एसएसयूपी सेवाओं से आय	-	-	-	16,83,51,441.39	16,83,51,441.39	-
	झ. जुर्माना , हर्जाना एवं दंडात्मक कारवाई	-	-	-	44,03,82,130.67	44,03,82,130.67	24,78,57,157.17
	ञ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-	-	-
	ट. अन्य आय (ब्याज, किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)	-	-	-	13,70,37,856.72	13,70,37,856.72	6,90,88,761.12
	ठ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया	-	-	-	-	-	(22,08,77,201.50)
	ड. भाविपप्रा फंड में उपलब्ध भाविपप्रा आय		1,49,51,42,530.54		(1,49,51,42,530.54)		
	कुल (2)	**47,00,00,000.00**	**6,80,51,42,530.54**	**35,00,00,000.00**	**1,72,88,16,238.35**	**9,35,39,58,768.89**	**10,17,46,49,527.81**

क्र.स.	विवरण	निधीवार विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय**	-					
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल संपत्ति	-	-	47,80,29,321.99	-	47,80,29,321.99	1,35,02,07,632.35
	ii. अन्य	-	-	-	-	-	-
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	43,25,51,615.20	-	-	-	43,25,51,615.20	46,92,03,188.00
	ii. किराया	-	-	-	-	-	-
	iii. अन्य प्रशासीनिक व्यय	-	8,02,20,90,930.69	-	-	8,02,20,90,930.69	6,74,18,36,536.46
	ग. केंद्र सरकार के पास	-	-	-	-	-	-
	कुल (3)	**43,25,51,615.20**	**8,02,20,90,930.69**	**47,80,29,321.99**	-	**8,93,26,71,867.88**	**8,56,12,47,356.81**
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2 –3)	**9,14,08,691.80**	**-**	**3,88,95,298.50**	**4,17,72,99,580.53**	**4,30,76,03,570.83**	**3,88,63,16,669.82**

नोट:

1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा |

2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाये |

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबैंचर और बॉन्ड**		
7	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक :**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबैंचर और बॉन्ड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजी उपकरणो और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	कुल		

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
अ	**वर्तमान देयताएं**				
1	**स्वीकृतियाँ**		-		-
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएँ हेतु		59,11,50,408.87		55,68,67,636.52
	ख. अन्य		9,40,33,764.04		8,98,44,150.00
3	**प्राप्त अग्रिम**		37,76,89,945.22		61,43,87,203.75
4	**उपार्जित अदेय ब्याज**				
	क. जमानती ऋण /उधार		-		-
	ख. गैर- जमानती ऋण/ उधार		-		-
5	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय		-		-
	ख. अन्य		3,27,18,944.57		(89,56,93,620.21)
6	**अन्य वर्तमान देयता**				
क	**अनुदान – पूंजी निर्माण**				
	प्रारम्भिक शेष	-		-	
	जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	35,00,00,000.00		1,50,00,00,000.00	
	कम : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	47,80,29,321.99		1,35,02,07,632.35	
		(12,80,29,321.99)		**14,97,92,367.65**	
	कम : कॉर्पस में हस्तांतरित	**-**		**-**	
		(12,80,29,321.99)		**14,97,92,367.65**	
	कम : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित	**(12,80,29,321.99)**	**-**	**14,97,92,367.65**	**-**
ख	**अनुदान – वेतन**				
	प्रारम्भिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	47,00,00,000.00		49,27,00,000.00	

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	कम: आय में हस्तांतरित राजस्व अनुदान	43,25,51,615.20		46,92,03,188.00	
		3,74,48,384.80	**-**	**2,34,96,812.00**	**-**
	कम: भाविपप्रा निधि में हस्तांतरित	**3,74,48,384.80**	**-**	**2,34,96,812.00**	**-**
ग.	**अनुदान – सामान्य**				
	प्रारम्भिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	5,31,00,00,000.00		6,37,51,00,000.00	
	कम: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	8,02,20,90,930.69		6,74,18,36,536.46	
		(2,71,20,90,930.69)		**(36,67,36,536.46)**	
	कम : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित अव्ययित अनुदान	**(1,21,69,48,400.15)**		**(36,67,36,536.46)**	
	कम: भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित भाविपप्रा आय	**(1,49,51,42,530.54)**	**-**	-	**-**
घ	**प्रतिधारित आय : केंद्र सरकार**				
	प्रारम्भिक शेष	44,89,17,253.00		-	
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	-		-	
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	-		-	
	ग. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइंसेंटिव	-		-	
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-		-	
	ङ. ब्याज से आय	9,07,82,472.30		21,81,85,172.03	
	च. अन्य आय	17,53,510.00		-	
		54,14,53,235.30		**21,81,85,172.03**	
	कम : केंद्र सरकार को वापिस कर दिया हो	44,89,17,253.00		-	
	शेष निधि	**9,25,35,982.30**		**21,81,85,172.03**	

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	कम : कॉर्पस में हस्तांतरित	-		-	
	जोड़ : कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित राशि	-		98,54,879.20	
	जोड़ : भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	-	9,25,35,982.30	22,08,77,201.50	44,89,17,252.73
	कुल (क)		**1,18,81,29,045.00**		**81,43,22,622.79**
ब	**प्रावधान**				
1	कराधान के लिए		-		-
2	ग्रेच्युटी		-		-
3	अधिवर्षिता /पेंशन अंशदान		-		-
4	संचित छुट्टी नकदीकरण		-		-
5	व्यापार वारंटियाँ /दावे		-		-
6	देय छुट्टी वेतन		-		-
7	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय और अन्य व्यय / देय)		1,48,90,18,175.05		64,51,10,398.84
	कुल (ख)		**1,48,90,18,175.05**		**64,51,10,398.84**
	कुल (क+ख)		**2,67,71,47,220.05**		**1,45,94,33,021.63**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 8- अचल आस्तियां

(राशि / ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ पर लागत /मूल्यांकन (01/04/2020)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ती के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2021 को	31/03/2021 को	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अचल आस्तियां												
1. भूमि												
क. पूर्ण स्वातमित्व में	46,61,88,290.46	24,69,48,540.00	-		71,31,36,830.46	-	-	-	-	-	71,31,36,830.46	46,61,88,290.46
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00	-	-		9,87,64,050.00	2,88,71,572.97	32,92,135.00	-	-	3,21,63,707.97	6,66,00,342.03	6,98,92,477.03
कुल (1)	**56,49,52,340.46**	**24,69,48,540.00**	**-**		**81,19,00,880.46**	**2,88,71,572.97**	**32,92,135.00**	**-**	**-**	**3,21,63,707.97**	**77,97,37,172.49**	**53,60,80,767.49**
2. कार्यालय भवन और डाटा सेंटर :												
क. पूर्ण स्वातमित्व वाली भूमि पर	1,96,17,52,817.00	-	-		1,96,17,52,817.00	8,09,08,748.17	3,10,61,086.27	-	-	11,19,69,834.44	1,84,97,82,982.56	1,88,08,44,068.83
ख. पट्टे पर दी गयी भूमि पर	1,15,00,00,000.00	-	-		1,15,00,00,000.00	8,72,20,411.42	1,82,08,333.33	-	-	10,54,28,744.75	1,04,45,71,255.25	1,06,27,79,588.84
ग. स्वातमित्व वाले फ्लैट्स	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
घ. इकाई से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (2)	**3,11,17,52,817.00**	**-**	**-**		**3,11,17,52,817.00**	**16,81,29,159.59**	**4,92,69,419.60**	**-**	**-**	**21,73,98,579.19**	**2,89,43,54,237.81**	**2,94,36,23,657.67**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,38,33,918.22	18,135.60	-		1,89,38,52,053.82	58,02,42,125.31	11,99,43,085.45	-	-	70,01,85,210.76	1,19,36,66,843.06	1,31,35,91,792.91
ख. प्रोद्योगिकी बुनियादी सुविधाएं (सर्वर एवं डीपीयू)	14,92,26,33,037.10	24,93,08,579.63	-		15,17,19,41,616.73	13,13,07,26,989.31	74,87,14,379.79	-	-	13,87,94,41,369.10	1,29,25,00,247.63	1,79,19,06,047.79
ग. यूबीसीसी बुनियादी सुविधाएं	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सूचना प्रोद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	87,69,55,625.77	17,35,40,472.87	-		1,05,04,96,098.64	38,92,97,105.60	26,76,14,306.05	-	-	65,69,11,411.65	39,35,84,686.99	48,76,58,520.17
कुल (3)	**17,69,34,22,581.09**	**42,28,67,188.10**	-		**18,11,62,89,769.19**	**14,10,02,66,220.22**	**1,13,62,71,771.29**	**-**	**-**	**15,23,65,37,991.51**	**2,87,97,51,777.68**	**3,59,31,56,360.87**
4. वाहन	14,60,515.00	-	-		14,60,515.00	3,36,184.48	1,70,956.89	-	-	5,07,141.37	9,53,373.63	11,24,330.52
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,82,48,337.53	5,24,083.70	-		8,87,72,421.23	3,71,84,031.64	69,17,608.89	-	-	4,41,01,640.53	4,46,70,780.70	5,10,64,305.89

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ पर लागत /मूल्यांकन (01/04/2020)	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ती के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2021 को	31/03/2021 को	गत वर्ष 31/03/2020 की स्थिति के अनुसार
6. कार्यालयी उपकरण	8,02,19,440.15	1,87,38,221.35	26,90,140.00	**(5,02,916.32)**	9,57,64,605.18	5,70,91,268.13	74,55,513.24	25,55,633.00	-	6,19,91,148.37	3,37,73,456.81	2,31,28,172.02
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल (डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं अन्य)	57,16,62,437.23	2,10,27,072.16	59,95,256.71		58,66,94,252.68	35,29,72,049.14	13,56,61,056.32	56,95,493.87	-	48,29,37,610.65	10,37,56,642.03	21,86,90,388.09
8. विद्युत स्थापना	1,13,00,032.49	1,99,330.00	-		1,14,99,362.49	27,03,303.66	16,82,498.62	-	-	43,85,802.28	71,13,560.21	85,96,728.83
9. पुस्तकालयी किताबें	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचलआस्तियां												
क. लैपटाप एवं टैब्लेट	3,30,44,325.52	68,05,945.24	26,41,127.87		3,72,09,142.89	2,18,07,047.04	47,54,280.76	23,95,898.39	-	2,41,65,429.11	1,30,43,713.78	1,12,37,278.48
ख. मोबाइल फोन	92,67,408.38	13,19,044.37	15,500.00		1,05,70,952.75	74,19,817.85	12,74,375.21	14,725.00	-	86,79,468.06	18,91,484.69	18,47,590.53
कुल (10)	**4,23,11,733.90**	**81,24,989.61**	**26,56,627.87**		**4,77,80,095.64**	**2,92,26,864.89**	**60,28,655.97**	**24,10,623.39**	**-**	**3,28,44,897.17**	**1,49,35,198.47**	**1,30,84,869.01**
चालू वर्ष का योग (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**22,16,53,30,234.85**	**71,84,29,424.92**	**1,13,42,024.58**	**(5,02,916.32)**	**22,87,19,14,718.87**	**14,77,67,80,654.72**	**1,34,67,49,615.82**	**1,06,61,750.26**	**-**	**16,11,28,68,519.04**	**6,75,90,46,199.83**	**7,38,85,49,580.39**
गत वर्ष	**21,49,80,38,460.69**	**66,99,38,702.16**	**26,46,928.00**	**-**	**22,16,53,30,234.85**	**13,54,44,56,524.46**	**1,23,28,27,046.58**	**5,02,916.32**	**-**	**14,77,67,80,654.72**	**7,38,85,49,580.39**	**7,95,35,81,936.49**
प्रगतिरत कार्य पूंजी	**6,02,75,579.05**	**18,15,38,919.00**	-		**24,18,14,498.05**	-	-	-	-	-	**24,18,14,498.05**	**6,02,75,579.05**
कुल योग	**22,22,56,05,813.90**	**89,99,68,343.92**	**1,13,42,024.58**	**(5,02,916.32)**	**23,11,37,29,216.92**	**14,77,67,80,654.72**	**1,34,67,49,615.82**	**1,06,61,750.26**	**-**	**16,11,28,68,519.04**	**7,00,08,60,697.88**	**7,44,88,25,159.44**

(उपर्युक्त में शामिल किराया,खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है ।)

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 9 – निर्धारित /अक्षय निधि से निवेश
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	कुल		

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 10 – अन्य निवेश
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	शेयर	-	-
4	डिबैंचर और बॉन्ड	-	-
5	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)	-	-
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंको में सावधि जमा	-	-
	ख. एफडी प्रोजेक्ट – ईआइएल	-	47,33,86,157.00
	कुल	**-**	**47,33,86,157.00**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 11- वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. अबद्ध उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक		
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन – कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	28,28,06,175.77	25,18,34,350.07
	ख. अन्य	27,38,85,050.93	31,52,72,588.73
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)**	18,79,114.00	12,19,210.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातो में	1,49,83,50,692.02	32,95,07,112.41
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	4,13,35,80,304.74	4,95,10,04,686.72
	iii. बचत बैंक जमा खातो में	-	-
	ख. गैर – अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**	-	-
6	**अन्य**	-	-
	कुल (क)	**6,19,05,01,337.46**	**5,84,88,37,947.93**
	ख. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		

	i. एलटीसी अग्रिम	60,88,452.00	49,99,036.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	9,04,873.00	8,93,339.00
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्योंमें लगी हुई अन्य संस्थाएं		
	ग. अन्य (टीए एवं अन्य अग्रिम)	12,25,137.20	11,03,072.00
2	**नकदी या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि**		
	क. पूंजी खाते में	37,18,44,449.95	-
	ख. पूर्व – भुगतान	1,28,49,176.00	3,00,70,766.00
	ग. प्रतिभूति जमा	8,16,51,635.00	8,07,35,817.00
	घ. अन्य		
	i. टीडीएस प्राप्य	16,88,54,401.76	11,16,80,796.73
	ii. बीओसी , राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	1,74,14,14,672.30	5,67,46,52,043.85
	iii. ठेकेदार	2,01,61,110.90	1,62,96,707.00
	iv. जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट	1,06,22,21,499.49	-
3	**उपचित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए ..... सहित है)		
	i. अनुसूचित बैंकों में जमा करके	71,53,617.03	1,15,74,374.61
4	**प्राप्य दावे**		
	कुल (ख)	**3,47,43,69,024.63**	**5,93,20,05,952.19**
	कुल (क +ख)	**9,66,48,70,362.09**	**11,78,08,43,900.12**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ	1,56,06,34,951.29	1,25,32,36,979.68
2	नामांकन सेवा	17,18,09,188.77	4,40,70,887.56
3	अन्य		
	क. आधार पुनर्मुद्रण	8,93,47,378.61	21,66,37,966.10
	ख. ऑर्डर आधार कार्ड (ओएसी) सेवा	35,43,47,663.44	-
	ग. स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल	16,83,51,441.39	-
	कुल	**2,34,44,90,623.50**	**1,51,39,45,833.34**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार	-	-
	क. अनुदान – वेतन	43,25,51,615.20	46,92,03,188.00
	ख. अनुदान – सामान्य	5,31,00,00,000.00	6,37,51,00,000.00
2	राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान /कल्याण निकाय	-	-
5	अंतराष्ट्रीय संस्थाएं	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि से अव्ययित अनुदान	1,21,69,48,400.15	36,67,36,536.46
	ख. भाविपप्रा फंड में उपलब्ध भाविपप्रा आय	1,49,51,42,530.54	-
	कुल	**8,45,46,42,545.89**	**7,21,10,39,724.46**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 14- शुल्क/अभिदान

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	वार्षिक शुल्क /सदस्यता	-	-
3	संगोष्ठी /कार्यक्रम का शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक /परामर्शी शुल्क	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	30,20,48,158.00	19,68,34,977.68
6	अन्य (आईटीआई शुल्क,निविदा शुल्क ,आरएफपी शुल्क आदि)	7,120.00	35,178.00
	कुल	**30,20,55,278.00**	**19,68,70,155.68**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय
(निधि की अंतरित निर्धारित /अक्षय निधियों से निवेश पर आय)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र. स .	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश	निर्धारित कोष से निवेश	अन्य निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बॉन्ड /डेबेंचर्स				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्यूचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल				
	निर्धारित /अक्षय निधि में हस्तांतरित				

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशन से आय		
3	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	-
	i. अनुदान सहायता से प्राप्तियों पर	-	-
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	9,68,08,889.33	6,76,84,889.00
	ख. गैर – अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. संस्थानो से	-	-
	घ. अन्य (ईआईएल के साथ एस्क्रो खाता)	-	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	-
	ख. गैर – अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारी /स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**	**-**	**-**
	कुल	**9,68,08,889.33**	**6,76,84,889.00**

नोट -:

i. वित्त वर्ष 2020-21 में ब्याज पर टीडीएस की ₹ 72,13,629/- की कटौती।

ii. 1 क (ii) में दिखाया गया ₹ 9,68,08,889/- का ब्याज बैंक में चालू खाते में ऑटो स्वीप व्यवस्था पर अर्जित ब्याज है।

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 18 – अन्य आय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
	क. स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
	ख. आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या नि:शुल्क प्राप्त	(88,927.45)	-
2	जारी परिनिर्धारिती हर्जाना, अर्थदण्ड	44,03,82,130.67	24,78,57,157.17
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	63,20,464.93	-
4	किराया	5,61,000.00	5,76,000.00
5	विविध आय	3,34,29,309.91	7,92,694.12
	कुल	**48,06,03,978.06**	**24,92,25,851.29**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगति अधीन कार्यों में वृद्धि /(कमी)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्रियाँ माल		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटाव : प्रारम्भिक शेष		
	क. तैयार सामग्रियाँ		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि /(कमी) [1-2]		

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	36,16,52,819.00	38,72,07,578.00
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	72,86,409.00	47,82,411.00
4	चिकित्सा उपचार	47,43,706.00	40,51,239.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	45,42,984.00	55,39,423.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	79,79,379.00	2,38,82,390.00
7	विदेश यात्रा व्यय	1,23,902.00	16,03,695.00
8	नियोक्ता अंशदान	54,68,133.00	58,66,346.00
9	ग्रेच्युटी अंशदान	76,567.00	4,33,747.00
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	4,89,93,073.00	12,01,57,746.00
11	कर्मचारियों के सेवा निवृति एवं सेवा निवृति लाभ पर व्यय	-	-
12	अन्य कोश में योगदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय		-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	20,24,862.00	18,68,814.00
	कुल	**44,28,91,834.00**	**55,53,93,389.00**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-	-
4	विद्युत एवं शक्ति	2,38,93,274.80	2,84,95,979.26
5	जल प्रभार	17,62,930.00	19,44,001.88
6	बीमा	39,215.00	33,935.00
7	मरम्मत और रख –रखाव	30,81,209.78	40,53,963.42
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया , दर एवं कर	12,70,02,037.66	12,24,10,334.06
10	वाहन चालन एवं रख – रखाव	1,00,847.98	2,97,337.19
11	डाक , दूरभाष एवं संचार प्रभार	53,78,288.81	60,71,497.13
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी	23,28,161.23	35,21,677.94
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	2,79,11,850.23	2,89,87,990.82
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	1,71,669.54	5,27,552.00
15	अभिदान व्यय	7,57,794.66	13,83,308.00
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखा परीक्षकों पर व्यय	8,76,221.00	-
18	आतिथ्य व्यय	6,34,697.76	33,59,554.10
19	पेशेवर प्रभार	3,11,68,266.39	1,12,35,942.06
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,98,008.00	85,081.00
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज़ /अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष	-	-
24	पैकिंग शुल्क	-	-
25	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	-	25,000.00
27	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	21,33,867.07	56,18,439.73

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
28	कानूनी प्रभार	2,93,90,611.40	1,48,15,374.00
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि)	6,42,19,143.34	6,23,92,432.15
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	-	1,200.00
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	3,34,160.25	28,00,668.74
	iii. कार्यालय – व्यय	9,65,86,492.28	9,74,19,707.34
	iv. दान	5,33,317.97	-
	v. सीआईएसएफ को भुगतान (भाविपप्रा – मुख्यालय)	5,89,00,432.66	-
	कुल	**47,74,02,497.81**	**39,54,80,975.82**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन , अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. पंजीयकों को सहायता	3,57,48,62,142.37	1,72,49,35,003.00
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	3,60,40,147.62	3,38,25,916.32
	ग. विज्ञापन और प्रचार	2,83,59,294.69	4,73,00,417.54
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	6,59,95,945.11	6,99,26,216.36
2	**प्रोद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय, बीएसपी और टीएसपी भुगतान	-	-
	i. बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को भुगतान (बीएसपी)	10,87,19,335.51	14,23,85,801.14
	ii. दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान (टीएसपी)	5,99,20,175.44	3,91,08,129.58
	iii. कार्यालय व्यय (डाटा सेंटर)	33,60,07,299.53	29,35,39,773.76
	ख. किराया ,दरें और कर	-	-
	ग. पेशेवर सेवाएँ / एमएसपी / एमएसएपी /एमएसआईपी लागत		
	i. वार्षिक रखरखाव लागत (एएमसी)	1,05,97,78,482.26	1,02,48,01,726.63
	ii. श्रमशक्ति सेवाएँ	38,80,06,684.46	32,83,94,708.50
	घ. सीआईएसएफको भुगतान	-	5,40,89,452.00
	ङ. केएम पोर्टल विकास शुल्क	-	-
3	**लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	27,67,62,718.72	23,09,29,883.87
	ख. डिस्पैच लागत	59,62,56,326.05	13,73,47,872.92
	ग. टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत	29,92,71,319.76	37,34,80,724.16
	घ. शिकायत निवारण संचालक	93,36,304.98	78,51,500.38
	ङ. अन्य शुल्क	5,99,292.50	91,886.16
4	**आधार सक्षम अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	-	-
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	-
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-	31,52,936.00
	ङ. अन्य शुल्क	-	2,20,721.00
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डी.एम.एस	-	-
	ख. डी.एम.एस –क्यूसी	27,26,30,317.37	22,68,27,182.41
	ग. जीआरसीपी	5,21,29,983.19	7,35,73,951.00
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण /प्रमारण	54,54,392.34	14,30,000.00
6	**यूबीसीसी संचालन**		
	क. ओई	-	-
	ख. ओएई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	25,29,21,684.25	19,93,17,205.00
	ख. कार्यालय व्यय	1,10,12,062.74	5,27,48,515.56
	ग. किराया , दरें और कर	40,49,106.00	40,82,594.00
	घ. अन्य शुल्क	28,03,320.00	58,75,463.28
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	3,37,53,443.25	3,86,26,581.27
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू , अन्य ठेके)	20,16,31,074.00	8,55,80,799.00
	घ. अन्य व्यय	3,43,855.92	14,790.00
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (भाविपप्रा)**		
	क. लॉजिस्टिक्स और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य शुल्क	-	-
	कुल	**7,67,66,44,708.06**	**5,19,94,59,750.84**

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 23 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों /संगठनों को दिया अनुदान		
2	संस्थानों /संगठनों को दी गयी सब्सिडी		
	कुल		

नोट : संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ साथ सब्सिडी का भी खुलासा हो ।

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 24 – ब्याज

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / ₹)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर		
	ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार समेत)		
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)		
2	बैंक प्रभार		
	कुल		

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 25 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' और प्रपत्र 'ग' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालिक निवेशों" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थाई निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य मे हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे कि ब्रोकरेज, स्टाम्प हस्तांतरण शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 **मूर्त परिसंपत्तियां** - मूर्त परिसंपत्तियों को, लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य** - ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 **अमूर्त परिसंपत्तियां -** अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी

आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के पश्चात, इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

साफ्टवेयर खरीद से संबंधित लागत को 'अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साफ्टवेयर की लागत को 5 % के अवशेष मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन विधि पर तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत अंशदान में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी उपयोगिता अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप, टेबलेट के मामले में 10%) रखते हुए निम्नानुसार किया गया है:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	31.67%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (5% अवशेष मूल्य सहित)
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (10% अवशेष मूल्य सहित)
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. सरकारी सहायता के अन्यत्र सरकारी अनुदान/ सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

5.1 सरकारी अनुदानों को उसकी सीमा तक "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि" यहां इसके उपरांत इसे "यूआईडीएआई निधि" कहा जाएगा, नामक निधि में पूर्णतया क्रेडिट किया गया है।

5.2 अनुदान पर ब्याज को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को पूर्णत: 'यूआईडीएआई निधि' में क्रेडिट किया गया है।

5.3 कुछ राज्यों और अन्य एजेंसियों से पूर्ववर्ती वर्षों में वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि को उनके समक्ष बकाया अग्रिमों से समायोजित किया गया है। उक्त की जानकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संप्रेषित कर दी गई है।

5.4 चूंकि इस **'यूआईडीएआई निधि'** के लिए तुलन-पत्र के निर्धारित प्रपत्र में कोई विशेष अनुसूची नहीं दी गई है, इसलिए यूआईडीएआई निधि के लिए **'अनुसूची-3'** नामत: "चिह्नित/अक्षय निधि" का उपयोग किया गया है। "चिह्नित/अक्षय/यूआईडीएआई निधि" के रूप में अनुसूची का फिर नामकरण किया गया है।

5.5 उपरोक्त मद 5.1 एवं 5.2 में उल्लिखित अनुदानों और अन्य प्राप्तियों का क्रेडिट आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 25 के अनुसार किया गया है, तथा उक्त को नीचे पुन:प्रस्तुत किया गया है:

"25(1) 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न को क्रेडिट किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशि।

(2) निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति हेतु किया जाएगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन या भत्ते देय पेंशन शामिल है; तथा

(ख) अन्य सामान पर खर्च और इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजनों के लिए"।

5.6 एयूए/केयूए/एएसए से लाइसेंस शुल्क की दरें और वैधता निम्नवत है:

एजेंसी की किस्म	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस		उत्पादन लाइसेंस	
	शुल्क	वैधता अवधि	शुल्क	वैधता अवधि
एयूए/केयूए	5 लाख रुपए	3 माह	20 लाख रुपए	2 वर्ष
सब एयूए	-	-	3 लाख रुपए	2 वर्ष
एएसए	10 लाख रुपए	3 माह	1 करोड़ रुपए	2 वर्ष

लाइसेंस शुल्क से होने वाली आय को आनुपातिक संख्या के आधार पर बुक किया जा रहा है अर्थात इनवॉइस जारी करने की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक और शेष राशि को आगामी वित्त वर्षों में आनुपातिक आधार पर "अग्रिम रूप से प्राप्त आय" के रूप में बुक किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर से अंकित किया जाता है।

6.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचारा जाता है।

ह0/-
सहायक महानिदेशक

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. आकस्मिक देयताएं

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है – 3,70,25,98,106/- रुपए (पिछले वर्ष 2,18,84,50,349/- रुपए)। विवरण नीचे बिंदु (ज) में दिया गया है।

ख. निम्न के संबंध में:

i. संस्था की ओर से/बैंक द्वारा दी गई गारंटी - शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

ii. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

iii. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ग. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विवादित मांग- 68,32,240/- रुपए है (पिछले वर्ष- 64,22,420/- रुपए)।

घ. i. सेवा कर – शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ii. निगम कर – शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ङ. जीवन भारती भवन में टावर 2/लेवल-2 के लिए एलआईसी द्वारा 20.57 लाख रुपए के रखरखाव शुल्क की मांग की गई है। हालांकि, यूआईडीएआई को मांग स्वीकार्य नहीं है । तदनुसार इस संबंध में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया है।

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य) ।

छ. वेंडरों के साथ अनुबंध करने के संबंध में – 57,61,24,829/- रुपए की राशि रोकी गई है (पिछले वर्ष - 50,92,32,782/- रुपए)।

ज. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 3,70,25,98,106/- रुपए की राशि के लिए यूआईडीएआई के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण:

(आंकड़ें रुपयों में)

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
1	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	31,09,31,386/-	07.08.2019 से 06.04.2021 की अवधि के लिए बिल में की गई कटौतियों की वापसी हेतु दावा
2	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	12,18,54,720/-	ओईएम और एएमसी के साथ नई व्यवस्था और जनशक्ति लागत के संबंध में लागत।
3	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	3,12,44,90,000/-	द्वितीय मध्यस्थता मामले में कटौतियों के समक्ष एमएसपी दावे
4	सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	5,14,00,000/-	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
5	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम)	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,95,00,000/-	मैसर्स आरसीओएम द्वारा 8.95 करोड़ रुपए का दावा
6	मैसर्स आई-एनर्जाइज़र आईटी सर्विसेज़ प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000/-	मैसर्स आई-एनर्जाइज़र द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा
		योग	**370,25,98,106/-**	

नोट:

क. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 में उल्लिखित 31,09,31,386/-, 12,18,54,720/- और 3,12,44,90,000/- रुपए की राशि को दो मध्यस्थ मामलों में मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड द्वारा दायर दावा विवरण से लिया गया है, और अधिकरण के निर्णय के अध्यधीन है, जो दावाकृत राशि से कोई भिन्न राशि हो सकती है तथा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के भी अध्यधीन है:

i. 3,12,44,90,000/- रुपए की कथित राशि में एचसीएल द्वारा दावाकृत 95.46 करोड़ रुपए की ब्याज राशि शामिल है। हालांकि उक्त मामला मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत विवेकाधीन है।

ii. यूआईडीएआई ने एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के विरूद्ध 94,89,25,192/- रुपए का काउंटर दावा भी किया है। काउंटर दावे की मात्रा पर अभी यूआईडीएआई द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा अंतिम दावे में अंतर हो सकता है।

iii. देयता पूर्णत: आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।

ख. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव 'शून्य' है अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों का निवल) के लिए प्रदान नहीं किया गया – 81.90 करोड़ रुपए ।

3. पट्टा बाध्यताएं

3.1 संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

3.2 प्रौद्योगिकी केंद्र –बेंगलुरु, यूआईडीएआई ने 24 जून 2011 को बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण के संबंध में तीस वर्षों की एक अवधि के लिए पट्टा आधार पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट) के तहत 12372.40 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस संबंध में लेखांकन प्रबंध और मूल्यह्रास नीति नीचे दी गई है: -

i. पट्टे(लीज) की शर्तें – पट्टा अनुबंध को 30 साल पूरे होने के बाद एक अलग विलेखपत्र के जरिए पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लेखांकन प्रयोजनार्थ, लीज़ पर हुई भूमि को अनुसूची-8 अचल परिसंपत्ति में पृथक रूप से दर्शाया गया है।

iii. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान - लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की पूरी लीज अवधि अर्थात् 30 साल को ध्यान में रखते हुए भूमि की कुल लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

4. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृति हितलाभ के समक्ष कोई देयता नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं।

5. कराधान

आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, यूआईडीएआई को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अत: 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

6.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, कारोबार के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के समतुल्य है।

6.2 यूआईडीएआई ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में सामान्य लोगों के लिए आधार के नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अद्यतन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां सामान्य जनता से यूआईडीएआई की ओर से नकद रूप से शुल्क वसूलती हैं और उसे यूआईडीएआई के बैंक खाते में जमा करती हैं।

6.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामत: आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए बीओसी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है तथा एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है।

7. लेखापरीक्षकों को पारितोषिक

लेखापरीक्षक के रूप में

- कराधान मामलों के लिए – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)
- प्रबंधन सेवा के लिए – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)
- प्रमाणीकरण प्रयोजन के लिए – 2,33,000/- रुपए (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा दावे के आधार पर किया गया प्रावधान) (पिछले वर्ष - 2,33,000/- रुपए)

अन्य

- जीएसटी लेखापरीक्षा शुल्क - 4,09,821/- रुपए (दो वित्त वर्षों अर्थात् 2018-19 और 2019-20 के लिए देय लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में किया गया प्रावधान)

8. पूर्व की अवधि का समायोजन

8.1 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व की अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

8.2 वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व की अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमश: पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

8.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

9. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनसमूहीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है।

10. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक महानिदेशक	उपमहानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10. अनुलग्नक

10.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम

25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त करने के बाद आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्षित परिदान) विधेयक , 2016 आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्षित परिदान) अधिनियम बन गया जो सामान्य सूचना के लिए विधायी विभाग द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग –II , खंड-। (2016 का अधिनियम सं.18 'आधार अधिनियम, 2016' के रूप में सदर्भित) में प्रकाशित किया गया। आधार अधिनियम की धारा 11 से 20 ,22 से 23, और 48 से 59, 12 जुलाई 2016 तथा धारा 1 से 10 और 24 से 47 12 सितंबर 2016 को लागू हुई।

आधार अधिनियम, 2016 में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शित एवं उन लक्षित सहयिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी निर्दिष्ट पहचान संख्या (आधार नंबर) तथा इससे संबन्धित मामलों अथवा आविस्मिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम 2016 की कुछ मुख्य विषेशताएं निम्न रूप से सूचीबद्ध की गई हैं:

1. धारा 1 : आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।

2. धारा 3: प्रत्येक निवासी आधार पाने का हकदार है। निवासी एक व्यक्ति है जो तत्काल पूर्व एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।

3. धारा 7: केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को, भारत के संचित निधि से सरकारी हितलाभों, सब्सिडी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के संबंध में आधार को आवश्यक बनाना।

4. धारा 8: आधार प्रमाणीकरण और आधार धारक की सहमति।

5. धारा 29: सूचना साझा करने पर प्रतिबंधः

    क. आधार और पहचान की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवासी की सहमति।
    ख. आधार का उपयोग केवल आधार की प्राप्ति या अधिप्रमाणन के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
    ग. सहमति के साथ, पात्रता स्थापित करने के लिए आधार को संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
    घ. कोर बायोमेट्रिक्स कभी भी किसी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
    च. आधार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जा सकता है।

6. धारा 40 और 42: छद्मरूपण, गैर कानूनी प्रसार/सूचना की सहभागिता के लिए जुर्माना और/या 3 साल तक की सजा सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान। व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए लागू।

7. धारा 57: एक सक्षम धारा, जो किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के संबंध में आधार की प्राप्ति के लिए किसी भी कानून के अनुसरण में, राज्य या किसी भी कार्पोरेट या व्यक्ति को अनुमति प्रदान करती है।

आधार अधिनियम, 2016 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें :

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf.

तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मुख्य डब्ल्यू.पी. (सिविल) क्रमांक 494/2012 में दिए गए दिनांक 26.09.2018 के निर्णय द्वारा आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ बरकरार रखा।

आधार पर दिए गए निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर, गोपनीयता सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से वंचित रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्षोपायों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा 02 मार्च 2019 को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रवृत्त हुआ। उक्त अध्यादेश को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो 24 जुलाई 2019 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिसूचना के बाद आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराएं दिनांक 25 जुलाई 2019 से लागू हो गई हैं। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समैकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है, प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करना;
4. आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. अधिप्रमाणन करने में असमर्थ होने या मना करने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;
6. अधिप्रमाणन निष्पादन में सुरक्षा उपाय एवं प्रतिबंध स्थापित करने के लिए;

7. ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए;
8. अधिप्रमाणन को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना के लिए;
10. सूचना की सहभागिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन के लिए;
11. सिविल दंडों, इसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करने के लिए;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करना;
13. टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।
14. यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में, जिसके लिए राज्य द्वारा खर्च किया जाता है, या उससे राज्य की समेकित निधि के अंश की प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार को आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत समर्थ बनाएगा।

आधार और अन्य कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के बारे में अधिक जानकारी के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का उल्लेख किया जा सकता है:

https://uidai.gov.in/images/news/Amendment act 2019.pdf.

इसके अलावा, संशोधित आधार अधिनियम इस लिंक पर उपलब्ध

https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Act_2016_as_amended.pdf.

10.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है:

तालिका 13 - विनियम की सूची

क्र.सं.	अधिनियम	प्रकाशित तिथि
1.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर 2016
2.	आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर 2016
3.	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3)	14 सितंबर 2016
4.	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर 2016
5.	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर 2016
6.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी 2017
7.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	7 जुलाई 2017
8.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई 2017
9.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई 2017
10.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी 2018
11.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई 2018
12.	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1)	7 मार्च 2019
13.	आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 3)	9 सितंबर 2019
14.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी 2020
15.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 2)	22 जनवरी 2020
16.	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 2)	02 जुलाई, 2020

उपर्युक्त विनियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की दैनिक कार्यप्रणाली में सहायता करते हैं। ये विनियम यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं।

10.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

नाम और फोटो वाले पहचान दस्तावेजों के स्वीवकार्य प्रमाण	परिवार के मुखिया के साथ रिश्ते का ब्योरा वाले संबंध दस्तावेज (पीओआर) के स्वीवकार्य प्रमाण
1. पासपोर्ट	1. पीडीएस कार्ड
2. पैन कार्ड	2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड	3. सीजीएचएस/राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र	4. पेंशन कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस	5. सेना कैंटीन कार्ड
6. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र	6. पासपोर्ट
7. नरेगा जॉब कार्ड	7. जन्म पंजीयक, नगर निगम और तालुक, तहसील आदि जैसे अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
8. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज
9. हथियार लाइसेंस	9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड	10. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड	11. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड	12. बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड	13. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
14. किसान फोटो पासबुक	14. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (त्रों के लिएग्रामीण क्षे)
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड	
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड	
17. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो की पहचान संबंधी प्रमाणपत्र	
18. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र	
19. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड	
20. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहैड पर प्रमाणपत्र	
21. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र	
22. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या इसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	
23. नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना	
24. फोटो के साथ विवाह प्रमाणपत्र	
25. आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) कार्ड	
26. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो	
27. फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति का प्रमाणपत्	
28. नाम और फोटो सहित स्कूल छोडने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)	
29. नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण	
30. नाम और फोटो वाली बैंक की पासबुक	
31. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र	
32. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र	

जन्म तिथि दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण
1. जन्म प्रमाणपत्र
2. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक/प्रमाणपत्र
3. पासपोर्ट
4. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर ग्रुप 'ए' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं जारी एक प्रमाणपत्र (नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर) या पहचान पत्र जो फोटो और जन्मतिथि युक्त हो।
6. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी जन्मतिथि युक्त फोटो सहित पहचान पत्र
7. पैन कार्ड
8. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र (मार्कशीट)
9. सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान पत्र
10. केंद्र/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
11. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
12. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्म-तिथि इंगित हो
13. स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण, जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो
14. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
15. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

नाम और पता वाले पता दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण	
1. पासपोर्ट	27. पंजीकृत बिक्री/पंजीकृत पट्टा/पंजीकृत किराया अनुबंध
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक	28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पता कार्ड
3. डाक घर खाता विवरण/पासबुक	29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति और निवास प्रमाणपत्र
4. राशन कार्ड	30. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
5. मतदाता पहचान पत्र	31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
6. ड्राइविंग लाइसेंस	32. पति/पत्नी का पासपोर्ट
7. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र	33. माता-पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)
8. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	34. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (अधिकतम 3 वर्ष पुराना हो)
9. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	35. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें नाम एवं पते का उल्लेख हो
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	36. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
11. संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी न हो)	37. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके लेटरहैड पर प्रमाणपत्र
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	38. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटोयुक्त पता प्रमाणपत्र
13. बीमा पॉलिसी	39. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
14. लेटरहैड पर बैक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र	40. फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक
15. लेटरहैड पर पंजीकृत कंपनी द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र	41. विद्यालय का पहचान पत्र
16. लेटरहैड पर मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पते सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र	42. नाम और पता सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
17. नरेगा जॉब कार्ड	43. नाम, पता और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
18. हथियार लाइसेंस	44. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, पता और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
19. पेंशनभोगी कार्ड	45. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड	
21. किसान पासबुक	
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड	
23. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र	
24. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	
25. आयकर निर्धारण आदेश	
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र	

- **नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लायें। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है।**
- **मूल दस्तावेज स्कैन करने के उपरांत आपको वापस कर दिए जाएंगे।**

10.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2021				
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबादी (परियोजित 2020)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,17,036	3,88,251	93.10%
2	आंध्र प्रदेश	5,39,03,393	5,12,03,122	94.99%
3	अरूणाचल प्रदेश	15,70,458	12,37,025	78.77%
4	असम	3,56,07,039	2,08,48,873	58.55%
5	बिहार	12,47,99,926	10,47,97,124	83.97%
6	चंडीगढ़	11,58,473	11,36,228	98.08%
7	छत्तीसगढ़	2,94,36,231	2,76,23,206	93.84%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	6,15,724	5,95,337	96.69%
9	दिल्ली	1,87,10,922	2,20,01,257	117.59%
10	गोवा	15,86,250	15,94,069	100.49%
11	गुजरात	6,38,72,399	6,33,15,260	99.13%
12	हरियाणा	2,82,04,692	2,94,37,481	104.37%
13	हिमाचल प्रदेश	74,51,955	76,20,493	102.26%
14	जम्मू कश्मीर	1,36,06,320	1,11,04,504	81.61%
15	झारखंड	3,85,93,948	3,48,80,817	90.38%
16	कर्नाटक	6,75,62,686	6,30,63,597	93.34%
17	केरल	3,56,99,443	3,66,53,571	102.67%
18	लद्दाख	2,89,023	2,28,560	79.08%
19	लक्षद्वीप	73,183	71,966	98.34%
20	मध्य प्रदेश	8,53,58,965	7,55,61,778	88.52%
21	महाराष्ट्र	12,31,44,223	11,53,73,175	93.69%
22	मणिपुर	30,91,545	25,51,614	82.54%
23	मेघालय	33,66,710	15,31,462	45.49%
24	मिजोरम	12,39,244	11,35,393	91.62%
25	नागालैंड	22,49,695	12,89,189	57.31%
26	ओडिशा	4,63,56,334	4,29,83,038	92.72%
27	पुदुचेरी	14,13,542	12,86,895	91.04%
28	पंजाब	3,01,41,373	3,05,29,353	101.29%
29	राजस्थान	8,10,32,689	7,16,77,034	88.45%
30	सिक्किम	6,90,251	5,77,564	83.67%
31	तमिलनाडु	7,78,41,267	7,27,70,848	93.49%
32	तेलंगाना	3,85,10,982	3,78,08,089	98.17%
33	त्रिपुरा	41,69,794	37,09,781	88.97%
34	उत्तर प्रदेश	23,78,82,725	20,66,41,089	86.87%
35	उत्तराखंड	1,12,50,858	1,11,92,034	99.48%
36	पश्चिम बंगाल	9,96,09,303	9,22,97,881	92.66%
योग		**1,37,05,08,600**	**1,24,67,16,956**	**90.97%**

0<5 वर्ष आयु सीमा में आधार परिपूर्णता				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (0 < 5वर्ष) (परियोजित 2019)	समनुदेशित आधार के नंबर (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31,561	10,760	34.09%
2	आंध्र प्रदेश	38,42,986	14,74,512	38.37%
3	अरूणाचल प्रदेश	1,62,291	19,788	12.19%
4	असम	36,70,264	1,08,249	2.95%
5	बिहार	1,53,46,855	17,65,374	11.50%
6	चंडीगढ़	89,005	38,476	43.23%
7	छत्तीसगढ़	29,28,692	8,92,579	30.48%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	59,683	27,624	46.28%
9	दिल्ली	15,42,599	4,18,017	27.10%
10	गोवा	1,10,064	38,316	34.81%
11	गुजरात	57,67,678	19,28,775	33.44%
12	हरियाणा	23,96,840	16,33,169	68.14%
13	हिमाचल प्रदेश	5,71,930	2,91,157	50.91%
14	जम्मू कश्मीर	15,34,105	3,59,457	23.43%
15	झारखंड	42,71,103	6,13,570	14.37%
16	कर्नाटक	55,77,719	13,26,613	23.78%
17	केरल	26,22,944	3,99,470	15.23%
18	लद्दाख	32,587	4,760	14.61%
19	लक्षद्वीप	5,738	1,903	33.17%
20	मध्य प्रदेश	87,84,609	14,51,635	16.52%
21	महाराष्ट्र	1,02,59,401	25,09,101	24.46%
22	मणिपुर	2,91,556	22,453	7.70%
23	मेघालय	4,61,336	1,920	0.42%
24	मिजोरम	1,37,704	39,495	28.68%
25	नागालैंड	2,24,063	2,526	1.13%
26	ओडिशा	40,36,989	8,89,017	22.02%
27	पुदुचेरी	1,06,713	30,167	28.27%
28	पंजाब	22,97,072	6,89,827	30.03%
29	राजस्थान	86,22,934	14,17,691	16.44%
30	सिक्किम	48,088	2,548	5.30%
31	तमिलनाडु	56,95,962	10,09,051	17.72%
32	तेलंगाना	29,41,235	8,41,974	28.63%
33	त्रिपुरा	3,66,391	45,613	12.45%
34	उत्तर प्रदेश	2,44,57,593	26,31,558	10.76%
35	उत्तराखंड	10,28,543	3,14,769	30.60%
36	पश्चिम बंगाल	79,96,359	5,26,282	6.58%
योग		**12,83,21,195**	**2,37,78,200**	**18.53%**

5 <18 वर्ष आयु बैंड में आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (5 < 18Y) (परियोजित 2019)	समनुदेशित आधार के नंबर (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	91,529	75,857	82.88%
2	आंध्र प्रदेश	1,16,28,099	98,83,676	85.00%
3	अरूणाचल प्रदेश	5,08,371	3,29,584	64.83%
4	असम	1,01,19,889	32,13,440	31.75%
5	बिहार	4,19,41,200	3,11,74,508	74.33%
6	चंडीगढ़	2,65,914	2,45,495	92.32%
7	छत्तीसगढ़	83,35,772	66,76,982	80.10%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1,44,653	1,36,164	94.13%
9	दिल्ली	46,25,912	48,88,317	105.67%
10	गोवा	3,05,488	2,68,530	87.90%
11	गुजरात	1,63,57,721	1,38,54,734	84.70%
12	हरियाणा	64,73,006	66,66,782	102.99%
13	हिमाचल प्रदेश	15,53,575	15,13,195	97.40%
14	जम्मू कश्मीर	39,18,200	25,01,339	63.84%
15	झारखंड	1,20,48,453	1,00,64,305	83.53%
16	कर्नाटक	1,59,21,196	1,31,34,191	82.50%
17	केरल	74,56,452	63,47,386	85.13%
18	लद्दाख	83,230	45,959	55.22%
19	लक्षद्वीप	16,963	13,716	80.86%
20	मध्य प्रदेश	2,51,31,677	1,91,30,650	76.12%
21	महाराष्ट्र	2,98,22,224	2,32,42,790	77.94%
22	मणिपुर	7,40,131	6,48,725	87.65%
23	मेघालय	11,10,340	2,14,534	19.32%
24	मिजोरम	3,35,784	2,80,818	83.63%
25	नागालैंड	7,12,147	2,48,890	34.95%
26	ओडिशा	1,20,11,055	95,12,904	79.20%
27	पुदुचेरी	2,97,751	2,33,387	78.38%
28	पंजाब	61,39,033	58,93,251	96.00%
29	राजस्थान	2,50,31,439	1,73,51,940	69.32%
30	सिक्किम	1,83,871	97,894	53.24%
31	तमिलनाडु	1,66,76,051	1,30,07,147	78.00%
32	तेलंगाना	95,08,836	77,19,570	81.18%
33	त्रिपुरा	10,29,138	7,63,633	74.20%
34	उत्तर प्रदेश	7,79,67,566	5,39,91,791	69.25%
35	उत्तराखंड	32,56,772	26,34,047	80.88%
36	पश्चिम बंगाल	2,49,81,474	1,79,38,268	71.81%
योग		**37,67,30,914**	**28,39,44,396**	**75.37%**

11. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एईए	आधार समर्थित ऐप्लिकेशन
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एआई	कृत्रिम आसूचना
ए एंड एन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीआईटी	द्विपक्षीय निवेश संधियाँ
बीओसी	व्यवसाय संचालन समिति
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन
बीएसआई	ब्रिटिश मानक संस्थान
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपी	बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएसएसी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	व्यापक स्टाइल शीट
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमसी	दिल्ली नगर निगम
डीएमएस	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीओबी	जन्म-तिथि
डीओपी	डाक विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीयू	डाटा प्रोसेसिंग यूनिट
ईए	नामांकन एजेंसियां
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहुविध प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमडी	जमा बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफडी	सावधि जमा
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफआईआर	फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड
एफएमआर	फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एफवाई	वित्त वर्ष
जी2सी	सरकार-से-उपभोक्ता
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश
जीआरसीपी	शासन जोखिम अनुपालन और निष्पादन
जीआरसीपी-एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन-सेवा प्रदाता
जीआरआईएचए (गृहा)	समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु ग्रीन रेटिंग
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचसीएल	हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड
एचओएफ	परिवार मुखिया
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज़
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईओएस	आईफोन प्रचालन प्रणाली
आईआरडीए	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
आईएससीएस	अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केएसआईआईडीसी	कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एलडी	परिनिर्धारित नुकसानी
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	रसोई गैस
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमटीओ	बहु-कार्य प्रचालक
एमएसडी	माइक्रोसॉफ्ट गतिशीलता
एमएसएपी	प्रबंधित सेवा अनुप्रयोग प्रदाता
एमएसआईपी	प्रबंधित सेवा अवसंरचना प्रदाता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनसीसीसी	राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईआईएफ	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गर्वमेंट
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरडी	अनिवासी जमा

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
ओएसी	आधार आदेश कार्ड
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओएआर	आधार आदेश पुनर्मुद्रण
ओई	कार्यालयी व्यय
ओईएम	मूल उपस्कर निर्माता
ओटीपी	वन टाईम पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीडीएफ	पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन परामर्श
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीओए	पते का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूसी	गुणवत्ता जांच
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसएलएम	स्ट्रेट लाइन मेथड/सीधी रेखा पद्धति
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएसएलसी	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसआरटी	मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
टीए	यात्रा भत्ता
टीसी	स्थानांतरण प्रमाणपत्र
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीएफएन	टॉल फ्री नंबर
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीएसयू	तकनीकी सहायता यूनिट
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूटीआईआईएसएल	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंर्सोटियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट,
नई दिल्ली–110001

@AadhaarOfficial @AadhaarUID @UIDAI @Aadhaar_Official @UIDAI